खण्ड-332, अंक-9
मंगलवार, 12 वैशाख, शक संवत् 1900
(2 मई, 1978 ई0)

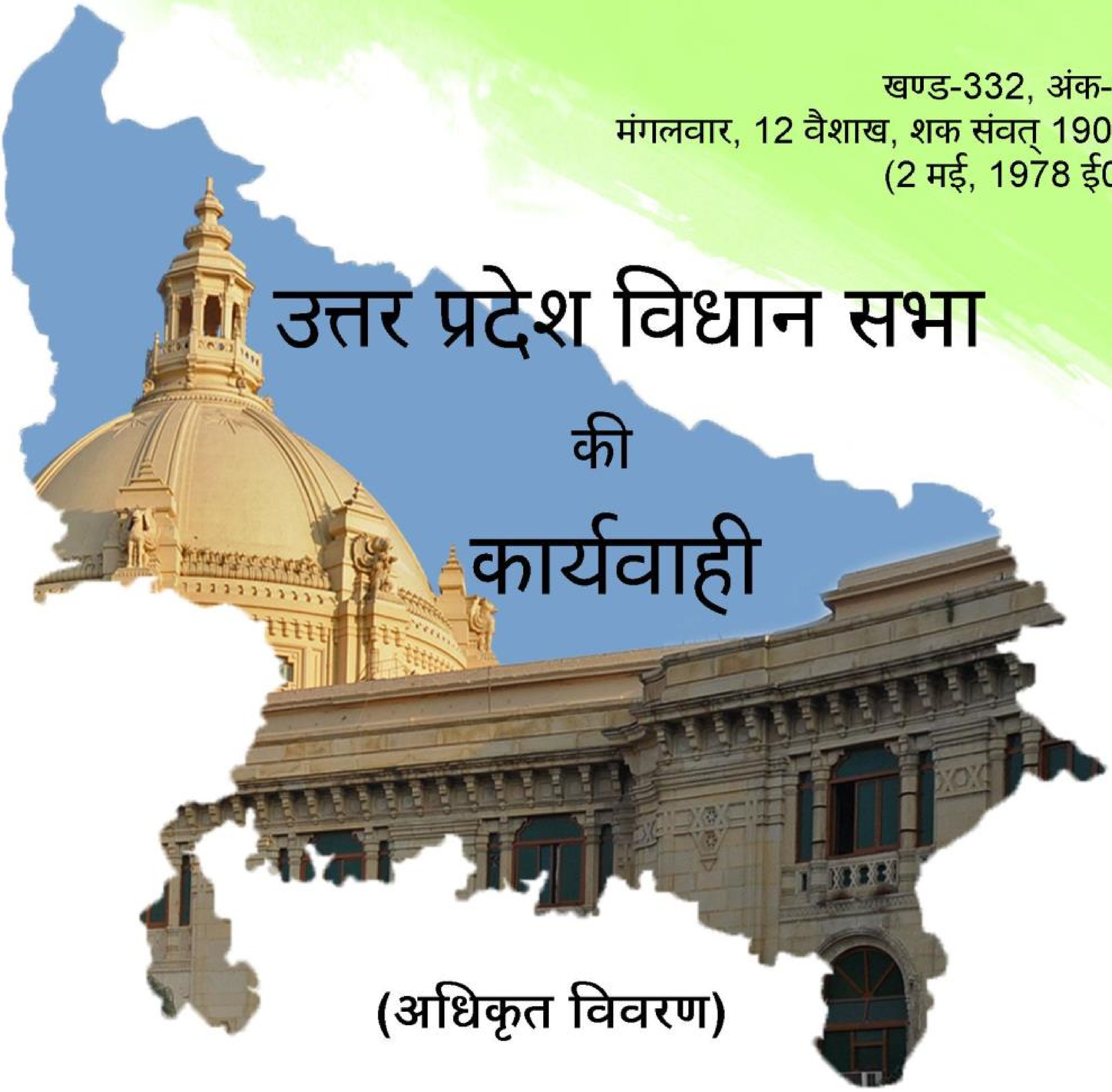

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..११५१-११५५
प्रश्नों का घंटा स्थगित करके सायंकाल लिये जाने की मांग	..११५७-११६५
प्रश्नोत्तर	..११६५-१२०६
आगरा में अनुसूचित जाति के सत्याग्रहियों पर गोली वर्षा के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा	..१२०६-१२४२
श्री मन्जूर अहमद व श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा सदन का अपमान किये जाने के सम्बन्ध में निन्दा का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१२४२
आगरा में हुए गोली काण्ड के सम्बन्ध में नियम २९३ के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को सम्बोधन	..१२४२-१२४६
अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा में कार्य करने के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१२४६
अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन के कार्य-क्रम की सूचना ..	१२४७
उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पुरःस्थापित किया गया) ..	१२४७
१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २३--लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या ५७--उद्योग, अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या ५९--खानें तथा खनिज, अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम-उद्योग (जारी)	..१२४७-१२६०
विचाराधीन अनुदानों पर समय बढ़ाने तथा नियम ५२ की सूचना पर चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१२६०
१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २३--लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या ५७--उद्योग, अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या ५९--खानें तथा खनिज, अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम-उद्योग (स्वीकृत)	..१२६१-१२८३
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	१२८३
नैनीताल में दुकान पर बैठे श्री तुलाराम व उनके पुत्र को गोली मारे जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	१२८४
प्रदेश में बिजली की सप्लाई एकाएक कम कर दिये जाने के कारण जनता में परेशानी के विषय में नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	१२८४
नस्थियां	..१२८५-१३००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश, विधान सभा

मंगलवार, २ मई, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०१

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री

गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल, 'निर्भय' श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बल्ले भाई)

बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बचन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'रोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कासिम यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौज लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री

रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
रांजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह,
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री

श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिंघु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोन पाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट---विद्युत् मन्त्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बेथानी सभा
मदुरै

प्रश्नों का घंटा स्थगित कर के सायंकाल लिये जाने की मांग

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

आप से निवेदन है कि नियम ३११ के आधार पर आज सदन में यह जो प्रश्नों का घंटा ११ बजे से १२ बजे तक रहता है तो प्रश्नों का घंटा ४ बजे से ५ बज तक लें क्योंकि हम सब चाहते हैं कि आगरे में जो स्थिति हुई है उसकी जानकारी मिले ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मुख्य मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वहां तथ्य क्या हैं ? चूंकि सेना बुलानी पड़ी है । और परस्पर विरोधी खबरें हैं । लोग आ नहीं सकते हैं, एक प्रकार का कर्फ्यू लगा हुआ है । तो क्या सत्य है, शान्ति व्यवस्था को मेंटेन करने का प्रश्न है । पहले डा० अम्बेदकर का जुलूस निकला और जो घटनायें हुयीं, हम सब सदस्य उसकी भर्त्सना करते है । तो प्रश्नों का घंटा ४ से ५ बज तक लिया जाय ?

(शोर)

मुख्य मंत्री का वक्तव्य हो, आगरे में क्या हो रहा है उस पर फिर चर्चा हो । (शोर) (अनेक माननीय सदस्य खड़े हुये ।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं ।

नियम ३११ म है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय । तो आप यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि आज नियम ३११ के अन्तर्गत प्रश्नों का घंटा स्थगित कर दिया जाय और उसे चार बजे लिया जाय, यह आप का प्रस्ताव है ।

श्री मन्जूर अहमद--

मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष --

मुख्य मन्त्री जी, इस प्रस्ताव के बारे में आप उनसे सहमत हैं क्या ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उससे सहमत नहीं हूं ।

(सदन में अत्यन्त शोर)

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'बिंधु' (जिला आगरा)--

सदन नहीं चलने देंगे ।

(शोर)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये । १५० व्यक्ति मरे हैं ।

(श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु' अपने स्थान को छोड़ कर सदन के बीच खाली स्थान पर आकर बैठ गये ।)

(शोर जारी रहा ।)

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु'—

सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा शांत रहें ।

श्री गुलाब सेहरा—

इतनी गम्भीर घटना हुई है, जिसमें १५० व्यक्ति मरे हैं । हम सदन को हीं चलने देंगे ।

(भीषण शोर)

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु'—

वहां गोलियां चलायीं जायं, तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी ।

श्री मन्जूर अहमद—

मुख्य मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिये ।

(श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु' अपने स्थान पर लौट गये ।)

श्री मन्जूर अहमद—

मुख्य मंत्री इस्तीफा दें ।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु'—

मुख्य मन्त्री इस्तीफा दें, इस तरह से सरकार नहीं चलेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें । आप लोग बैठिये ।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु'—

तमाम आदमी मरे हैं । हम सदन नहीं चलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले शान्त रहिये, सुनिये ।

माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मुझ को नियम ३११ के अनुसार कोई अधिकार नहीं है कि मैं नियम को निलम्बित करूं । नियम को निलम्बित करने में यह सदन सक्षम है । मैं इस प्रस्ताव को आप के विचारार्थ रखना चाहता हूं कि आज नियम निलम्बित कर के प्रश्नों को ४ बजे लिया जाय । यदि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो मैं प्रश्नों को स्थगित कर दूंगा इसके अतिरिक्त कोई ऐसा नियम नहीं है । स्वयं तिवारी जी ने नियम ३११ का हवाला दिया है । नियम ३११ में पढ़कर बतायें, मुझको तो कोई अधिकार नहीं है, इसमें तो सदन का अधिकार है । आप प्रस्ताव पेश करें और शांति के साथ इस पर मतदान होने दें । यदि प्रस्ताव को सदन पास करता है तो मैं कार्य स्थगित कर दूंगा और फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव आयगा, लेकिन कोई

नियम के अनुसार। मैं समझ सकता हूं कि आप के दिमाग में उत्तेजना है, लेकिन उसमें कोई बहस भी करना संभव नहीं होगा। तो मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चाहे कितनी ही बड़ी उत्तजना क्यों न हो, वहां गोलीकांड हुआ है, इस पक्ष के लोगों ने भी नियम ५६ में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, लेकिन आप से यह तो अपेक्षा करना ही चाहिये कि यदि आप भी उत्तजित होंगे तो साधारण नागरिकों से क्या आशा कर सकते हैं। इसलिए नियम के अनुसार तिवारी जी से कहूंगा कि क्या मेरे विवेक पर है नियमों का उल्लंघन करना ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मुझे अत्यन्त दुख है कि माननीय नेता सदन ने एक ऐसा प्रस्ताव, जो सदन की गरिमा और नियमावली के अनुकूल था, उसे स्वीकार नहीं किया।

(व्यवधान)

(श्री नेम सिंह चौहान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। इस तरह हस्तक्षेप करते हैं, जिससे सदन में अशांति पैदा होती है। आप लोग बैठें।

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

आगरे में गोली चली है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। माननीय नेता सदन इनको नियम बतायें। आप बैठें।

श्री रेवती शरण मौर्य—

वहां लोगों का कत्ल हो गया है। वहां इतना बड़ा दंगा हो गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। आप लोग बैठें मैं कहता हूं आप लोग बैठ जांय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं अब भी कहूंगा नेता सदन से कि वह पुनर्विचार करें और बिल्कुल मासूम सा प्रस्ताव जो रखा है उसको स्वीकार करें। प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी देसाई ने कई बार कहा कि हम सब दलों के सहयोग से ऐसा वातावरण चाहते हैं कि जिससे हिंसा का वातावरण न हो। लेकिन लगता है कि अपनी प्रदेश की सरकार का कोई ऐसा तारतम्य अपने प्रधानमंत्री भी नहीं हैं। अभी तक कोई मुख्य मंत्री न प्रयास नहीं किया है कि कोई ऐसा समाधान निकले, कोई ऐसी मीटिंग हो जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि हों और जो रोजाना गोलियां चल रही हैं उनके बारे में कोई समाधान निकल सके। इसलिए इस समय वातावरण को ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिये जिससे स्थित का समाधान हो। आगरा में जो कुछ हुआ है उसके पीछे कोई नई बात नहीं है। १५-२० दिनों से यह घटना चक्र चल रहा है। यदि उसमें मुख्य मंत्री वक्तव्य दें, माननीय सदस्यों को सुनें तो समस्या में सहायता मिल सकती है। यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है। सायं तक टालेंगे तो पता नहीं वहां क्या हो जाय। हम नहीं चाहते हैं कि वहां हिंसा हो लेकिन यह भी नहीं चाहते कि पुलिस वहां हरिजनों पर अत्याचार करे। यह दल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

का सवाल नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाय। वोटिंग या सदन का मत स्वीकार किया जाय। मैं तो कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी व्हीप भी जारी न करें। मुझे विश्वास है कि इस सदन के बहुमत से विरोध के बावजूद भी हमारा प्रस्ताव मंजूर होगा।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ३११ में श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने यह प्रस्ताव किया कि प्रश्नों का समय स्थगित कर दिया जाय। माननीय नेता सदन ने खड़े हो कर उसका विरोध किया। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर मत विभाजन करा लें। स्वीकार होता है या नहीं होता है। यदि स्वीकार हो जाता है तो ठीक है यदि नहीं होता है तो प्रश्नों का समय तो वैसे ही दस मिनट बीत गया है। मुझे निजी तौर पर कोई आपत्ति नहीं है। आगरे के मसले को लेकर हम लोगों ने भी नियम ५६ के तहत दिया है कि सदन के अंदर आगरे के बारे में विचार होना चाहिए। तो किस नियम के तहत हो इसका फैसला करना आप का काम है। लेकिन आगरे के बारे में विचार होना चाहिये। बहुत गम्भीर घटना हुई है और वहां पर स्थिति इस समय ठीक नहीं है। हम सत्ता पक्ष के लोगों ने यह जानते हुए भी कि नियम ५६ के अन्तर्गत नहीं देना चाहिए हमने दिया है। हमारा आप से निवेदन है कि आगरे के बारे में सदन के अंदर बहस होनी चाहिए। नियम ३११ के अन्तर्गत वैधानिक तरीके से जो प्रस्ताव माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने रखा है कि प्रश्नों का समय स्थगित किया जाय माननीय नेता सदन ने खड़े हो कर उसका विरोध किया है तो आपके सामने एक ही विकल्प है कि इस पर मत विभाजन करा लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

श्रीमन् हरिजन समस्या, हरिजन उत्पीड़न को ले कर इस सदन पर मुझे आशा थी कि गंभीरता से विचार होगा। दो चार दिन पहले मैंने निवेदन किया था कि आगरे के बारे में चर्चा होनी चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया। १४ अप्रैल को जुलूस निकलता है। उसके बाद प्रतिदिन वहां सौ दो सौ आदमी जेल चले जाते हैं मैं चाहूंगा कि किस नियम के तहत चर्चा करनी चाहिए इसका मतलब नहीं है लेकिन जैसा श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा यह गम्भीर मसला है। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। बड़ी गम्भीर हालत वहां पर है।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जब भी इस प्रदेश में विशेष परिस्थिति आयी है तब चाहे ३११ की बात हो आपने हमारी रक्षा की है और ३११ के अन्तर्गत या जो भी प्रस्ताव हो कार्य स्थगित कर के चर्चा हुई है। लखनऊ की बात हो या और कोई हो आपने स्वतः सदन का कार्य स्थगित करके उस पर चर्चा की है। वहां पर पुलिस असफल रही है, मिलेट्री बुलाई गयी है, गोलियां चलाई गयी हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोगों की लाखों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। मान्यवर, इससे असाधारण स्थिति और क्या हो सकती है कार्य-स्थगन के लिए। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल कर के हमारी रक्षा करें। सामान्य लोगों की बात नहीं है हरिजनों की बात है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि स्वतः अपने अधिकार का प्रयोग कर के जैसी आप ने परम्परा डाली है कार्य स्थगित कर के इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सरकार की नीति इस पर आगे के लिए क्या है और इस समय वहां क्या हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

इसमें एक प्रस्ताव रखा है माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने नियम ३११ के अन्तर्गत कि आप प्रश्नों के समय का घंटा स्थगित कर दिया जाय और जो प्रश्नों के समय का नियम है उसको निलम्बित कर दिया जाय। तो अभी देव बहादुर सिंह जी ने कहा तो आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे सामने जबकि प्रश्नों का घंटा मैंने निलम्बित किया हो।

एक सदस्य--

हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

मेरे सामने नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि नियम में मुझको अधिकार होता तो मैं ऐसा करता। नियम ३११ में तो सदन ही कर सकता है। माननीय तिवारी जी ने नेता सदन से अनुरोध किया है। वह इसको मान लें....

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)

मेरा सुझाव है कि शाम को ४ बजे एक घंटे का समय दे दें और उस समय पूरी जानकारी कर मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

मैंने भी कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं। इसको राजनैतिक प्रश्न न बनाया जाय और न ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाय। आगरा जल रहा है और उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि नेता सदन इस विषय को गम्भीरतापूर्वक लें। हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका असर सत्ता पर पड़ सकता है। उन लोगों में असंतोष व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष--

आप नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे है? सीधी बात कहें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

नियम ३११ में ऐसी प्रक्रिया नहीं है....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

आप नियमों में उलझ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

आज हरिजनों को मारा जा रहा है। यह शर्म की बात है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप शान्त हो जायें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण इसको राजनीतिक प्रश्न न बनायें। न इसको लोकप्रियता या कोई विज्ञापन का प्रश्न बनावें। आप शान्त रहें।....

(व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष]

माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री तिवारी जी ने जो अनुरोध किया है इस सम्बन्ध में आप कुछ कहेंगे ?

(शोर)

आप बैठिये । इस तरह से नहीं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री तिवारी ने जो अनुरोध किया है क्या आप इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि शासन इस प्रश्न की गम्भीरता को अनुभव नहीं करता । यह भी नहीं है कि कहीं शासन यह चाहता हो कि किसी हमारे समाज के शोषित, दलित या पीड़ित लोगों के विरोध में इस प्रकार की कार्यवाही की जाय ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शांत रहें । इस तरह से शोर नहीं करना चाहिए ।

श्री राम नरेश यादव--

इस तरह की कोई बात होती है तो वह हमारे लिए समाज के लिये और सब के लिये दुखद है । लेकिन यह आज जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रखा गया है, वह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

काय-स्थगन का नहीं नियम ३११ के अन्तर्गत नियमों के निलम्बित करने का है ।

श्री राम नरेश यादव--

इसलिए नियमों में निलम्बित करने का प्रश्न नहीं है । यह अवश्य है कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पूर्ण जानकारी के बाद सदस्यों को पूरी स्थिति की जानकारी दे दूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर वहां मिलेट्री लगी है और मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है । मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें । यह कहते हैं कि जानकारी नहीं और शासन चल रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, अखबार कह रहे हैं कितनी गम्भीर स्थिति है और यह कह रहे हैं कि जानकारी नहीं ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

इनका रेडियो कह रहा है और मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि वह संसदीय परम्परा के ज्ञाता हैं । प्रश्नों के बाद लिया जाता है तो दिक्कत नहीं । लेकिन प्रश्नोत्तर काल में माननीय तिवारी जी ने उठा दिया । मुझे आश्चर्य है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आश्चर्य तो हमें है मान्यवर, कि आगरा में क्या हो रहा है, यह शासन को जानकारी नहीं ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, वहां गोलियां चल रही हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उसकी जानकारी करायेंगे यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी गम्भीर स्थिति के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं ।

(शोर)

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

मान्यवर, मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी श्री नरायण दत्त तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने १८ प्रतिशत/रिजर्वेशन हरिजनों के लिए रखा था, तो उसमें रिजर्वेशन कितने परसेन्ट हरिजन हो पाये। आपने हरिजनों की हत्या की । अगर वह रिजर्वेशन पूरा हो गया होता, तो आज यह घटना हो न होती । हम उस जुल्म को नहीं चलने देंगे । मान्यवर, य लोग हरिजनों के हत्यारे हैं । इन लोगों ने हरिजनों का खून चूसा है ।

(तालियां)

श्री नरायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जितनी यहां तालियां चल रही हैं, उससे ज्यादा वहां गोलियां चल रही हैं ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मेरे कहने पर विपक्ष के सदस्य उत्तेजित हो उठे । मेरा यह मतलब कतई नहीं था कि कोई जानकारी नहीं है । मेरे कहने का तात्पर्य इतना था कि अब तक जो घटनायें हुयीं हैं, उन सब के बारे में विस्तृत सूचना, जब भी मान्यवर, आपके आदेश होंगे, तब दे दूंगा ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

सूचना अभी चाहियें ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें । आप बैठ जांय ।

माननीय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि कोई भी विषय जिसके ऊपर चर्चा या बहस हो यह आवश्यक है कि सरकारी पक्ष को भी मालूम हो । माननीय मुख्य मंत्री जी यह आश्वस्त कर रहे हैं कि यह शीघ्रातिशीघ्र इसकी सूचना मंगवा कर सदन को देंगे । यह भी आप जानते हैं कि नियम ५६ के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार भी होता है तो उस दिन का कार्य समाप्त होने से एक घंटा पहले इसको विवाद के लिये लिया जा सकता है । अगर आप लोग सहमत हों तो मैं माननीय मुख्य मंत्री को इस बात के लिये निर्देश दे सकता हूं कि वह इस सम्बन्ध में चार बजे तक पूर्ण सूचना प्राप्त करके सदन को वह सूचना दे दें और उसके पश्चात् एक, दो घंटे अथवा जितनी देर की चर्चा सदन चाहे वह चर्चा इस पर की जा सकती है । मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को जल्दी में नहीं लेना चाहिये, नहीं तो आप अपनी अपनी बातें तो कह सकेंगे लेकिन सरकारी पक्ष की बातें मालूम होने वाली नहीं है और इस प्रकार इससे लाभ भी होने वाला नहीं है ।

(श्री मंजूर अहमद के खड़े होने पर तथा कुछ बोलने पर ।)

मंजूर साहब, मैं खड़ा हूं । आप चाहते हैं मुझसे कि मैं विरोध पक्ष की रक्षा करूं, लेकिन जब आप ही मेरी रक्षा नहीं करते, नियमों की रक्षा नहीं करते तो मैं आप की रक्षा कैसे कर सकूंगा ? तो मैं यह कह रहा था अगर आप लोग

[श्री अध्यक्ष]

सहमत हों तो मैं मुख्य मन्त्री जी को निर्देश दे सकता हूं कि चार बजे वह पूर्ण स्थिति से सदन को अवगत करायें और उसके बाद इस पर चर्चा हो सकती है। इसके लिए आप को नियम ३११ का प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् आप जानते हैं कि मैं पिछले तीस ३२ साल से पार्लियामेंटरी पद्धति का विद्यार्थी रहा हूं।

(व्यवधान व शोर गुल)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बार-बार खड़े होते हैं। कम से कम आप को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिये कि इस सदन के अन्दर किस तरह से बोला जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पहले भी कई अवसर आये हैं जब नियमों को निलम्बित कर के प्रश्न के घंटे को खत्म करने की मांग की गयी तो माननीय सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इस का घंटा ४ बज के ५ बजे रखा गया। वैसे तो प्रश्न का घंटा पहले भी समाप्त हुआ है। विरोध पक्ष की मांग पर प्रश्न के घंटे को समाप्त कर दिया गया है। फिर जो कुछ इधर से कहा गया है सदन की परम्परा तथा गरिमा को ध्यान में रख कर किया है। आगरा में जो कुछ हो रहा है वह ऐसा नहीं है कि उसकी जानकारी तत्काल मुख्य मंत्री जी के पास न हो। उसके लिए चार बजे तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। यह विषय बहुत महत्व का है और सदन आज से कुछ दिनों के लिये उठ भी रहा है। आगरा के कई सदस्य वहां स्थिति का अध्ययन करने के लिए पहुंच भी जायेंगे। तो यह नहीं माना जा सकता कि शासन में रहते हुए मुख्य मंत्री जी के पास तत्काल कोई तथ्य न हों जब कि आर्मी बुला ली जाय, कर्फ्यू लगा दिया जाय। वहां चार, पांच बार गोली चली। सिविल वर्ग के लोग मारे गये और इसकी जानकारी मुख्य मंत्री जी को न हो।

आप मुख्य मंत्री जी को यह निर्देश दें कि वे तत्काल सूचना देने को तैयार हैं या नहीं। यह विरोध पक्ष जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यह पार्टी का प्रश्न नहीं है। सभी दलों के सदस्य यह चाहते हैं कि इसको अविलम्ब लिया जाय। जो बहुमत पक्ष है उसके अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि इस पर विचार किया जाय तो मेरा आपसे आग्रह है कि नियम निलम्बित कर के मुख्य मंत्री जी अभी वक्तव्य दें, जो कुछ सूचना हो उसे दें और उसके बाद इस पर चर्चा हो।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री ने बड़ी हल्की तौर से कह दिया कि हम सूचना एकत्र करा लेंगे। मान्यवर, यह पहला मौका है जब कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर में सेना बुला ली गई हो। सेना तब तक नहीं बुलाई जा सकती जब तक कि प्रदेश के मुख्य मंत्री से रिक्वेस्ट न की जाय कि सेना भेज दी जाय। पूरी सूचना मुख्य मंत्री के पास है और वहां सेना बुला ली गई है, इस बात को सामने रखते हुये हम आपके द्वारा फिर से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह दरख्वास्त करेंगे कि नियम ३११ के आधार पर जो रखा गया है उसको निलंबित करके, इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

और वे निर्देश मानने के लिए तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, इसी संदर्भ में २४ तारीख को नियम ३०१ के अन्तर्गत यह मामला उठाया गया था और नियम ५१ के अन्दर आप ने वक्तव्य के लिए इसे स्वीकार भी किया था । आज या कल में इसकी डेट भी आपने दी थी । १० दिन से यह मामला सदन में उठ रहा है जितने भी तथ्य इस बारे में मौजूद हों, उन्हें मुख्य मंत्री घोषित कर दें ।

(इस समय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न को रख रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'--

अभी मैं आगरे से आ रहा हूं....

श्री अध्यक्ष--

मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'--

मुझे वहां की स्थिति की पूरी जानकारी है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को डेढ़ घन्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(सदन की कार्यवाही ११ बजकर ३२ मिनट पर डेढ़ घंटे के लिए स्थगित हुई ।)

(१ बजकर २ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

---

†प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २ मई, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

ग्रामोद्योग में सम्मिलित उद्योगों की सूची

**१--श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन उद्योगों को राज्य सरकार ने ग्रामीण उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया है ? और अधिक से अधिक तथा कम से कम कितनी वित्तीय सहायता विभिन्न प्रकार के ग्रामीण उद्योगों को दी जा सकती है ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पटर्न पर निम्नलिखित २१ उद्योगों को ग्रामोद्योगों की सूची में सम्मिलित किया है :--

१--अनाज एवं दाल प्रशोधन

२--गुड़ एवं खाण्डसारी

३--ताड़ गुड़ एवं ताल वस्तु

---

†नियम ४१ के अनुसार प्रश्नोत्तर छापे गये ।

४--ग्रामीण तेल घानी
५--अखाद्य तेल एवं साबुन
६--ग्रामीण चर्म उद्योग
७--ग्रामीण कुम्हारी
८--कुटीर दियासलाई
९--मधुमक्खी पालन
१०--लोहार एवं बढ़ईगीरी
११--हाथ कागज उद्योग
१२--रेशा उद्योग
१३--कुटीर चूना
१४--खाद तथा मिथेन गैस
१५--लाख उत्पादन
१६--कत्था उत्पादन
१७--आलमोनियम के घरेलू बर्तन का उत्पादन
१८--गोंद उत्पादन
१९--औषधि प्रयोजनों के लिये जंगली जड़ी-बूटियों और फलों का संचय
२०--बांस तथा बेंत का कार्य
२१--फल संरक्षण तथा उपयोजन

उपरोक्त ग्रामोद्योगों के लिये वित्तीय सहायता पंजीकृत संस्थानों/सहकारी समितियों एवं व्यक्तिगत कारीगरों को सुलभ की जाती हैं। प्रत्येक सहकारी समिति को प्रारूप के अन्तर्गत अधिक से अधिक उसकी जमा हिस्सा पूंजी के आठ गुने तक ऋण दिया जाता है तथा पंजीकृत संस्थाओं और व्यक्तिगत कारीगरों को खादी कमीशन के प्रारूप के अन्तर्गत जमानत देने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रत्येक ग्रामोद्योगों की इकाइयों के लिये ऋण के रूप में वित्तीय सहायता का प्रारूप अलग-अलग है। सामान्यतः चर्मउद्योग में मोची के लिये कम से कम ५० रुपये और हाथ कागज उद्योग में अधिक से अधिक ५ लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है।

मेरठ जिले के हस्तिनापुर टाउन एवं हस्तिनापुर सेन्ट्रल टाउन में बिजली की आपूर्ति

**२--श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई) तथा श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मेरठ जिले के हस्तिनापुर टाउन को ८ मार्च, १९७८ से १६ अप्रैल, १९७८ तक कितने घंटे बिजली दी गयी है और हस्तिनापुर सेन्ट्रल टाउन में मदन सूती मिल को तथा मदन सूती मिल कालोनी को कितने घंटे बिजली दी जाती है? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

मेरठ जिले के हस्तिनापुर टाउन को ८ मार्च, १९७८ से १६ अप्रैल, १९७८ तक ७८८·३७ घंटे बिजली दी गई। हस्तिनापुर सेन्ट्रल टाउन में मदन सूती मिल को ९१९·३३ घंटे बिजली दी गई। मदन सूती मिल कालोनी को उक्त अवधि में हस्तिनापुर टाउन के समान ही ७८८·३७ घंटे बिजली दी गई।

प्रदेश के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच एवं उनकी पदोन्नति सम्बन्धी विचाराधीन आदेश

**३—श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच चल रही है उनकी पदोन्नति के मामले में केन्द्रीय शासन में जनता सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में चल रही जांच के मामलों में अपनाई गई नीति प्रदेश में जनता सरकार द्वारा भी अपनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या इस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस दिनांक तक संशोधित आदेश जारी हो जावेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन द्वारा अपनाई गई नीति के अनुरूप आदेश जारी करने का प्रश्न विचाराधीन है । शासन का निर्णय होने पर ही आवश्यकतानुसार आदेश जारी करने का प्रश्न उठेगा ।

हरिजन तथा समाज कल्याण, निदेशालय, लखनऊ के शोध अधिकारी के पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव

**४—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष १९७६ के अक्तूबर माह में कोई चुनाव हुआ था ? यदि हां, तो उस पर किसकी और कब नियुक्ति हुई है ? क्या यह सही है कि कार्यरत अधिकारी का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)—

जी हां । उस पद पर श्री राम जीत शुक्ल की नियुक्ति दिनांक ३० दिसम्बर, १९७७ को हुई ।

जी नहीं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*१—श्री हुक्म सिंह परिहार—

[४थे शुक्रवार में २९(४) में प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले के ग्राम मडार बिन्दु बलिया टोला, श्रीनगर के श्री धीर राव तथा श्री जंगबहादुर राव की हत्या

*२—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड नौरंगिया के ग्राम मडार बिन्द, बलिया टोला, श्रीनगर में दिनांक २ अप्रैल, १९७८ को शाम ४ बजे को सर्वश्री धीर सिंह तथा जंगबहादुर सिंह की निर्मम हत्या हुई ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और कौन-कौन से अभियुक्त हैं और उनमें से कितने पकड़े गए ? उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार एक बाग की लकड़ी बेचने के विवाद को लेकर पट्टीदारों के बीच झगड़ा हुआ जिसमें सर्वश्री जंगबहादुर राव तथा धीर राव का कत्ल कर दिया गया। तदनुसार थाना नौरंगिया में भा० द० वि० की धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२/१२०-बी के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या २५ अंकित किया गया, जो विवेचनाधीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में निम्नलिखित ८ अभियुक्तों को नामजद किया गया है :

(१) श्री बलवन्त राव पुत्र श्री सन्तराव
(२) श्री राम जी राव पुत्र शीतल राव
(३) श्री लाल साहब पुत्र बलवन्त राव
(४) श्री महेन्द्र प्रताप राव पुत्र बलवन्त राव
(५) श्री मणवेन्द्र राव पुत्र बलवन्त राव
(६) श्री फारुक मियां
(७) श्री दया बनियां
(८) श्री राम आसरे पुत्र सूरज अहिर

कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है। उनके खिलाफ जाब्ता फौजदारी की धारा ८२/८३ की कार्यवाही की जा रही है।

मेरठ में नाथू राम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे का नागरिक अभिनन्दन

*३—श्री आरिफ मोहम्मद खां तथा श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ नगर में मार्च, १९७८ में नाथू राम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे का नागरिक अभिनन्दन हुआ जिसमें महात्मा गांधी विरोधी नारे भी लगाए गए ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

फर्रुखाबाद जिले के थाना कमालगंज के थानाध्यक्ष के विरुद्ध एक डाक्टर को पीटने की शिकायत

*४—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद), श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद) श्री वंशगोपाल चौबे (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री गेंदालाल गुप्त (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी मिली है कि फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज थानाध्यक्ष के विरुद्ध एक स्थानीय प्रतिष्ठित एम० बी० बी० एस० डाक्टर को दिनांक २८ मार्च, १९७८ को गाली-गलौज करने, थाने में बुलाकर धूप में खड़ा करने, धक्का देने और पीटने की गम्भीर शिकायत हुई है ? यदि हां, तो अभी तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? जांच किसने की ? और क्या जांच में शिकायतकर्ता से पूछा गया ? यदि हां, तो कब, किसने और कहां जानकारी की ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायत की जानकारी शासन को मिली थी ।

शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी नगर फर्रुखाबाद ने मौके पर जाकर दिनांक ७-४-७८ व ९-४-७८ को की तथा जांच के मध्य शिकायतकर्ता से भी सम्पर्क स्थापित किया । उनकी जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टर को थाना कमालगंज से थाना ठठिया पर स्थानान्तरित किया गया ।

उन्नाव जिले में चोरी, डकैती, हत्या आदि की घटनायें

*५--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक उन्नाव जिले में कितनी हत्या, डकैती, राहजनी, चोरी आदि की घटनाएं हुयीं तथा वर्ष १९७४ में कितनी घटनाएं हुई थीं ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद उन्नाव में हत्या की ६९, डकैती की ४५, राहजनी की १२३ तथा चोरी की ३७० घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई । वर्ष १९७४ की इसी अवधि में हत्या की ५१, डकैती की ५४, राहजनी की १०१, तथा चोरी की ३९८ घटनाएं हुई थी ।

*६--श्री रियासत हुसैन--

[२६ अप्रैल, १९७८ को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त ।]

मैनपुरी जिले के डकैत श्री काशी एवं उसकी पत्नी की शिकोहाबाद पुलिस की मुठभेड़ में हत्या

*७--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक २८ मार्च, १९७८ को ११ बजे दिन कुख्यात डकैत काशी की शिकोहाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना श्री दलवीर सिंह आदि ने उसी दिन तार द्वारा जिला प्रशासन को दी थी ? क्या यह सही है कि डकैत काशी की पत्नी से ५० हजार रुपया न मिलने के परिणाम-स्वरूप थाना नगला खण्डरा, मैनपुरी के गांव में उसी दिन शाम को ४ बजे पुलिस ने उसे गोली मार दी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त डकैत के मारे जाने की सूचना स्थानीय पुलिस ने ३ अलग-अलग वायरलेसों द्वारा दी और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक जो उस दिन आगरा में मौजूद थे, को सूचना नहीं दी ? यदि हां, तो तार तथा तीनों वायरलेस की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे, कृपया बतायेंगे कि घटना के पूर्व तथ्य क्या हैं और क्या घटना से पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी सम्बन्धित हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २८ मार्च, १९७८ को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी द्वारा लगभग ११·४५ बजे दिन कटरा बाजार शिकोहाबाद में कुख्यात डकैत काशी को पकड़ा गया । और उससे कोई माल व हथियार बरामद

नहीं हुआ । उस पर विश्वास करके पुलिस पार्टी उसके बताने के अनुसार माल व हथियार की बरामदगी हेतु उसे मैनपुरी और नगला खंगर के बीहड़ में ले गई परन्तु कोई बरामदगी न होने पर उसे थाना नगला खंगर में बंद कर दिया गया । पुनः उसके द्वारा विश्वास दिलाने पर पुलिस पार्टी उसे बरामदगी हेतु जब ले जा रही थी तब रात्रि के लगभग दस बजे नहर पुल मौजा खोड़ई के पास उक्त डकैत के साथियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इसी मुठभेड़ के दौरान भागने की चेष्टा में काशी डकैत मारा गया ।

प्रश्न में उल्लिखित तार प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । तार में उल्लिखित तथ्य निराधार पाये गये । यह सही नहीं है कि उक्त डकैत की पत्नी से रुपया न मिलने के कारण पुलिस द्वारा उसे गोली मार दी गई । पुलिस मुठभेड़ में उक्त डकैत के मारे जाने की सूचना एक रेडियोग्राम द्वारा संबन्धित अधिकारियों को दी गई थी जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । आगरा में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक को काशी की गिरफ्तारी व दविश आदि की सूचना दस्यु उन्मूलन अभियान के एक सी० आई० के माध्यम से दी गई थी । अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक २६ मार्च, १९७८ को प्रातः शिकोहाबाद आये थे ।

प्रश्नगत घटना के दिन पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अवकाश पर थे और जिले से बाहर थे ।

उपर्युक्त घटना की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है, जिसके बाद वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी और तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२८५ पर ।)

श्री वीरा नन्द चटर्जी, प्रधानाचार्य, विद्यांत डिग्री कालेज, लखनऊ के गायब होने की घटना

*८--श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा), श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री नरेश चन्द्र वर्मा (जिला खीरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यान्त डिग्री कालेज, लखनऊ के प्रिंसिपल (श्री वीरानन्द चटर्जी), ६ अप्रैल, १९७८ से कालेज से गायब कर दिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना अमीनाबाद, लखनऊ में कराई गई ? यदि हां, तो घटना के पूर्ण तथ्य क्या हैं ? क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस उनको खोजने में असमर्थ रही ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको खोज निकालने का कार्य सी० बी० आई० को सौंपने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वीरानन्द चटर्जी, प्रधानाचार्य, विद्यान्त डिग्री कालेज, लखनऊ की विलुप्ति के सम्बन्ध में थाना अमीनाबाद, लखनऊ में दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ।

स्थानीय पुलिस द्वारा श्री चटर्जी की तलाश कई स्थानों पर तत्परता से की गई । श्री चटर्जी कालेज के संघ की मांगों की पूर्ति न कर पाने, रक्त चाप की बीमारी तथा मानसिक संतुलन बिगड़ जाने के कारण दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को इलाहाबाद अपने भाई के यहां चले गये थे और वहां से हाशिमारा जलपाइगुड़ी तथा शिलांग होते हुए दिनांक २८ अप्रैल, १९७८ को गौहाटी मेल से लखनऊ

सुरक्षित वापस आ गये हैं। वे स्वेच्छा से गये थे, अतः उनकी विलुप्ति के सम्बन्ध में किसी अपराध का होना नहीं पाया गया।

रामायण मेला, चित्रकूट, बांदा में बिहार के मुख्य मंत्री के भाषण के समय उपद्रव

*९—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिहार के मुख्य मन्त्री ने जब रामायण मेला, चित्रकूट, बांदा में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भाषण शुरू किया तो उस समय उस सभा में उपद्रव शुरू हुआ और पुलिस ने पूरा प्रबन्ध नहीं किया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था और इनकी सभा में उपद्रव क्यों शुरू हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

यह कहना सही नहीं है कि रामायण मेला चित्रकूट, बांदा में अप्रल के प्रथम सप्ताह में बिहार के मुख्य मंत्री जी के भाषण के समय पुलिस द्वारा पूरा प्रबन्ध नहीं किया गया और सभा में उपद्रव हुआ। दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को उक्त मेले में बिहार के मुख्य मंत्री जी के भाषण के समय केवल चार व्यक्तियों न जाति के आधार पर आरक्षण करने के विरोध में नारेबाजी करके व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया जिन्हें फौरन गिरफ्तार करके सभा स्थल से हटा दिया गया तथा भाषण यथावत होता रहा एवम् सभा की कार्यवाही निर्विघ्न समाप्त हुई।

पीलीभीत नगर में डा० बाबूराम प्रभाती, सदस्य विधान सभा को कोतवाली पुलिस द्वारा मारे-पीटे जाने की घटना

*१०—डाक्टर बाबूराम प्रभाती (जिला पीलीभीत)—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा उनको दिया गया शिकायती-पत्र बाबत १७ दिसम्बर, १९७५ को पीलीभीत नगर में कोतवाली पुलिस द्वारा हुए भयंकर लाठी-चार्ज की ३० अगस्त, १९७७ को शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा शासन को मिले ८ अक्तूबर, १९७७ के पुनः शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक १७ दिसम्बर, १९७५ को पीलीभीत नगर में कोतवाली पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक ३० अगस्त, १९७७ शासन को प्राप्त हुआ था। इस पर अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराई गई। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच से प्रश्नकर्ता एवं अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस दल द्वारा उनको मारा पीटा जाना विदित हुआ। पुलिस के इस आचरण के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक १८ अक्तूबर, १९७७ के शिकायती-पत्र पर अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

*११--श्री धर्मराज सिंह--

[६ठे गुरुवार में २९ (४) के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

युवा संघर्ष समिति, मेरठ का प्रदर्शन एवं गिरफ्तारी

*१२--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शोषित युवा संघर्ष समिति, मेरठ ने २८ मार्च, १९७८ को १० मांगों को लेकर जिलाधीश के यहां हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया जिसमें लगभग १०० व्यक्ति मेरठ जेल में बन्द हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं, सरकार को मांगें मानने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेरठ कालेज के छात्र श्री राम पाल त्यागी की हत्या

*१३--श्री मन्जूर अहमद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ अप्रैल, १९७८ को सुबह लगभग ८ बजे मेरठ कालेज, मेरठ के एम० ए० इतिहास के छात्र श्री रामपाल त्यागी को खुले आम मार दिया गया ? यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं, मुलजिमान कौन हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि मृतक तथा अन्य के विरुद्ध थाना सदर, मेरठ में कोई रपट दर्ज थी ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ७ अप्रैल, १९७८ को त्यागी छात्रवास मेरठ के वार्डन श्री पीतम्बर सिंह त्यागी ने थाना लालकुर्ती, मेरठ पर लिखित सूचना दी कि उनके क्वार्टर में ३-४ अज्ञात व्यक्ति आज साढ़े आठ बजे सुबह आये और श्री रामपाल त्यागी को मारकर चले गये । इस सूचना के आधार पर धारा ३०२ भा० दं० वि० का अपराध कायम किया गया । अभी तक कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है । अपराध की विवेचना प्रचलित है । यह सत्य है कि मृतक तथा ५ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सदरबाजार, मेरठ में दिनांक १ अप्रैल, १९७८ को श्री कृष्णवीर सिंह, छात्र मेरठ, कालेज, ने धारा १४७/१४८/३२४ भा० दं० वि० का अपराध कायम कराया था जो विवेचनाधीन है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

श्री छेदीलाल, अम्बिया मंडी, बिशेसरगंज, वाराणसी, को विभिन्न अपराधों में हुयी सजा

*१--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

४ अक्तूबर, १९७७ के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छेदी लाल, अम्बिया मण्डी, विशेसरगंज, वाराणसी को जो कहा गया है कि शातिर डकैत है, डकैती की योजना बनाते हुए भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ा और उसमें चोट आयीं तो अब तक

कितने डकैतियों में उसको सजा हुई और चालान हुई है, क्या इस घटना २८ जुलाई, १९७७ के बारे में छेदी की स्त्री शान्ति देवी ने माननीय मुख्य मन्त्री, माननीय गृह मन्त्री, भारत सरकार तथा जिलाधीश एवं एस० एस० पी०, वाराणसी को अगस्त, १९७७ में प्रार्थना-पत्र भेजे हैं, यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

४ अक्तूबर, १९७७ के नत्थी (क) के प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर में श्री छेदी लाल, अम्बिया मंडी, विशेसरगंज, वाराणसी को शातिर डकैत नहीं बल्कि शातिर गुण्डा हिस्ट्रीशीटर कहा गया है। श्री छेदी लाल विभिन्न अपराधों से सम्बन्धित अब तक सात मुकदमों में सजा पा चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री छेदी को डकैती में सजा नहीं हुई है बल्कि धारा ३९९/४०२ भारतीय दण्ड विधान में उसका चालान हुआ है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री छेदी की पत्नी श्रीमती शान्ती देवी का प्रार्थना-पत्र दिनांक १६ अगस्त, १९७७ प्राप्त हुआ था जिसकी जांच से मारने पीटने के आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

पुलिस उप निरीक्षक, श्री के० एम० द्विवेदी, लखीमपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*२--श्री मन्ना लाल, श्री नरेशचन्द्र तथा श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि एक पुलिस उप निरीक्षक, जिनका स्थानान्तरण लखीमपुर जिले से सन् १९७७ में सी० आई० डी० विभाग, लखनऊ में पदोन्नति पर हुआ है, उनके विरुद्ध पुलिस विभाग खीरी में कितने आरोप विचाराधीन हैं ? उन आरोपों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्रश्नगत उप निरीक्षक श्री के० एम० द्विवेदी के विरुद्ध ग्यारह मामले प्रकाश में आये थे। दस मामले सी० आई० डी० को विभागीय कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। एक मामले में पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

[२ मई, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

सहारनपुर जिले के ग्राम टपरी खुर्द के हरिजनों की भूमि पर मुसलमानों द्वारा कब्जा एवं मार-पीट की घटना

*२--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सहारनपुर जिले के टपरी गांव के हरिजनों को उसी गांव के सवर्ण लोगों ने उस समय मारा जबकि वह अपनी जमीन से फसल काट रहे थे जो उन्हें भूमिहीन हरिजन होने के नाते एलाट की गयी थी और जिसकी रिपोर्ट थाना सहारनपुर में नवम्बर, १९७७ के पहले हफ्ते में लिखाई गई ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २ नवम्बर, १९७७ को श्री राम सिंह हरिजन, ग्राम टपरी खुर्द, सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर एक लिखित सूचना दी गई कि वर्ष १९७६ के मार्च के महीने में टपरी कलां व टपरी खुर्द के हरिजनों को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पट्टे दिये गये थे परन्तु टपरी खुर्द व टपरी कलां के मुसलमान भाई उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं तथा खेतों में खड़े फूस को काट लिया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक २ नवम्बर, १९७७ को हल्का लेखपाल व थाने के एक दरोगा एवं सिपाही खेतों की तफ्तीश एवं नापतोल के लिये गये हुये थे। मौके को देखकर तथा फूस के पूलों को बुग्गी में भरवाकर जब वादी तथा अन्य हरिजन व्यक्ति लेखपाल एवं दरोगा के साथ आ रहे थे तो लगभग ३-३० बजे सायंकाल रास्ते में ३९ नामजद मुस्लिम वर्ग के व्यक्तियों द्वारा लाठी-डन्डे से उन्हें तथा पटवारी को मारा पीटा गया तथा पुलिस वालों ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया परन्तु उन्हें भी धक्के मुक्के दिये गये। शोर मचाने पर ग्राम लाखनोर के काफी व्यक्ति आ गये जिन्होंने उन्हें बचाया। मार-पीट के दौरान वादी पक्ष के १६ व्यक्तियों को चोट आई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के उपरान्त अभियुक्त मौके से भाग गये एवं पुलिस वाले बुग्गी जिसमें फूस के पूले भरे हैं के पास मौके पर हैं। उक्त सूचना के आधार पर धारा १४७/३२३/३३२/३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के उपरान्त ३८ नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक १४ नवम्बर, १९७७ को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

*३--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[दिनांक १-११-७७ को नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा हो जाने के फलस्वरूप निरस्त]

घेराव की वारदात को दंडनीय अपराध मानने का प्राविधान

*४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार घेराव को एक हिंसात्मक वारदात समझ कर उस पर रोक लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

भारतीय दन्ड संहिता, १८६० की धारा १२० बी, १४३, १४७, १८६, ३४१, ३४८, ४४०, ४४१ तथा ४४२ एवं क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट, १९३२ की धारा ७ में ऐसे प्राविधान विद्यमान हैं जिनके अन्तर्गत घेराव जैसी वारदात दंडनीय अपराध की परिधि में आ जाती है। अतः उक्त प्राविधानों के होते हुए किसी अन्य विधिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश के कारागारों में ७५ वर्ष की आयु के बन्दियों को मुक्त किये जाने की मांग

*५--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनी, वाराणसी, बरेली तथा आगरा एवं घुर्मा कम्प मिर्जापुर में कितने ऐसे बन्दी हैं जिनकी उम्र ७५ (पचहत्तर) वर्ष से अधिक है, क्या ऐसे बन्दियों को जिनकी उम्र ७५ से अधिक है उनको छोड़ने के लिए सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

कारागार मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

प्रश्न में उल्लिखित जेलों में ७५ वर्ष या अधिक आयु वाले बन्दियों की संख्या निम्न है :—

१—केन्द्रीय कारागार, नैनी	१२
२—केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	१२
३—केन्द्रीय कारागार, बरेली	१४
४—जिला कारजेल, आगरा	१
५—जिला जेल, वाराणसी	१
६—सम्पूर्णानन्द शिविर, धुर्मा (मिर्जापुर)	शून्य
७—जिला जेल, बरेली	शून्य
८—केन्द्रीय कारागार, आगरा	यह जेल इस समय बन्द है
योग ..	४० बन्दी

७५ वर्ष या अधिक आयु वाले बन्दियों को केवल आयु के आधार पर मुक्त करने का कोई प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

ट्रैफिक पुलिस कान्सटेबिल का विशेष वेतन

*६—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में ट्राफिक कान्सटेबिल को मात्र तीन रुपए मासिक विशेष भत्ता दिया जाता है ? क्या यह सही है कि इस विशेष भत्ते से ही ट्राफिक कान्सटेबिल को वर्दी की धुलाई भी देनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त भत्ते में वृद्धि करने तथा वर्दी की धुलाई हेतु अलग व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

ट्राफिक पुलिस कान्सटेबिल को तीन रुपया प्रतिमास की दर से विशेष वेतन स्वीकृत था जिसे १-११-७३ से बढ़ाकर ५ रु० प्रति मास कर दिया गया है । उनके लिये कोई धुलाई भत्ता स्वीकृत नहीं है । चूंकि उक्त विशेष वेतन १-११-७३ से ही बढ़ाया गया है अतः इसे और बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

स्वदेशी पालीटेक्स, गाजियाबाद के अंशधारकों की बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष, श्री शशिकान्त वर्मा की अवैधानिक निरुद्धि

*७—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ६ दिसम्बर, १९७७ को प्रयाग उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री ए० सी० माथुर को स्वदेशी पालिटेक्स, गाजियाबाद के अंश धारकों (शेयरदारों) की विशेष बैठक की अध्यक्षता हेतु नियुक्त किया गया था किन्तु अवांछनीय समाज विरोधी तत्वों ने न्याय मूर्ति माथुर को बलपूर्वक तीन घंटे तक एक कमरे में बन्द कर मीटिंग की अध्यक्षता से वंचित कर दिया जिसकी विधिवत् सूचना सम्बन्धित थाने में दर्ज है ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव--

तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय द्वारा दिनांक ७-१२-७७ को होने वाली स्वदेशी पालीटक्स, गाजियाबाद के अंशधारकों की एक विशेष बैठक हेतु यह आदेश पारित किया गया था कि श्री सीताराम जयपुरिया के स्थान पर श्री शशि कान्त वर्मा, अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर जिनके साथ उपर्युक्त अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी थे जब न्यायालय के आदेश की सूचना देने स्वदेशी पालीटेक्स के प्रांगण में गये तो उन्हें सभा भवन में जाने नहीं दिया गया और श्री वर्मा को एक कमरे में बैठकर श्री सीताराम जयपुरिया का इन्तजार करने को कहा गया न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर की सूचना के आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया जिसकी विधिवत विवेचना की रही हो। श्री एस० एन० राना, असिस्टेन्ट सिक्योरिटी आफिसर, स्वदेशी पालीटेक्स को बन्दी बनाया जा चुका है जो न्यायालय से जमानत पर रिहा हो गये हैं।

*८--श्री सुखपाल पान्डेय--

[४ थें सोमवार (१७-४-७८) को तारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत उत्तरित]

*९--श्री ऊदल--

[दिनांक ४-४-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १७ द्वारा उत्तरित।]

फल उपयोग निदेशालय, रानीखेत को लखनऊ स्थानान्तरण करने की मांग

*१०--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फल उपयोग विभाग का निदेशालय रानीखेत से लखनऊ न लाने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि निदेशक, लखनऊ में रहते हैं और फियर लैन्ड नामक भवन का किराया रानीखेत में निदेशक के निवास के लिए शासन को भुगतान करना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री शोबन सिंह जीना) पर्वतीय विकास मंत्री--

फल उपयोग निदेशालय रानीखेत से लखनऊ इसलिए नहीं लाया जा सकता है क्योंकि वह वहां से प्रदेश के अधिक फल उत्पादक पर्वतीय सम्भाग के ८ जनपदों में उद्यान एवं फल उपयोग के काय कलापों को नियंत्रित कर रहा है। जनवरी, १९७४ से मैदानी क्षेत्र का भी उद्यान एवं आलू विकास कार्य निदेशक फल उपयोग के अधीन आ जाने से उन्हें लखनऊ में भी रहना पड़ता है। जहां तक फियर लैन्ड नामक भवन (रानीखेत) का किराया शासन द्वारा वहन किये जाने का प्रश्न है, उक्त भवन का जो भाग निदेशालय के उपयोग में है उसका किराया शासकीय मद से वहन किया जाता है पर जो भाग निदेशक के निवास के लिए है उसके किराये का भुगतान निदेशक स्वयं करते हैं।

प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

*११--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि १४ फरवरी, १९७८ को प्रयाग विश्व-विद्यालय में छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया? यदि हां, तो क्यों? सरकार द्वारा अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव--

दिनांक १४ फरवरी, ७८ को प्रयाग विश्वविद्यालय में छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया। वास्तव में दिनांक १५ फरवरी, ७८ को कुलपति के निवास एवं विश्वविद्यालय के प्रांगण में हिंसा व तोड़-फोड़ करने के आरोप में कुछ छात्र गिरफ्तार किये गये थे। चूंकि उक्त गिरफ्तारी के समय छात्रों द्वारा पुलिस का उग्र हिंसात्मक प्रतिरोध किया गया, अतः पुलिस को आवश्यक बल प्रयोग करना पड़ा। इस सम्बन्ध में दो अभियोग पंजीकृत हुये जिनमें कुल मिलाकर ६५ छात्र गिरफ्तार किये गये। दोनों मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं।

*१२--श्री ऊदल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

*१३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री बाबू लाल विद्यार्थी, श्री मन्नू राम, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री श्याम देव, श्री बेचू राम, श्री मोहन सिंह तथा श्री शतरुद्र प्रकाश।

[दिनांक २२-३-७८ को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त]

ग्राम परिहन रोला अम्बेदकर नगर, जिला खीरी के श्री मिट्ठू हरिजन की हत्या

*१४--श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी लखीमपुर जनपद के ग्राम परिहन रोला अम्बेदकर नगर तथा पलिया निवासी का दिनांक १९ फरवरी, १९७८ को ७.३० बजे हाथ-पैर बांध कर कुछ प्रभावशाली भूमि चोरों ने जिन्दा जला दिया है जिससे समाज के कमजोर वर्ग एवं हरिजनों में भय, आतंक पैदा हो गया है, यदि हां, तो अब तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और रोक-थाम के लिए कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

श्री मिट्ठू हरिजन को जलाकर मार डाले जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार, निवासी अम्बेदकर नगर, टापर मजरा परिहन, थाना पलिया जिला खीरी द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक १९-२-७८ को रात्रि १०-३५ पर थाना पलिया पर धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत अंकित कराई गई जिसमें ग्राम पटिहन के तीन अमुक व्यक्तियों पर हत्या का शक किया गया था। विवेचना से घटना में इन व्यक्तियों का हाथ पाया गया जिससे दिनांक २६-२-७८ को मुख्य अभियुक्त गुरदास सिंह पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके २७-२-७८ को जेल भेजा गया। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कुर्की की कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप दोनों अभियुक्तों ने ४-३-७८ को न्यायालय में आत्म समर्पण किया और जेल भेजे गये। विवेचना के पश्चात् इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना से समाज के कमजोर वर्ग एवं हरिजनों में कोई असुरक्षा की भावना व्याप्त नहीं है । हरिजनों की सुरक्षा हेतु ग्राम में एक सशस्त्र गार्ड लगा दी गई है ।

*१५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[५ वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[दिनांक २५-४-७८ को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत उत्तरित]

कड़ा छाल पकाई भट्ठी काटेज वर्क्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, फिरोजाबाद, के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१७—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में कार्यरत "कड़ा छाल पकाई भट्टी काटेज वर्क्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, फिरोजाबाद" में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, गबन, धन के दुरुपयोग आदि की शिकायतें जुलाई, अगस्त सन् १९७७ और फरवरी, १९७८ में उसके २६ सदस्यों द्वारा की गयी, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र में मुख्य रूप से दो आरोप थे :—

(१) समिति के पदाधिकारियों द्वारा कोयले के वितरण में धांधली व अनियमिततायें ।

(२) अल्प बचत योजना के अन्तर्गत सदस्यों की जमा ५०,७०० रु० की धनराशि को संस्था की पासबुक की बजाय सभापति द्वारा अपने नाम की पासबुक में जमा रखना ।

प्रथम शिकायत जांच के उपरान्त निराधार पाई गई है । दूसरा आरोप सही पाया गया है और समिति के सभापति को लिखा गया है कि उक्त धन संस्था की पासबुक में हस्तान्तरित करायें ।

गाजियाबाद जिले के ग्राम गिरधरपुर की कुमारी नफीसा के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या

*१८—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९ मार्च, १९७८ को १० बजे दिन ग्राम गिरधरपुर, थाना पिलखुवा, जिला गाजियाबाद में नफीसा नाम की लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो मुल्जिमान कौन हैं और उनके साथ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १९-३-७८ को ग्राम गिरधरपुर, थाना पिलखुवा, जिला गाजियाबाद में कुमारी नफीसा के साथ बलात्कार एवं हत्या की कोई घटना नहीं हुई अपितु दिनांक १३-२-७८ को कुमारी नफीसा पुत्री श्री टहलू, निवासी ग्राम गिरधरपुर ने थाना पिलखुवा पर ओमपाल पुत्र विजयपाल निवासी गिरधरपुर के विरुद्ध वादिनी के साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर धारा ३७६ भा० दं० वि० की अपराध कायम किया गया। अपराध की विवेचना प्रचलित है।

बुलन्दशहर के ग्राम चिड़ावक के श्री सुभान अल्ला की बन्दूक, राइफल तथा कारतूस की चोरी

*१९--श्री मन्जूर अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ फरवरी, १९७८ को ९ बज रात श्री सुभान अल्ला, ग्राम चिड़ावक, जिला बुलन्दशहर ने थाना गुलावढ़ी में एक बन्दूक, एक रायफल, एक पेटी कारतूस की चोरी होने की रपट लिखाई है ? क्या यह भी सही है कि ३ फरवरी, १९७८ को बन्दूक, रायफल ग्राम में ही बरामद हुई बरामद न दिखाकर उक्त मुद्दई के भतीजे जिकरया आदि को पुलिस गुलाबड़ी ने धारा ३९९, ४०२ में बन्द करके जेल भेज दिया, जिसकी शिकायत ६ फरवरी, १९७८ को मुख्य मंत्री, एस० पी०, डी० एम० आदि को रजिस्ट्री द्वारा भेजी गयी ? यदि हां, तो रपट व शिकायत क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १-२-७८ को ११.५५ बजे रात्रि को श्री सुभान अल्ला खां पुत्र सैयद खां निवासी ग्राम चिड़ावक, जिला बुलन्दशहर ने थाना गुलावढ़ी पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट अंकित कराई कि उसी दिन करीब रात्रि के ९ बजे वादी की कोठरी का ताला तोड़कर वादी की एक बन्दूक, एक राइफल व कारतूस की पेटी श्री फजलू खां व श्री वहाजुद्दीन द्वारा चोरी कर ली गई है।

उक्त सूचना के आधार पर थाना गुलावढ़ी पर अपराध अन्तर्गत धारा ३८०/४५७ भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया एवं विवेचना प्रारम्भ कर दी गई।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ५-२-७८ को थानाध्यक्ष गुलावढ़ी को मुखबिरखास से ग्राम अट्टा असावर की एक धर्मशाला पर कुछ बदमाशों द्वारा एकत्रित होने तथा ग्राम में डकैती डालने की योजना के सम्बन्ध में सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ने अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ ग्राम अट्टा असावर की धर्मशाला पर दबिस देकर वहां पर एकत्रित डाकुओं के गिरोह को घेरा तथा दो अभियुक्तों श्री जिकरिया निवासी ग्राम चिड़ावक एवं वहाजुद्दीन निवासी ग्राम चिड़ावक को बन्दी बनाने में सफल हुए। उक्त अभियुक्तों के कहने से उक्त १-२-१९७८ की चोरी की घटना की बन्दूक रायफल एवं कारतूस बरामद किए गए। इस सम्बन्ध में अभियोग अन्तर्गत धारा ३९९/४०२ भा० दं० वि० एवं धारा २५ आर्म्स ऐक्ट थाना गुलावढ़ी पर पंजीकृत करके उपरोक्त अभियुक्तों को दिनांक ६-२-७८ को जेल भेज दिया गया। दिनांक ३-३-७८ को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गये। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्नगत मामले में ही श्री दौलतराम सिंह तथा अन्य का शिकायती पत्र दिनांक ६-२-७८ प्राप्त हुआ है एवं जिसमें दिनांक १-२-७८ को श्री सुभान अल्ला खां

के घर में हुई उपरोक्त चोरी की घटना का उल्लेख करते हुए उक्त मामले में स्थानीय पुलिस थाना गुलाबढ़ी के विरुद्ध, दिनांक ३-२-७८ को चोरीशुदा माल बरामद कर लेने एवं दिनांक ५-२-७८ की रात्रि को एक बेगुनाह व्यक्ति जिकरिया खां को कथित झूठा मुकदमा अन्तर्गत धारा ३९९/४०२ भा० दं० वि० बनाकर दिनांक ६-२-७८ को जेल भेज देने की शिकायत की गई है। इन आरोपों से सम्बन्धित अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

*२०--श्री विद्याशंकर--

[५वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रतापगढ़ के श्री अवध नारायण त्रिपाठी के आवास पर मकान मालिक द्वारा अवैधानिक कब्जा

*२१--श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री अवध नारायण त्रिपाठी, वकील, प्रतापगढ़ का मकान नं० १४८/१०, जो आपात्कालीन घोषणा के समय मकान मालिक ने पुलिस की सहायता से कब्जा कर लिया था, के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक २७ जनवरी, १९७८ को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को जांच हेतु दिया ? क्या यह मकान उस समय कब्जा किया गया जब श्री अवध नारायण त्रिपाठी इमरजेंसी में गिरफ्तार थे ? यदि हां, तो कोई जांच कर मुकदमा कायम हुआ ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार सुखदेव सिंह रोड पर स्थित मकान नं० १४८/१० में मकान मालिक अनिल कुमार आदि द्वारा ताला तोड़ कर घुस जाने और सामान गायब कर दिए जाने के बारे में श्री अवध नारायण त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को दिनांक २७-१-७८ को एक प्रार्थना-पत्र जांच हेतु दिया था। प्रार्थना-पत्र के अनुसार उक्त घटना उस समय घटी जब प्रार्थी प्रतापगढ़ में मौजूद नहीं था। प्रार्थना-पत्र की जांच कराकर दिनांक १७-४-७८ को भा० दं० वि० की धारा ४५२/३८० के अन्तर्गत मु० अ० सं० २०३ कायम किया गया जो विवेचनाधीन है।

इलाहाबाद जिले के वी० ओ० होमगार्ड की सेवा समाप्ति

*२२--श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६९ ई० में इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत कितने वी० ओ० होमगार्ड सेवा मुक्त कर दिए गए थे ? उन्हें सेवा मुक्त करने का कारण क्या था ? क्या ऐसे सेवा मुक्त किए गए वी० ओ० होमगार्डों को पुनः सेवा कार्य में लगाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

सन् १९६९ में इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत केवल एक वी० ओ० होमगार्ड सेवा मुक्त किया गया था। चूंकि विभाग में इसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। अतः सामान्य सेवा शर्तों के आधार पर इसकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं। उन्हें पुनः सेवा कार्य में लगाने का कोई प्रश्न नहीं है।

*२३—जी हुकम चन्द्र तिवारी—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

जालौन जिले के सत्र न्यायालयों में अनिर्णित मुकदमें

*२४—श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद में कितने फौजदारी के मुकदमें सत्र न्यायालयों में अनिर्णीत हैं ? कितने मुकदमें गत दो वर्षों की अवधि के पूर्व से विचाराधीन है ? क्या इन लम्बी अवधि से विचाराधीन मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की जनपद में नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने और कब तक नियुक्तियां सम्भव है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जालौन जनपद में कुल ५८१ सत्र परीक्षण सत्र न्यायालयों में अनिर्णीत हैं । इनमें से २२३ सत्र परीक्षण गत दो वर्षों की अवधि के पूर्व से विचाराधीन है ।

इनके शीघ्र निस्तारण के लिये वहां पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का एक न्यायालय सृजित कर दिया गया है । इसमें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी ।

श्री हरिराम वर्मा विधायक, अकबरपुर द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह की हत्या के मुलजिमानों से कारागार में मुलाकात

*२५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री हरीराम वर्मा, विधायक, अकबरपुर तथा उनके साथियों ने वीरेन्द्र सिंह हत्या से सम्बन्धित मुलजिमानों के फैजाबाद जेल में आने के बाद चौधरी सिबते तथा मो० नकवी, जो अब जेल में विजिटर हैं, के साथ कितनी बार जेल विजिट किया है और इन मुलजिमानों के सरेंडर के पहले कब-कब उन्होंने जेल का निरीक्षण किया है या आये है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वीरेन्द्र सिंह हत्या के मुलजिमानों के कारागार में आने के बाद, श्री हरीराम वर्मा, विधायक, अकबरपुर तथा उनके साथी चौधरी सिबते, मुहम्मद नकवी के साथ तथा अलग-अलग १० बार कारागार में आये । वीरेन्द्र सिंह हत्या के मुलजिमानों के कारागार में प्रवेश करने के पूर्व इन किसी ने भी किसी दिन जेल विजिट नहीं की ।

अकबरपुर, (फैजाबाद) के बी० एन० के० वी० डिग्री कालेज के श्री वीरेन्द्र सिंह की हत्या के मुलजिमान

*२६—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में बी० एन० के० बी० डिग्री कालेज के वीरेन्द्र सिंह की हत्या गत १८ जनवरी, १९७८ को हुई है, यदि हां, तो उसके कौन-कौन मुलजिम हैं ? क्या वे पहले से किन्हीं हत्याओं में सजा पाये हैं ? यदि हां, तो वह कौन से केस हैं ? क्या यह सही है कि स्थानीय विधायक की संस्तुति पर उन लोगों को फैजाबाद जेल में उच्च श्रेणी दी गई है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। मुलजिमों के नाम निम्नलिखित हैं—

(१) बच्चू लाल वर्मा
(२) सन्त राम वर्मा
(३) शिवमूर्ति वर्मा
(४) रामानन्द वर्मा
(५) चन्द्रभान यादव
(६) बाबूराम वर्मा
(७) सुखदेव यादव
(८) बृज राज यादव
(९) राम दुलार

कोई भी मुलजिम हत्या के मामले में सजायाफ्ता नहीं है। अतः केस बताने का प्रश्न नहीं उठता। पांच मलजिमों को उनके प्रार्थना-पत्र पर, जिन पर क्षेत्रीय विधायक की भी संस्तुति थी, विचारोपरान्त जेल मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार उच्च श्रेणी दी गयी।

*२७—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री विक्रमा राय तथा श्री गुंजेश्वर—

[भारत सरकार से सम्बन्धित होने के फलस्वरूप निरस्त]

बारुल शफा में डकैती में श्री विश्वनाथ गुप्त की हत्या

*२८—श्री श्याम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १८/१९ दिसम्बर, १९७७ को बारुलशफा 'ए' ब्लाक, कमरा नं० ४८ में डकैती पड़ी थी जिसमें श्री विश्वनाथ गुप्त को चाकू मार कर घायल किया गया था, जिनकी मृत्यु २७ दिसम्बर, १९७७ को हो गयी थी? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार कमरा नं० ४८ बारुलशफा 'ए' ब्लाक में दिनांक १८ दिसम्बर, १९७७ की रात में डकैती पड़ने तथा श्री विश्वनाथ गुप्त को अभियुक्तों द्वारा चाकू से घायल किये जाने के सम्बन्ध में उसी रात थाना हजरतगंज, लखनऊ में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया। श्री विश्वनाथ गुप्ता की दिनांक २६-१२-७७ को मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियोग धारा ३९६ भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया। अभियोग की विवेचना से ७ अभियुक्त प्रकाश में आए। इनमें से चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और एक अन्य ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। तथा शेष दो अभियुक्त फरार हैं। अब तक की विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

मुरादाबाद जिले के ग्राम चकफेरी में नसबन्दी के सम्बन्ध में करायी गयी जांच

*२९--श्री प्रदीप कुमार बजाज (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मुरादाबाद जनपद के थाना आदमपुर अन्तर्गत ग्राम चकफरी में विगत ३० मार्च, १९७७ को पुलिस ने चार अविवाहित युवकों की बलात नसबन्दी कराई और ग्रामवासियों द्वारा इसका विरोध करने पर पुलिस ने १२ व्यक्तियों को भारतीय दन्ड विधान की धारा ३३२ के अन्तर्गत सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करने के कथित आरोप में मुकदमा कायम किया और उन्हें बन्दी बना कर जेल भेज दिया ? क्या यह सत्य है कि उक्त घटना की जांच तत्कालीन जिला परिषद् अध्यक्ष, मुरादाबाद ने अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) श्री आलोक सिन्हा से कराई जिसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव--

मुरादाबाद जनपद के थाना आदमपुर के अन्तर्गत ग्राम चकफेरी में विगत ३० मार्च, १९७७ को पुलिस द्वारा किसी की बलात नसबन्दी नहीं करायी गयी थी। अपितु दिनांक ३१ मार्च, १९७६ को उक्त ग्राम के चार व्यक्तियों की नसबन्दी हुई थी। ये सभी व्यक्ति विवाहित हैं। उक्त व्यक्तियों की नसबन्दी से क्षुब्ध ग्रामवासियों ने परिवार नियोजन कार्यकर्त्ताओं से मारपीट की जिसके फलस्वरूप ११ व्यक्तियों पर भा० दं० वि० की धारा १४७/१४८/१०९/५०४/५०६/३२३/३३२ के अन्तर्गत थाना आदमपुर में लिखायी गयी रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध संख्य ६६ कायम किया। इसे न्यायालय से वापस ले लिया गया है।

उक्त घटना की जांच तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) ने सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा करायी थी। जांच से श्री राम सिंह करदम, पुलिस उप निरीक्षक सर्वश्री रामफल सिंह कांस्टेबुल थाना आदमपुर दोषी पाये गये। फलस्वरूप श्री करदम को उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में कठोर चेतावनी तथा भविष्य में सावधानी बरतने के लिए सचेत किया गया। का० श्री रामफल सिंह को आदेश कक्ष में पेशी की गई तथा १० दिन की फटीग ड्यूटी दण्ड स्वरूप दी गयी।

टिहरी गढ़वाल जिले में "चिपको" आन्दोलन के सम्बन्ध में बनाये गये बन्दी

*३०--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि फरवरी, १९७८ में टिहरी गढ़वाल में "चिपको" आन्दोलन में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था ? उनके आन्दोलन का कारण क्या है और सरकार उस सम्बन्ध में क्या नीति अपना रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

दिनांक ९ फरवरी, १९७८ को नरेन्द्र नगर में टिहरी वृत्त के बनों की नीलामी के दौरान २३ व्यक्तियों ने व्यवधान उत्पन्न किया और शान्ति भंग की आशंका होने के कारण उन्हें बन्दी बना कर उनके विरुद्ध धारा १०७/११६ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गयी। जहां तक शासन को ज्ञात है "चिपको" आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बनों के कटान का विरोध करना है। बनों की कटान के

सम्बन्ध में शासन की नीति यह है कि बनों की वैज्ञानिक ढंग से कटान होती रहनी चाहिए तथा जिन कैंचमेन्ट में भूक्षरण आदि की समस्या के कारण विशेषज्ञों की राय में कटान बन्द करने की आवश्यकता हो, उसमें उस अवधि के लिये कटान बन्द कर दिया जाय ।

भाटपार रानी के मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज में तोड़-फोड़ की घटना

*३१--श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २९ अक्तूबर, १९७७ को भाटपार रानी में मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज में पुलिस की मौजूदगी में तोड़-फोड़ की कार्यवाही अवांछनीय तत्वों द्वारा हुई जिसकी सूचना प्रश्नकर्ता ने १ नवम्बर, १९७७ को गृह सचिव तथा मुख्य मन्त्री को दी जिसमें उप पुलिस कप्तान, सलेमपुर, जिला देवरिया का हाथ होना बताया गया था ? यदि हां, तो उक्त पुलिस कप्तान के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २९-१०-७७ को छात्र संघ बनने की बात को लेकर क्षेत्रीय एवं बाहरी तत्वों का एक जुलूस नारेबाजी करता हुआ कालेज के प्रांगण में घुस कर छात्रों को पठन-पाठन करने से मना करने लगा । इसी बीच इण्टर कालेज तथा प्राइमरी स्कूल के छात्रों ने पहुंच कर ढेलेबाजी शुरू कर दी, जिससे दरवाजों में लगे हुये शीशे आदि टूट गये । इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता महोदय का दिनांक १-११-७७ का एक पत्र प्राप्त हुआ था । उक्त घटना के सम्बन्ध में उप पुलिस कप्तान के विरुद्ध शिकायत नहीं की गई है । उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं जिले की औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

*३२--श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षत्र माना गया है ? यदि हां, क्या सरकार ने औद्योगिक सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो उसका प्रतिवेदन क्या है एवं सरकार उस जनपद के पिछड़ेपन को देखते हुए कोई उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में या सम्मिलित क्षेत्र में लगाने की योजना बना रही है ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां । बदायूं जनपद को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जनपद माना गया है । बदायूं जनपद का औद्योगिक सर्वेक्षण कराया गया है । इस सर्वेक्षण प्रतिवेदन में उपलब्ध संसाधनों एवं मांग पर आधारित विभिन्न प्रकार के ३३ उद्योग लघु स्तरीय क्षेत्र में तथा १५ उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने की सम्भाव्यता दी गई है । सार्वजनिक एवं सम्मिलित क्षत्र में कोई उद्योग लगाने के लिए अभी शासन का विचार नहीं है ।

रंगाई छपायी औद्योगिक सहकारी समिति लि०, ताड़ी, वाराणसी को दिये गये ऋण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३३--श्री राम सजीवन--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि २० मार्च, १९७८ को बहुत से लोगों ने संयुक्त निदेशक. पूर्वी क्षेत्र, उद्योग वाराणसी को प्रार्थना-पत्र भी दिया है और २३ मार्च, १९७८ को लघु उद्योग मन्त्री जी को दिया है कि हमीद पुत्र नूर मोहम्मद, गांव ताड़ी, पोस्ट ताड़ी, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी न एक फर्जी औद्योगिक सहकारी समिति छपाई तथा रंगाई के बना कर बीस हजार रुपया पहले उद्योग विभाग, वाराणसी से ले लिया है और पुनः दूसरी औद्योगिक सहकारी समिति बना कर उद्योग विभाग से रुपया लेना चाहते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रेवती रमण सिंह--

संयुक्त उद्योग निदेशक, वाराणसी को दिनांक २०-३-७८ को ग्राम व पोस्ट ताड़ी के ७ व्यक्तियों द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है। दिनांक २३-३-७८ को १३ व्यक्तियों के नाम एक शिकायतीपत्र संयुक्त उद्योग निदेशक (यू० क्षे०), वाराणसी को सम्बोधित माननीय राज्य मन्त्री लघु उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक ३१-३-१९७८ को जांच हेतु भेजा गया है। जांच जारी है।

रंगाई छपाई औद्योगिक सहकारी समिति लि०, ताड़ी, जिला वाराणसी औद्योगिक सहकारी नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस समिति को अब तक कुल विभिन्न स्रोतों से १९,५०० रु० की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। हमीद पुत्र नूर मोहम्मद, ताड़ी (वाराणसी) से किसी अन्य सहकारी समिति के नाम पर आर्थिक सहायता हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी शिकायती पत्र दिनांक २०-३-७८ एवं २३-३-७८ के अनुसार जांच कराई जा रही है।

आदर्श कारागार, लखनऊ में पावर लूम पर कार्य करने वाले बन्दियों की मजदूरी

*३४--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श कारागार, लखनऊ में काम करने वाले पावर लूम बन्दियों को वर्ष १९७५-७६ की मजदूरी का भुगतान वर्ष १९७४-७५ की दरों अथवा रेट पर नहीं किया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां। १९७४-७५ की मजदूरी के हिसाब पर आडिट ने आपत्ति की थी अतः १९७५-७६ का हिसाब आडिट आपत्ति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, इस लिए दरों में भिन्नता आई।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में परिगणित जाति के न्यायाधीश

*३५--श्री चन्द्रभान मौर्य (जिला आगरा)--

क्या न्याय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है ? उनमें परिगणित जाति का कोई न्यायाधीश है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उच्च न्यायालय में किसी परिगणित जाति के न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम नरेश यादव—

उच्च न्यायालय में इस समय कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या ४८ है। उनमें परिगणित जाति का कोई न्यायधीश नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद २१७ व २२४ के अन्तर्गत की जाती है तथा यह कार्यवाही गोपनीय प्रकार की होती है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अन्य कोई सूचना गोपनीयता तथा लोक हित की दृष्टि से देय नहीं है।

*३६—श्री चन्द्रभान मौर्य—

[दवें मंगलवार के लिए स्थगित।]

प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण

*३७—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में (३५,०००) पैंतीस हजार छोटे उद्योगों में से लगभग ५० प्रतिशत इकाइयां बीमार पड़ी हैं और उन छोटी इकाइयों की विस्तृत जांच हेतु शासन ने एक कमेटी का गठन किया है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? तथा उन्हें ठीक करने के क्या उपाय किए गये?

श्री रेवती रमण सिंह—

वर्ष १९७३-७४ में भारत सरकार के लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत आने वाली २५,६६९ लघु औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार कुल १३,९३९ इकाइयां कार्यरत पाई गईं। शेष ११,७३० इकाइयां बन्द। खोज के परे (नाट ट्रेसेबिल) पाई गई।

२—बीमार इकाइयों की विस्तृत जानकारी हेतु किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

भारत सरकार की संस्तुति पर राज्य लघु उद्योगों की स्टेट बैंक आफ इन्डिया द्वार वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उनकी अन्य कठिनाइयों एवं समस्याओं पर विचार एवं निराकरण कराने के लिए एक समन्वय समिति का गठन ५ मार्च, १९७६ को किया गया था। उक्त समिति के द्वारा जांच रिपोर्ट देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यह समिति अभिज्ञापित इकाइयों की मुख्यतः वित्तीय, ऋणों की अदायगी तथा अन्य देयों के भुगतान की समस्याओं के समाधान का प्रयास करती है।

राज्य शासन औद्योगिक इकाइयों को बीमार न होने देने तथा ऐसी बीमार इकाइयों जिनका पुनरुद्धार सम्भव है, के उद्धार हेतु योजना तैयार कराने में तत्पर है।

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम दौला बलिया के हरिजनों का अस्पताल निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

*३८—श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७७ के आठवें मंगलवार के लिए निर्धारित श्री रामदत्त जोशी के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सन्दर्भ में पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम दौला बलिया, बेरीनाग ब्लाक, जिला पिथौरागढ़ के हरिजन निवासियों ने अस्पताल खोलने के लिए जनवरी, १९७८ से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र मिले हैं? यदि हां, तो उक्त स्थान में कब तक अस्पताल खुलवाने का विचार कर रहे हैं?

श्री शोबन सिंह जाना--

दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। आय व्ययक पारित हो जाने के बाद आठों जिलों में आवश्यकता के आधार पर आय व्ययक में प्राविधानित संख्या म अस्पताल खोले जावेंगे।

मेसर्स सोमानी स्टील्स लि०, उन्नाव द्वारा भूमि की खरीद

*३९--श्री हेमराज (जिला उन्नाव)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में सोमानी फैक्ट्री में जो जमीन ग्राम समाज व गरीब किसानों की ली गयी, उसमें कितनी भूमि पर फैक्ट्री चल रही है और शेष भूमि किस कार्य में प्रयोग की जा रही है?

श्री राम प्रकाश--

जनपद उन्नाव में मेसर्स सोमानी स्टील्स लि० द्वारा अपने प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु ९६ बीघा १३ बिस्वा १७-२/३ बिसवांसी भूमि का क्रय कृषकों से आपसी बात चीत द्वारा किया गया था। इस भूमि से लगभग ७ बीघा भूमि पर उक्त कम्पनी का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। कुछ भूमि फैक्ट्री के प्रयोगार्थ परती पड़ी हुई है तथा शेष भूमि पर खेती होती है। शासन द्वारा ग्राम समाज या अन्य भूमि कम्पनी को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

४०--श्री अरुण कुमार--

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित]

किच्छा शुगर फैक्ट्री, नैनीताल में चोरी

*४१--श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

विधान सभा के २८ मार्च, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किच्छा शुगर फैक्ट्री, किच्छा (नैनीताल) में दिनांक १५/१६ अगस्त, १९७६ की रात में हुई कथित चोरी की रपट पर जांच करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उपरोक्त मामला चोरी का मामला नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री स्टोर भवन की खिड़की के शीशे कमरे के अन्दर की ओर से खोले गए थे जो सुरक्षित रखे हुए थे, बाहर से तोड़े नहीं गए? यदि नहीं, तो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का पूरा विवरण क्या है? जिसके आधार पर मामला दाखिल दफ्तर किया गया?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १५/१६ अगस्त, १९७६ की रात्रि में किच्छा शुगर फैक्ट्री में हुई कथित चोरी की घटना के सम्बन्ध में विवेचना के उपरान्त पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

थाना रकाबगंज, जिला आगरा में अंकित गबन की रिपोर्ट के विरुद्ध शिकायती पत्र

*४२--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रकाबगंज (आगरा) की अपराध संख्या २०३/७६ धारा ४०९ भा० दं० सं० में विवेचना अधिकारी द्वारा

जो अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके विरोध में दिनांक ६ मार्च, १९७८ को श्री घनश्याम दास निवासी बाग मुजफ्फर खां आगरा ने संभागीय आयुक्त, आगरा व शासन को यह शिकायत की है कि विवेचना अधिकारी ने ४६,००० रुपए के गबन के कागजातों का निरीक्षण नहीं किया है और बिना सम्बन्धित वाउचर फाइलों के देखे ही अन्तिम रिपोर्ट लगा दी है ? यदि हां, तो शासन इस की पुनः जांच करायेगी और शिकायत कर्ता श्री घनश्याम दास से पूछतांछ करेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम बोठगनपुर के श्री पारस नाथ की हत्या

*४३--श्री बृजलाल (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री रामवरन वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३० जनवरी, सन् १९७८ को दिन में २ बजे पारस नाथ पुत्र रामदुलारे, निवासी ग्राम बोठगनपुर, थाना जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया ? जिसमें चार व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई परन्तु आज तक अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां । रिपोर्ट में नामांकित चार अभियुक्तों में से सर्व श्री जिया राम तथा बुद्धू को दिनांक ३० जनवरी, १९७८ को ही बन्दी बनाया गया ।

प्रश्न गत घटना के संबंध में दिनांक ३० जनवरी, १९७८ को ही थाना जयसिंहपुर में एक क्रासकेस भी अंकित कराया गया ।

दोनों मामलों की इन्सपेक्टर कोतवाली द्वारा गहराई से विवेचना की जा रही है ।

यू० पी० लघु उद्योग निगम लिमिटेड, गाजियाबाद के डिपो से गायब किया गया राक्रेलिक शीट स्क्रेप

*४४--श्रीमती पुष्पा तलवार (जिला कानपुर) तथा श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यू० पी० लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने वर्ष १९७२-७३ व १९७३-७४ में गाजियाबाद की किसी फर्म की ओर से ६० मट्रिक टन राक्रेलिक शीट स्क्रेप आयात किया था जिसमें से २७ मैट्रिक टन माल निगम के गाजियाबाद स्थित डिपो से गायब हो गया था तथा १९ मैट्रिक टन माल सम्बन्धित फर्म ने उठाने से इन्कार कर दिया ? क्या इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच की रिपोर्ट तथा इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की पटल पर रखेगी ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां । गुप्तचर विभाग द्वारा जांच करायी गयी थी तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है । अतः रिपोर्ट सदन की पटल पर रखना सम्भव नहीं है ।

यू० पी० लघु उद्योग निगम द्वारा मेरठ की फर्म हेतु आयात की गयी मशीनें

*४५—श्रीमती पुष्पा तलवार, श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यू० पी० लघु उद्योग निगम ने सन् १९७४ में मेरठ की किसी फर्म की ओर से चार मशीनें पश्चिमी जर्मनी से आयात की थी, जिन्हें उक्त फर्म ने धोखाधड़ी करके अगस्त, १९७५ में बिना निगम को कोई भुगतान किए परिवहन एजेन्सी से छुड़ा लिया ? यदि हां, तो निगम द्वारा सम्बन्धित फर्म निकासी एजेन्ट तथा परिवहन एजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्यवही की जा रही है ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां । सूचना मिलने पर इकाई को भुगतान के आदेश दिए गए। इकाई ने ३ लाख रु० चुकता किया है । शेष के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया । निकासी एजेण्ट की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं । निगम ने सम्बन्धित फर्म तथा निकासी एजेण्ट एवं परिवहन एजेन्सी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस मेरठ को दर्ज करा दी । पुलिस जांच अभी अपूर्ण है ।

बांदा जिले के ग्राम हरदौली के श्री अमीन की हत्या

*४६—श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि दिनांक १६ मार्च, १९७८ ई० को थाना बबेरू जिला बांदा के अन्तर्गत मौजा हरदौली में अल्प-संख्यक वर्ग लोगों में झगड़ा हुआ जिसमें मजरूह श्री अमीन की कई दिन बाद मृत्यु हो गई ? क्या इसकी जांच की बावत श्री रफी अहमद न प्रश्नकर्ता के पत्र सहित दिनांक २८ मार्च, १९७८ को शासन को प्रार्थना-पत्र भेजा है, उसमें रफी अहमद आदि को झूठा नामजद कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार निर्दोष फंसाए गए लोगों को बचाने की कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १६ मार्च, १९७८ को ग्राम हरदौली, थाना बबेरू, जिला बांदा में अल्पसंख्यक वर्ग के दो दलों में झगड़ा हुआ, जिसमें आहत श्री अमीन की अस्पताल में दिनांक २१ मार्च, १९७८ को मृत्यु हो गई । इस संबंध में दोनों दलों की ओर से थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। दोनों दलों का दावा है कि उनके विरोधियों ने पहले उनपर आक्रमण किया और बाद में उन्होंने आत्मरक्षा में प्रहार किये । श्री रफी अहमद के प्रार्थना-पत्र के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक २८ मार्च, १९७८ प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है किन्तु पुलिस अधीक्षक, बांदा को श्री रफी अहमद द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक २४ मार्च, १९७८ के संदर्भ में वास्तविक तथ्य ज्ञात करने हेतु पुलिस द्वारा गहराई से विवेचना की जा रही है ।

बदायूं जिले ग्राम हरफरो में गोली काण्ड

*४७—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई) श्री ब्रजबल्लभ (जिला हरदोई) तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं के हरफरो ग्राम में ६-७ फरवरी, १९७७ को पुलिस द्वारा किया गया गोली कांड किस अधिकारी के

आदेश से किया गया और क्यों ? क्या इससे सम्बन्धित राजनैतिक तथ्यों की कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ६-७ फरवरी, १९७७ को ग्राम हरफरी, जनपद बदायूं में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या १९७/७६ अन्तर्गत धारा ३९६ भारतीय दण्ड विधान थाना रजपुरा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम निरुद्धि आदेश दिनांक १४ दिसम्बर, १९७६ के अन्तर्गत वांछित अभियुक्त श्री शिव राज सिंह तथा श्री सत्य पाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। वांछित अभियुक्तों तथा उनके सहयोगियों ने पुलिस दल पर गोली चलायी तथा ग्रेनेड भी फेंके। एक उप पुलिस अधीक्षक तथा एक कांस्टेबुल को गंभीर चोटें आयीं। परिणामतः पुलिस दल को आत्मरक्षा तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इस घटना के संबंध में धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३३२ भारतीय दण्ड विधान तथा ३/४ विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत एक मुकदमा सत्र न्यायालय में विचाराधीन है।

घटना की पृष्ठ भूमि सर्वथा आपराधिक प्रवृति की थी। इसका कोई राजनैतिक सम्बन्ध नहीं था। बाद में अभियुक्त द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गयी तथा आरोप निराधार पाये गये।

अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

*४८--श्री भगवती चरण निर्मोही--

[८वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केन्द्रीय कारागार बरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४९--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)--

क्या यह सत्य है कि मार्च, १९७८ के प्रथम सप्ताह में बरेली मन्डल के सभी संसद सदस्यों ने केन्द्रीय कारागार, बरेली की घोर अनियमितताओं के विषय में मुख्य मन्त्री को एक रजिस्टर्ड पत्र भेजकर तत्काल कार्यवाही का मांग की है ? यदि हां, तो जनहित तथा प्रशासनिक हित में तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इस प्रकार का एक पत्र मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था। उसमें जांच आदेशित करी गई।

फर्रुखाबाद, रेलवे स्टेशन, कन्नौज में ट्रेन के डिब्बे में श्री आर० वी० पाटिल, सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट की हत्या

*५०--श्री झाम लाल अहेरवार--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन कन्नौज के माह मार्च प्रथम सप्ताह १९७८ एक सैनिक अधिकारी की रेलवे के प्रथम क्लास के डिब्बे में मृत्यु कर दी गयी, यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है तथा कुल कितने व्यक्तियों को पुलिस ने इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां। श्री आर० के० पाटिल, सेकेण्ड लेफ्टीनेन्ट, सिख एल० आई० दिनांक ३ मार्च, १९७८ को कानपुर से पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेन नं० ५५ अप के प्रथम श्रेणी में अपने मुख्यालय फतेहगढ़ वापस लौट रहे थे। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर श्री पाटिल का खून से लथपथ शव डिब्बे में पाया गया।

सूचना पाने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे तथा अपनी जांच प्रारम्भ की। रेलवे पुलिस ने इस मामले से सम्बन्धित तीन अभियुक्तों को बन्दी बनाकर जेल भेज दिया तथा माल भी बरामद कर लिया। चौथे अभियुक्त को खोज कर बन्दी बनाने का प्रयास जारी है।

थाना शिवरतनगंज, जिला रायबरेली के अन्तर्गत कत्ल तथा डकैती

*५१--श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या यह सही है कि थाना शिवरतन गंज, जिला रायबरेली में जुलाई १९७७ से मार्च, १९७८ तक अनेकों कत्ल तथा डकैतियां पड़ी हैं और स्थानीय पुलिस इस बिगड़ती हुई परिस्थिति पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगी?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद रायबरेली के थाना शिवरतनगंज क्षेत्र में २ हत्याओं एवं ७ डकैतियों की सूचना दर्ज हुई।

उक्त दोनों हत्याओं की घटना के संबंध में १३ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा १ ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। दोनों अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

डकैतियों के अभियोगों में विवेचना से २ मामलों में रिपोर्ट सही नहीं पायी गई। अतः डकैती का अभियोग खारिज किया गया। एक अन्य मामले में अभियोग बलवे का पाया गया। शेष चार मामलों में से २ अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया, एक में अंतिम रिपोर्ट लगी तथा एक मामले में जांच जारी है। इन डकैती के अपराधों के संबंध में १३ अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए तथा एक मामले में लूटा हुआ माल भी बरामद हुआ। अतः यह कहना सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है।

जिला सहारनपुर के ग्राम जगजीतपुर के श्री राम नाथ जौहरी का अपहरण

*५२--श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ज्वालापुर, जिला सहारनपुर के रामनाथ जौहरी नामक युवक का अपहरण दिनांक ९ मई, १९७६ को किया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस अपहरणकर्ताओं का पता लगाने में असफल रही? क्या इस घटना की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक १७ अक्तूबर, १९७७ को तथा अपहृत के बड़े भाई राम प्रसाद जौहरी का पत्र, दिनांक १७ जून, १९७६ तथा दिनांक १७ अक्तूबर, १९७७ का शासन को प्राप्त हुये थे? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला? यदि जांच नहीं कराई तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कुन्दनलाल निवासी ग्राम जगजीतपुर, ग्राम/थाना ज्वालापुर, जिला सहारनपुर ने दिनांक १० अगस्त, १९७६ को थाना ज्वालापुर पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उनका पुत्र रामनाथ जौहरी दिनांक ९ मई, ७६ को करीब १० बजे प्रातः अपनी दूकान जनता होटल, ज्वालापुर से हरिद्वार के लिए गया था और तब से वापस नहीं आया तथा उसके जीवित या मृत होने का कोई समाचार नहीं मिला। उक्त सूचना के आधार पर दरयाफ्त हाल विवेचना आरम्भ हुई और विवेचना से जुर्म धारा ३६४ भा० दं० वि० का पाये जाने पर उक्त धारा के अन्तर्गत अपराध परिवर्तित किया गया। विवेचना से रामनाथ जौहरी तथा अभियुक्तों का कुछ पता न चल सका, अतः दिनांक २३ सितम्बर, १९७७ को अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी। फिर भी उक्त रामनाथ जौहरी तथा अभियुक्तों की तलाश गुप्त रूप से जारी है।

उक्त घटना की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र, दिनांक १७ अक्तूबर, १९७७ लापता श्री रामनाथ जौहरी के बड़े भाई श्री राम प्रसाद जौहरी के प्रार्थना पत्र दिनांकित १७ जून, १९७६ एवं १७ अक्तूबर, १९७७ सहित प्राप्त हुआ, जिनकी जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से करवायी गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप अप्रमाणित रहे। स्थानीय पुलिस द्वारा श्री रामनाथ जौहरी तथा अभियुक्तों का पता लगाये जाने के संबंध में हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

इटावा जिले के ग्राम लवारपुर के श्री गिरवर सिंह की हत्या

*५३--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा, थाना बकेवर, ग्राम लवारपुर के गिरवर सिंह का कत्ल मार्च सन् १९७८ में हुआ उसमें कितने मुल्जिमान हैं? क्या उस कत्ल में उसी ग्राम के कोई थानेदार व परिवारी लोग भी मुलजिम हैं? वह थानेदार कहां तैनात है तथा क्या उन्हें निलम्बित कर जेल भेज दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सूरज सिंह, निवासी ग्राम लवारपुरा, थाना बकेवर जिला इटावा ने दिनांक १९-३-७८ को शाम को थाना बकेवर में इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसी दिन शाम को प्रार्थी के भाई श्री गिरवर सिंह की हत्या लखना बाजार से लौटते समय रास्ते में बदमाशों द्वारा गोली मार कर कर दी गई तथा पकड़-धकड़ में मौके पर दो बदमाश मर गए एवं एक बदमाश को घायल हालत में मय तमंचा के पकड़ लिया गया। प्रथम सूचना में एक थानेदार एवं उनके परिवार के लोगों सहित आठ अभियुक्त नामांकित किए गए थे। उक्त सूचना के आधार पर थाना बकेवर पर मुकदमा धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२/१२० बी भारतीय दण्ड विधान तथा २५ आर्म्स ऐक्ट का कायम हुआ जिसकी विवेचना प्रचलित है। उक्त थानेदार थाना राठ, जिला हमीरपुर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे जिन्हें निलम्बित व गिरफ्तार करके जेल भेजने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय से उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।

बाराबंकी जिले के ग्राम चमरूपुर मजरे मांगी में कत्ल सहित डकैती

*५४—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री अशर्फीलाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५/१६ दिसम्बर, सन् १९७६ ई० की दरमियानी रात को ग्राम चमरूपुर मजरे मांगी थाना रुदौली, जिला बाराबंकी के घर डकैती पड़ी जिसमें डाकुओं से मुठभेड़ करते हुए लट्ठबाज नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या लट्ठबाज की पत्नी अथवा उसके बच्चों को कोई आर्थिक सहायता दी गई यदि हां, तो क्या ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। मृतक के आश्रितों को नियमान्तर्गत असाधारण पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

देवरिया जिले के कसया न्यायालय के चपरासी की मुन्सिफ द्वारा पिटाई

*५५—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कसया न्यायालय के मुन्सिफ ने अपने चपरासी को मार कर बन्द करवा दिया और उसके विरोध में दिनांक ३० जून, १९७७ को दीवानी कचेहरी के कर्मचारियों न हड़ताल कर दी ह ? यदि हां, तो मुन्सिफ के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

इस मामले में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद जांच कर रहे हैं। दीवानी अदालत के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल विषयक मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। जांच पूरी होने पर उच्च न्यायालय जैसा उचित होगा कार्यवाही करेंगे।

इफको कारखाना, फूलपुर, इलाहाबाद के प्रदर्शनकारी श्रमिकों को पुलिस द्वारा मारने पीटने की घटना

* ५६—श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १९ दिसम्बर, १९७७ को इफको कारखाना, फूलपुर, इलाहाबाद पर सत्याग्रह करते हुए जनता श्रमिक संघ के प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेने के बाद बर्बरतापूर्वक मारने-पीटने की घटना के लिखित रिपोर्ट दिनांक २३ दिसम्बर, १९७७ को श्री राजेश्वर सिंह, एडवोकेट, इलाहाबाद की मुख्य मन्त्री महोदय को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री राजेश्वर सिंह, एडवोकेट, इलाहाबाद के दिनांक २३-१२-१९७७ के लिखित शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी। जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त शिकायत की जांच कराने पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेने के बाद बर्बरतापूर्वक मारने पीटने की घटना निराधार पाई गई।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् की मान्यता

*५७—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश की मान्यता हेतु दो पक्ष दावेदार हैं । यदि हां, तो वे पक्ष कौन से हैं ? क्या सरकार के पास इन दोनों पक्षों से सम्बद्ध राज्य कर्मचारियों की विभागीय संस्थाओं की सूची उपलब्ध है ? यदि हां, तो दोनों पक्षों को अलग-अलग दिनांक ३१ मार्च, १९७८ तक कितनी संस्थाओं की सम्बद्धता प्राप्त हुई है ?

श्री राम नरेश यादव—

यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है ।

चन्दन चौकी के थारुओं द्वारा स्टेट बैंक से लिया गया ऋण एवं उनकी भूमि

*५८—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि १९७६ में चन्दन चौकी में थारू गांव के विकास के लिए एक स्टेट बैंक की शाखा खोली गई थी और भूमि विकास के लिए उक्त बैंक से थारुओं को कर्जा दिलाया गया और यह सारा कर्जा उत्तर खीरी वन खंड के अधिकारियों ने स्वयं लिया ? बदले में ७५ एकड़ भूमि १,००० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से थारुओं को दे दिया जिसे साफ करके थारुओं ने खेती की ? बाद में यह जमीन भी थारुओं से छीन ली गई ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसकी जांच की जिसमें यह सारे तथ्य सही पाए गए ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

१९७६ में चन्दन चौकी में थारु गांव के विकास हेतु भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोली गई थी । यह ज्ञात नहीं है कि क्या भूमि विकास के लिए उक्त बैंक से थारुओं को कर्जा दिया गया । यह ही नहीं है कि उत्तरी खीरी वन प्रभाग के अधिकारियों ने थारुओं से कर्ज का रुपया स्वयं ले लिया और बदले में ७५ एकड़ भूमि १,००० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से थारुओं को दे दी जिसे साफ करके थारुओं ने खेती की और बाद में इस जमीन को थारुओं से छीन लिया गया ।

सितम्बर १९७६ में जब उत्तरी खीरी वन प्रभाग के उत्तरी सोनारीपुर रेन्ज के थारू ग्रामों को राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में थारुओं के कब्जे में चली आ रही वन भूमि का सर्वेक्षण किया गया तो यह पाया गया कि कुछ भूमि पर जुतान केवल दो तीन माह पहले का है । इस नए जुतान को अवैध मानते हुए इसे वापस ले लिया गया । वापस लेते समय, सम्बन्धित थारुओं ने शिकायत की कि उन्हें यह भूमि मुफ्त में नहीं बल्कि रुपये के बदले में दी गयी है । थारुओं ने यह रुपया स्टेट बैंक से कर्ज लेकर देना भी बताया । यह अवैध जुतान वाली भूमि लगभग ७५ एकड़ है ।

इस शिकायत की प्रारम्भिक जांच, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्ध) को सौंपी गयी । प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप शिकायत में प्राइमा फसी(Prima Facie) कुछ सच्चाई पाई गयी और गहराई व विस्तृत जांच की आवश्यकता महसूस की गई, जो हो रही है ।

लखनऊ जिले के ग्राम अमजदपुर मजरा अब्बासनगर में डकैती

*५९—श्री सन्तबख्श सिंह रावत (जिला लखनऊ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९/१० मार्च, १९७८ की रात्रि में ग्राम अमजदपुर मजरा अब्बासनगर थाना नगराम, जिला लखनऊ म भीषण डकैती पड़ी ? जिसमें तीन व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए ? यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ९ व १० मार्च, १९७८ की रात में ग्राम अमजदपुर मजरा अब्बासनगर, जिला लखनऊ में डकैती पड़ने के सम्बन्ध में थाना नगराम पर दिनांक १० मार्च, १९७८ को प्रातः एक रिपोर्ट लिखायी गई थी जिसके अनुसार इस घटना में तीन व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आईं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या ३४ अन्तर्गत धारा ३९५ भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है और प्राप्त सूचना के अनुसार अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। विवेचना प्रचलित है।

अंगरक्षक द्वारा बनाया गया फर्जी टी० ए० डी० ए० का बिल

*६०—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री बंशगोपाल चौबे तथा श्री गेंदा लाल गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९७२-७३ में कितने ऐसे अंगरक्षक थे जिन्होंने फर्जी टी० ए० डी० ए० बनाए और उसी के अपराध में उनके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ है ? सम्बन्धित अंगरक्षकों के बिलों का वेरीफिकेशन किसके द्वारा किया गया था ? क्या वेरीफिकेशन करके इन मामलों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष १९७२-७३ में एक अंगरक्षक ने टी० ए० डी० ए० का फर्जी बिल बनाया था। इस बिल का वेरीफिकेशन सम्बद्ध विधायक श्री सुखपाल पाण्डेय द्वारा किया गया था। बिल के फर्जी पाये जाने के कारण इन लोगों के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा ४२०/१०९/१२०-बी के अधीन आरोप पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट लखनऊ के न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

शिक्षितों की बेरोजगारी समाप्त करने हेतु किए गए प्रयास

*६१—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षित लोगों को रोजी रोजगार देने के लिए व बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है तथा १९७८-७९ वर्ष में कितना लक्ष्य प्रति विभाग में है ?

श्री राम नरेश यादव—

विकास के रूप को श्रम प्रधानता की दिशा देते हुए कृषि, सिंचाई, लघु उद्योगों व शिक्षा कार्यक्रमों को वरीयत देकर और विकास की गति को बढ़ाकर शिक्षित बेरोजगारी सहित बेरोजगारी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष १९७८-७९ में विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२२६ पर)।

यू० पी० आटो ट्रैक्टर लि०, तेजबहादुर सप्रू मार्ग प्रतापगढ़ की कथित बन्दी

*६२—श्री देवकुमार—

क्या यह सही है कि ४ मार्च, १९७६ को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी करीब १३ करोड़ लागत की ट्रैक्टर निर्माण फैक्टरी यू० पी० आटो ट्रैक्टर लि०, तेज बहादुर सप्रू मार्ग, प्रतापगढ़ को वर्तमान जनता सरकार द्वारा करीब ५० लाख रुपया खर्च करने के बाद बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इससे कितने इन्जीनियर व कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को अन्यत्र कार्य पर लगाने का विचार करेगी ?

श्री राम प्रकाश—

यह सही नहीं है कि सरकार ने ट्रैक्टर निर्माण फैक्टरी की योजना को बन्द कर दिया है । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

श्री राम केवल सिंह, प्लाटून कमाण्डर, पी० ए० सी०, बरेली द्वारा आत्म हत्या

१—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्लाटून कमान्डर (राम केवल सिंह), ८वीं बटालियन, पी० ए० सी, बरेली, की गोली लगने से २८ अप्रल, १९७५ को बदायूं में मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो गोली किसने चलाई और सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २१-४-७५ को श्री राम केवल सिंह ८वीं वाहिनी पी० ए० सी० के मुख्यालय से ग्राम पलिया, बदायूं में तैनात ८वीं वाहिनी, पी० ए० सी०, बरेली की एक टुकड़ी के सूबेदार श्री भूप सिंह को कार्यभार मुक्त करने गये थे । एक रायफल लेकर वे श्री भूप सिंह सूबेदार के तम्बू में गये और शिकायत की कि यह रायफल तो चलती ही नहीं, उन्होंने रायफल का ट्रेगर दबा दिया जिसकी गोली श्री भूप सिंह की गर्दन में लगकर पार निकल गई । इसके तुरन्त ही बाद श्री राम केवल सिंह ने अपने गोली मार ली । फल-स्वरूप २८-४-७५ को बरेली अस्पताल में उनकी (श्री राम केवल सिंह) मृत्यु हो गई ।

सूबेदार राम केवल सिंह के विरुद्ध थाना उझानी पर अभियोग संख्या ११०/७५ धारा ३०७/३०८/३०९ भारतीय दंड विधान दिनांक २२-४-७५ को कायम हुआ था । चूंकि श्री राम केवल सिंह की मृत्यु आत्महत्या से हो गई अतएव उक्त अभियोग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई ।

जवाहर भवन, लखनऊ में सरकारी कार्यालयों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप किराये की धनराशि की बचत

२—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जवाहर भवन, लखनऊ के निर्माण के उपरान्त कितने किराए पर चल रहे सरकारी कार्यालयों को जवाहर भवन में स्थानान्तरित किया गया है और उससे कितने किराए की बचत हुई है ?

श्री राम नरेश यादव—

जवाहर भवन लखनऊ के निर्माण के उपरान्त १५ किराये के भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को जवाहर भवन में स्थानान्तरित किया गया है। इन स्थानान्तरित किये गये कार्यालयों द्वारा २,६५,८८८ रु० वार्षिक किराये के रूप में दिया जाता था जिसकी बचत हुयी। इसके अतिरिक्त वक्फ आयुक्त कार्यालय, उ० प्र०, लखनऊ जिसके लिए वर्ष १९७७-७८ में १२,००० रु० भवन को किराये पर लिए जाने हेतु प्राविधान किया गया था को जवाहर भवन में स्थान दे दिये जाने के कारण प्राविधानित धनराशि की भी बचत हुयी है।

आगरा जिले के थाना नारखी के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की संख्या

३—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना नारखी के अन्तर्गत सितम्बर, १९७७ से दिसम्बर, १९७७ तक कितनी हत्या, डकैती, अपहरण, नकबजनी एवं राहजनी की घटनायें हुई हैं और उनमें से कितनी घटनाओं का सुराग लग चुका है? क्या उनमें नामजद व सुराग लगे अभियुक्त गिरफ्तार हुये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद आगरा के थाना नारखी के अन्तर्गत प्रश्नगत अवधि में ३ हत्या, ७ डकैती, एक राहजनी एवं २१ नकबजनी के अपराध पंजीकृत किये गये। इस अवधि में अपहरण की कोई घटना घटित नहीं हुई।

हत्या के ३ पंजीकृत अभियोगों में से २ अभियोगों में नामजद ७ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उक्त अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं। एक अभियोग की विवेचना जारी है एवं अभियुक्तों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। डकैती के ७ पंजीकृत मामलों में से एक झूठा पाया गया और खारिज किया गया। शेष ६ अभियोगों में से ४ का चालान अदालत में किया जा चुका है। इन चार डकैती के मामलों में ९ अपराधी नामजद थे और २६ अभियुक्त विवेचना के दौरान प्रकाश में आये। उनमें से १३ गिरफ्तार हुये व १३ हाजिर अदालत हुये, २ मारे गये और ३ की शकूनत तस्दीक नहीं हुई। ४ अभियुक्त फरार हैं जिनके विरुद्ध ८२/८३ दं० प्र० सं० की कार्यवाही हो चुकी है। दो डकैती के अभियोग विवेचनाधीन हैं, जिनमें ४ अभियुक्त प्रकाश में आये जो गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये हैं। राहजनी का एक अभियोग पंजीकृत हुआ जो जांच से झूठा पाये जाने पर खारिज कर दिया गया था।

नकबजनी के पंजीकृत २१ मामलों में विवेचना के उपरान्त ७ मुकदमें झूठे पाये गये और खारिज किये गये। शेष १४ मुकदमों का चालान किया गया जिसमें ६ नामजद तथा ५ प्रकाश में आये अर्थात् ११ अभियुक्तों में से ७ अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं तथा ४ अभी तक फरार हैं, जिनके विरुद्ध ८२/८३ जा० फौ० की कार्यवाही हो चुकी है एवं गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

फैजाबाद जिले के थाना हैदरगंज व बीकापुर में लिखायी गयी डकैती की रिपोर्ट

४—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में वर्ष १९७७-७८ में हैदरगंज एवं बीकापुर थान में कितनी डकैती की रिपोर्ट दर्ज हुई हैं? क्या

[श्री राम द्विवेदी--]

ग्राम सभा बरांव के प्रधान, श्री राम चन्द्र वर्मा ने १९७७ में कोई रिपोर्ट थाना बीकापुर में भा० दं० वि० की धारा ३९२ के अन्तर्गत दर्ज करायी ? यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव--

वर्ष १९७७ में जनपद फैजाबाद के हैदरगंज व बीकापुर थाने में क्रमशः १३ व ६ डकैती दर्ज हुई । वर्ष ७८ में दिनांक १८-३-७८ तक क्रमशः ३ व शून्य डकैती दर्ज हुई । जी हां । श्री राम चन्द्र वर्मा ने भारतीय दण्ड विधान की धारा ३९२ के अन्तर्गत एक रिपोर्ट अंकित कराई थी । विवेचनोपरान्त अभियोग भा० दं० वि० की धारा ३२३ का पाया गया अतः मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी ।

५--श्री ओंकार नाथ--

[७वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जिले के वन विभाग के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोटा

६--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वन विभाग में कुल कितने कर्मचारी एवं अधिकारीगण इस समय कार्यरत हैं और उसमें से हरिजनों एवं पिछड़ी जाति को कुल कितने प्रतिशत स्थान आवंटित किए गए हैं और उनका पूरा कोटा क्या है ?

वन मंत्री (श्री श्रीचन्द)--

जनपद आजमगढ़ में वन विभाग में कुल ५१ कर्मचारी और २ अधिकारी इस समय कार्यरत हैं । जिनका वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है :--

योग	वर्ग-१	वर्ग-२	वर्ग-३	वर्ग-४
५३	१	१	१६	३५

इन कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के कार्यरत कर्मचारी व उनका प्रतिशत निम्न प्रकार है :--

	वर्ग-१	वर्ग-२	वर्ग-३	वर्ग-४
अनुसूचित जाति	..	१	१	५
पिछड़ी जाति	..	..	२	११
प्रतिशत अनुसूचित जाति	..	१०० प्रतिशत	६·२५ प्रतिशत	१४·२८ प्रतिशत
प्रतिशत पिछड़ी जाति	..	..	१२·५०प्रतिशत	३१·४२प्रतिश

शासकीय आदेश संख्या-२००३/चालीस-रा० एकी०-६-११-७७, दिनांक २०-८-१९७७ के अनुसार इन जातियों का निम्न प्रकार कोटा निर्धारित है :--

	वर्ग-१	वर्ग-२	वर्ग-३	वर्ग-४
१--अनुसूचित जाति	१८ प्रतिशत	१८ प्रतिशत	२५ प्रतिशत	३० प्रतिशत
२--पिछड़ी जाति	१५ प्रतिशत	१५ प्रतिशत	१५ प्रतिशत	१० प्रतिशत

आजमगढ़ जिले के प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोटा

७--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद में कार्यरत प्रत्येक श्रेणी में प्लानिंग विभाग में कुल कितने कर्मचारी ह, उनमें पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के कुल कितने कर्मचारी हैं, कितने प्रतिशत हरिजन एवं कितने प्रतिशत पिछड़ी जाति का कोटा पूरा हुआ है ?

श्री राम नरेश यादव--

आजमगढ़ जनपद में प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में निम्नलिखित कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं :--

पद नाम	वेतन-क्रम	कार्यरत कर्मचारी	अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारी	पिछड़े वर्ग के कार्यरत कर्मचारी
संख्याधिकारी	५५०-१२००	१	..	१
अर्थ अधिकारी	५५०-१२००	१	..	..
संख्या सहायक/अर्थ सहायक	३५०-७००	२	..	..
सांख्यिकी निरीक्षक	२८०-४६०	२	..	..
सहायक विकास अधिकारी (सां०)	२८०-४६०	२१	..	३
लिपिक	२००-३२०	२	..	..
चपरासी	१६५-२१५	३	..	२

उपर्युक्त पद प्रदेशीय संवर्ग के भाग हैं अतः सम्पूर्ण संवर्ग के आधार पर ही आरक्षण किया जाता है । जनपद को आधार नहीं बनाया जा सकता ।

फैक्टरियों व लाइसेन्सदारों को दिये गये पैराफिन मोम के परमिट

८—श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि १९७५-७६, १९७६-७७ के वर्षों में पैराफिन वैक्स के परमिट किन-किन फैक्टरियों व लाइसेन्सदारों को दिए गए हैं। इन फैक्टरियों एवं लाइसेन्सदारों की वार्षिक क्षमता कितनी थी, इनको कितना टैक्स देने की संस्तुति की गई व वास्तव में कितनी मात्रा दी गई और वैक्स के परमिट देने में शासन ने क्या मापदन्ड अपनाया ?

श्री राम प्रकाश—

वर्ष १९७५, १९७६ तथा १९७७ में जिन फैक्ट्रियों व लाइसेन्सदारों को पैराफिन वैक्स के परमिट दिये गय हैं, उसकी सूचना परिशिष्ट-१ में संलग्न हैं। इन वर्षों में इकाइयों की क्षमता निर्धारित नहीं की गई, क्षेत्रीय अधिकारियों से संस्तुति प्राप्त होती थी, जो इसी परिशिष्ट में दर्शाई गयी है। वैक्स आवंटन की मात्रा भी इसी परिशिष्ट में प्रत्येक इकाई के सामने अंकित है। वर्ष १९७५, १९७६ तथा १९७७ के पूर्वार्ध में आवंटन की नीति उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित थी तथा वर्ष १९७७ के मध्य में शासन द्वारा नीति निर्धारित की गयी। नीति निर्धारण से सम्बन्धित ऐसी सूचना परिशिष्ट-२, परिशिष्ट-३, परिशिष्ट-४ तथा परिशिष्ट-५ में संलग्न हैं।

काशीपुर, जिला नैनीताल के श्री धर्मेन्द्र कुमार के पिस्टल का लाइसेन्स

९—श्री रामदत्त जोशी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, नैनीताल ने काशीपुर के एक राजनीतिक नेता, जो इमरजेन्सी के दौर म बन्दी बना लिए गए थे, उनका पिस्टल लाइसेन्स नं० ५८४-के०पी०आर०-१९७०, दिनांक ३० अगस्त, १९७७ के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त नागरिक, जो इनकम टैक्स पेयर तथा सम्भ्रान्त नागरिक हैं, उनके विरुद्ध इमरजेन्सी में डी० आई० आर० के अन्तर्गत लगाए गए अभियोग के अतिरिक्त पुलिस को उपरोक्त लाइसेन्स होल्डर के प्रति और भी कोई आपत्ति है, जिसके आधार पर लाइसेन्स निरस्त किया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

काशीपुर (नैनीताल) के कथित राजनैतिक नेता श्री धर्मेन्द्र कुमार, जिनका पिस्टल लाइसेन्स सं० ५८४/काशीपुर/१९७० था, ने अपना शस्त्र २०-६-७५ को बेंच दिया था, इस कारण उनके लाइसेन्स का नवीकरण १८-४-७६ से अग्रेतर नहीं हुआ और ४-९-७७ को उक्त लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया। दिनांक ३०-१२-७७ को श्री धर्मेन्द्र कुमार ने पुनः आवेदन पत्र दिया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ११-४-७८ को पिस्टल/रिवाल्वर का लाइसेन्स स्वीकृत कर दिया गया है।

नोट—छापी नहीं गयी।

श्री आर० पी० गौतम, थानाध्यक्ष, जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर के विरुद्ध श्री जब्बार हुसैन का पत्र

१०—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर के जब्बार हुसैन पुत्र नियामतुल्ला, निवासी साखनी,, थाना जहांगीराबाद ने झूठे व सच्चे केसों की जांच कराए जाने हेतु थानाध्यक्ष, जहांगीराबाद (आर० पी० गौतम) के खिलाफ उच्च अधिकारियों से अपील नामक एक पत्रक जनवरी, १९७८ के प्रथम सप्ताह में वितरित किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पत्रक की जांच के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रक में अंकित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी अनूपशहर द्वारा करायी गई । उक्त थानाध्यक्ष को माह जनवरी, ७८ में ही जहांगीराबाद से स्थानान्तरित कर दिया गया ताकि उनके विरुद्ध आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके । पत्रक में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में जांच जारी है ।

११—श्री हिम्मत सिंह—

[६वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुमायूं स्टोन इंडस्ट्रीज, लालकुआं, हल्द्वानी को दिया गया कथित पत्थर एवं बजरी

१२— श्री रामदत्त जोशी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं स्टोन कम्पनी नाम की कोई संस्था लालकुआं, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में है और वन विभाग की ओर से इस संस्था को लालकुआं क्षेत्र गोला नदी से पत्थर, बजरी और रेत निकालने की लीज कितने वर्षों के लिए दी गई है और उसकी शर्तें क्या हैं ? इस कम्पनी के कौन-कौन हिस्सेदार हैं ?

श्री श्रीचन्द—

शासन की जानकारी में ऐसी कोई संस्था नहीं है । हां कुमायूं स्टोन इण्डस्ट्रीज नाम की एक संस्था लालकुआं तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल में है किन्तु वन विभाग की ओर से इस संस्था को कोई लीज नहीं दी गयी है । इस संस्था के हिस्सेदारों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

नैनीताल जिले के काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि

१३—श्री राम दत्त जोशी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्थिक वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६ तथा १९७६-७७ में ननीताल जिले के काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों पोलीटेक्नीक, आई० टी० आई०, विश्राम भवन तथा डिग्री कालेज सड़क निर्माण, नहर निर्माण, स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण आदि के लये पर्वतीय विकास विभाग द्वारा कितनी धनराशि दी गई ?

श्री शोबन सिंह जीना--

नैनीताल जिले के काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिये वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६ तथा १९७६-७७ म विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृत की गई धनराशि का विवरण संलग्न है ।

(देखियें नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२८८ पर)

जिला टिहरी गढ़वाल के माजक-मंदार रोड के निर्माण की मांग

१४--श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में माजक-मंदार लिंक रोड के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है । यदि हां तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री शोबन सिंह जीना--

जिला टिहरी गढ़वाल में माजक-मंदार लिंक रोड के निर्माण की योजना अभी स्वीकृत नहीं है । अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ करन का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के ग्राम रानी डीहा के श्री विभूति की हत्या

१५--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताएगी कि टोला रानीडीहा, थाना कैन्ट, गोरखपुर के मधई के के पुत्र की हत्या कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अगस्त, १९७७ में कर दी थी ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम रानी डीहा थाना कैन्ट गोरखपुर के निवासी श्री मधई के पुत्र श्री विभूति की जुलाई, १९७७ में हत्या कर दी गयी थी । अभियुक्त श्री राम सन्त के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा ३०२/३०१ का मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है ।

सह निदेशक, रेशम उद्योग, हल्द्वानी, नैनीताल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१६--श्री रामदत्त जोशी--

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में दिनांक १३ अक्तूबर, १९७७ को सह निदेशक, रेशम उद्योग, हल्द्वानी (ननीताल) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित कोई दरख्वास्त प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उपरोक्त सह निदेशक जो विगत १० वर्षों से निरन्तर हल्द्वानी (नैनीताल) में ही तनात चले आ रहे हैं, उनको स्थानान्तरित न किए जाने का क्या कारण हैं ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां ।

सम्बन्धित सह निदेशक (रेशम उद्योग) का स्थानान्तरण हल्द्वानी (नैनीताल) से चमौली कर दिया गया है ।

१७--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[७वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत 'स्थानान्तरित]

श्री विशम्भर नाथ मिश्र, जिला शासकीय अभिवक्ता, आजमगढ़ की संदिग्ध सत्यनिष्ठा एवं उनकी सेवा निवृत्ति

१८—श्री राम अधार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की जनपद आजमगढ़ के जिला शासकीय अभिवक्ता (श्री विशम्भर नाथ मिश्र) की सत्यनिष्ठा एवं कार्यनिष्ठा संदिग्ध होने का प्रतिवेदन जिलाधिकारी ने शासन को माह नवम्बर, १९७७ में भेजा है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां । श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र को जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) आजमगढ़ के पद से हटा दिया गया है ।

१९—श्री राम अधार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) (श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र) का कार्यकाल दिनांक ३ जनवरी, १९७८ को समाप्त हो गया ? यदि हां, तो उनकी जगह पर कार्य करने हेतु क्या व्यवस्था की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां । इस पद पर नई नियुक्ति होने तक ३-१-७८ के बाद कार्यहित में कुछ समय तक तदर्थ रूप में श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र को बनाये रखा गया था । अब उनका कार्यभार सहायक जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) को दिला दिया गया है और नई नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

मंत्रि परिषद् के सदस्यों के दौरे एवं टेलीफोन पर व्यय की गई धनराशि

२०—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जनता सरकार के गठन से २८ जनवरी, १९७८ तक महीने वार मन्त्रि परिषद् के प्रत्येक सदस्य पर दौरा और टेलीफोन का अलग-अलग कितना खर्च हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

वांछित सूचना संलग्न तालिका (क) तथा तालिका (ख) में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२९० पर ।)

मोहल्ला रायनपुर, कस्बा चरखारी, हमीरपुर, के श्री लछमन सिंह की हत्या

२१—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक २७ जुलाई, १९७७ की रात मोहल्ला रायनपुर चरखारी, जिला हमीरपुर में श्री लक्ष्मण सिंह के हुए कत्ल के मामले के तथ्य क्या हैं ? पुलिस द्वारा अभी तक अपराधियों को न पकड़े जाने के क्या कारण हैं ? इस मामले से सम्बन्धित दिनांक २३ अगस्त, १९७७ व दिनांक ११ नवम्बर, १९७७ को मृतक के सम्बन्धी रघुराज सिंह द्वारा मुख्य मन्त्री जी को दिए गए प्रार्थना-पत्रों के अनुसार क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना चरखारी जिला हमीरपुर में दिनांक २८ जुलाई, १९७७ को श्री नाथू राम कुर्मी ने मौखिक सूचना अंकित कराई कि दिनांक २७/२८-७-७७ की रात को वादी तथा उसके पड़ोसी लछमन सिंह निवासी मोहल्ला रायनपुर कस्बा चरखारी वादी के मकान के सामने लेटे हुए थे तथा अर्ध रात्रि के समय ३ बदमाशों ने आकर लछमन सिंह के ऊपर नजदीक से फायर किया जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई एवं तीनों बदमाश हत्या करने के बाद फायर करते हुए कस्बे के बाहर भाग गये। उपरोक्त सूचना पर धारा ३०२/३०७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतक के भाई रघुराज सिंह निवासी ग्राम रिवई के प्रार्थना पत्र दिनांक २३-८-७७ एवं ११-११-७७ नहीं प्राप्त हुए बल्कि उसका एक प्रार्थना पत्र सितम्बर १९७७ में शासन को प्राप्त हुआ था। इस प्रार्थना पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के माध्यम से क्षेत्राधिकारी महोबा द्वारा कराई गई। जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थना पत्र में संदिग्ध विपक्षीगण तथा मृतक के पक्ष के लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। जांच के दौरान मृतक के भाई व भतीजों ने किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया और न किसी से रंजिश अथवा पार्टीबंदी का उल्लेख किया। मामला विवेचनाधीन है।

श्री बृज गोपाल, मोहल्ला रायनपुर, चरखारी, हमीरपुर के घर पर डकैती

२२--श्री ओंकार नाथ--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७७ की रात्रि को श्री बृजगोपाल सोनी, निवासी चरखारी (रायनपुर), जिला हमीरपुर के घर में पड़ी डकैती के तथ्य क्या है? इस केश में सम्बन्धित कितने अपराधी अभी तक गिरफ्तार किए गए तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बृज गोपाल सोनार निवासी मोहल्ला रायनपुर कस्बा चरखारी जिला हमीरपुर ने दिनांक १ जनवरी, १९७८ को थाना चरखारी में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७७ तथा १ जनवरी, १९७८ की रात्रि में ४ अज्ञात व्यक्तियों ने वादी के घर में घुसकर मार पीट की और लगभग ९ हजार ७ सौ रुपये के जेवरात तथा नकद धनराशि लूट ले गये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९२/३०७ का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। अब तक विवेचना से ४ अभियुक्त प्रकाश मे आये हैं जिनमें से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है।

मंत्रियों के दौरों की संख्या एवं उन पर व्यय की गयी धनराशि

२३--श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री अशर्फी लाल यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह जुलाई सन् १९७७ से लेकर १५ जनवरी सन् १९७८ तक उत्तर प्रदेश मंत्रि-मन्डल के प्रत्येक मन्त्री ने कितना-कितना दौरा किया है और उन दौरों पर सरकार को कितनी धनराशि खर्च हुई?

श्री राम नरेश यादव--

वांछित सूचना *संलग्न तालिका में दी गई है ।

मन्त्रियों के जनसम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति

२४--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मन्त्रि मन्डल में शामिल मन्त्रियों के पास जन-सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है, और क्या उसके लिए यह प्रनिबन्ध है कि यह अधिकारी सम्बन्धित मन्त्री के रिश्तेदार अथवा सम्बन्धी नहीं हो सकते हैं ? यदि हां, तो क्या उन मन्त्रियों के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिनके पी० आर० ओ० उनके निकटतम सम्बन्धी ही नियुक्त किए गए हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

वर्तमान मन्त्रि-परिषद् के मन्त्रियों तथा ऐसे राज्य मन्त्रियों जो स्वतन्त्र रूप से किसी विभाग के प्रभारी हों, के पास जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है । उसके लिए यह प्रतिबन्ध नहीं है कि यह अधिकारी सम्बन्धित मन्त्री के रिश्तेदार अथवा सम्बन्धी नहीं हो सकते हैं ।

2--प्रश्न नहीं उठता ।

नैनीताल जिले के राम नगर के नार्मल ट्रेनिंग स्कूल के भवन का निर्माण

२५--श्री राम दत्त जोशी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के रामनगर नामक उपनगर में स्थित राजकीय नार्मल ट्रेनिंग स्कूल भवन तथा अध्यापकों व कर्मचारियों के आवास गृह इत्यादि निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा रहने का क्या कारण है और उपरोक्त भवन कितने वर्षों से अपूर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

वर्ष १९७५ में ठेकेदार द्वारा कार्य न करने तथा उसका अनुबन्ध समाप्त करने पर दूसरे ठेकेदार को कार्य देने पर विभाग के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर होने के कारण निर्माण कार्य १९७५ से रुका पड़ा रहा ।

मार्च, १९७८ से निर्माण कार्य पुनः आरम्भ हो गया है ।

शाहजहांपुर के थाना तिलहर के उप निरीक्षक, श्री प्रहलाद सिंह के विरुद्ध शिकायत

२६--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर, थाना तिलहर के सब-इंस्पेक्टर, हल्का नं० २ के विरुद्ध माह नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९७७ में इसी क्षत्र के विभिन्न लोगों ने शिकायतें पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को की हैं ? यदि हां, उसमें क्या कार्यवाही हुई और नहीं तो क्यों ?

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२९८ पर) ।

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार माह नवम्बर, दिसम्बर, १९७७ में श्री प्रहलाद सिंह, उप निरीक्षक, थाना तिलहर के हल्का नं० २ में तैनात थे। इस अवधि में उक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई, परन्तु एक मौखिक शिकायत पुलिस अधीक्षक को उपरोक्त निरीक्षक के विरुद्ध की गई थी। शिकायत में किसी ठोस आरोप के अभाव में जांच सम्भव नहीं हो सकी। दिनांक २८ फरवरी, १९७८ को उप निरीक्षक का थाना तिलहर से स्थानान्तरण कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश रुफिग्स फैक्टरी, फैजाबाद में सरकारी एवं गैर सरकारी अंश पूंजी

२७--श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती) तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रुफिग्स, फैजाबाद फैक्टरी में सरकार का कितना हिस्सा था और कितना रुपया व्यक्तिगत लोगों का लगा था ? नवम्बर, १९७७ तक उत्तर प्रदेश रुफिग्स, फैजाबाद से कितनी आय प्रत्येक वर्ष में हुई है ? क्या यह सही है कि उक्त रुफिग्स, फैजाबाद के विरुद्ध तीन वर्षों में कितनी शिकायत निदेशक शासन को प्राप्त हुई ? उस पर कार्यवाही की गई कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

उत्तर प्रदेश रुफिग्स, फैजाबाद फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम का ५१ प्रतिशत धन (३,४१,१०० रु० अंश पूंजी) तथा सह उपक्रम व उनके सहयोगियों का ३,२७,७०० (४९ प्रतिशत धन) लगा है। निगम को नवम्बर, १९७७ तक की अवधि तक किसी प्रकार की आय नहीं हुई। रूफिग्स, फैजाबाद के विरुद्ध निदेशक शासन को कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती।

आगरा में अनुसूचित जाति के सत्याग्रहियों पर गोली वर्षा के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, अब आपके निर्देश की आवश्यकता है। आप स्वयं निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष--

आज क्योंकि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है नियम ४१ के अनुसार यह छपेंगे। अभी काम रोको प्रस्ताव जो श्री गुलाब सेहरा, श्री अरुण कुमार, श्री राजकिशोर तिवारी, श्री राम देव यादव, श्री कृष्णवीर, सिंह कौशल, श्री सुरेन्द्र कुमार सिंधु, श्री मित्र सेन यादव, श्री राम सजीवन, श्री जयराम, श्री श्यामधर मिश्र, श्री सोहनवीर सिंह तोमर, डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, श्री रियासत हुसैन, श्री देव बहादुर सिंह, श्री श्यामदत्त पालीवाल, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री मोतीराम, श्री सुखपाल पांडेय, श्री गुरुदत्त सोलकी, श्री चन्द्रभान मौर्य, श्री शतरुद्ध प्रकाश ने दिया है। इसको मैं स्वीकार करता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी आपको कोई आपत्ति इसमें है ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें।

श्री अध्यक्ष--

कौन माननीय सदस्य पेश करेंगे इसको ? श्री गुलाब सेहरा, श्री अरुण कुमार ?

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

श्रीमन्, यह जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है....

श्री अध्यक्ष--

आप पहले अनुज्ञा मांगिये ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन् अनुसूचित जाति के शांति प्रिय सत्याग्रहियों पर भीषण गोली वर्षा आगरा में हुई है। कल दिनांक १ मई, १९७८ को आगरा में चल रहे शांति मय सत्याग्रह जो गिरफ्तारी देन हेतु आगरा कलेक्ट्रेट पर गये थे, उन पर अमानुषिक लाठी चार्ज किया जिसमें काफी लोग हताहत और गम्भीर रूप से घायल हो गये। शहर में उक्त घटना से उपद्रव प्रारम्भ हो गये। हिंसा व आगजनी की लपेट में पूरा शहर आ गया और यह उपद्रव जगह जगह-पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप हुए ज्ञात हुआ है कि तीन व्यक्ति मारे गये व ३४ व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये। यह सरकारी सूत्रों का कहना है तथा दो सौ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और स्थानीय प्रशासन स्थिति को नियन्त्रण में करने में असफल रहा और नियन्त्रण हेतु सेना बुलाई गई और कर्फ्यू लगा दिया गया है।

श्रीमन्, इस घटना से पूर्व २३ अप्रैल, १९७८ के लाठी चार्ज जिसमें दो सौ व्यक्ति हताहत हुए थे और हमने इस संदर्भ में नियम ३०१ तथा नियम ५१ के अन्तर्गत यह संकेत दे दिया था कि स्थिति अत्यन्त विस्फोटक तथा उत्तेजना पूरे शहर में व्याप्त है लेकिन सरकार की ओर से कोई भी कदम स्थिति को नियन्त्रण करने के लिए नहीं किया गया और आगरा की स्थिति बिगड़ने का दोषी आगरा का प्रशासन है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि पुलिस ने आठ स्थानों पर गोली चलाई है और सैकड़ों व्यक्ति मारे गये और गम्भीर रूप से घायल हुए और आगरा का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

इससे पूर्व जनता पार्टी के विधायक श्री मोती राम ने भी विस्फोटक स्थिति की सूचना आगरा से लौटने के बाद दी थी लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। सदन का आज कार्य स्थगित करके अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन बयान दे और सही स्थिति से सदन को अवगत कराये। इसको मैं अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी आपको कोई आपत्ति है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, चर्चा हो जाय मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अनुज्ञा प्रदान की गई। (श्री सेहरा के खड़े होने पर) अब आप रुकिये। दो घंटे में निश्चित करता हूं। दो घंटे इस पर चर्चा होगी। आप नियम के अनुसार जानते हैं कोई सदस्य १५ मिनट से अधिक नहीं बोल सकता है। तो मैं आपको १५ मिनट का समय देता हूं और अन्य सदस्यों को १० मिनट।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज उद्योग विभाग की अनुदान प्रस्तुत होने वाला था जो सारे प्रदेश के लिए बहुत ही महत्व का विभाग है। उसके बारे में क्या निर्णय आपने लिया। क्या उसे स्थगित कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

तीन बजे लिया जायेगा। आप जानते हैं जब कोई कामरोको प्रस्ताव होता है तो वह सदन के अन्य कार्यक्रमों पर प्राथमिकता रखता है उसको या तो एक घंटे पहले लिया जा सकता है। यानी ४ बजे या उससे पूर्व यदि अध्यक्ष उसकी अनुमति दे दें। तो इस पर मैंने २ घंटे के विवाद की अनुमति दी है।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, दिन प्रति दिन ऐसे महत्वपूर्ण तारीखों पर जनता पार्टी के लोग गोली कान्ड कर रहे हैं कि बात बड़ी अजीब लगती है। पिछला १३ अप्रैल, को हुआ था, जिस तारीख को जलिया वाला बाग कान्ड हुआ था। उसके बाद यह १ मई के दिन भीषण गोली कान्ड हुआ है, जो तारीख मजदूर दिवस के रूप में देश विदेश में मनाई जाती है और जो अन्तर्राष्ट्रीय खाति का दिन है। ऐसे दिन पर आगरा में इस सरकार द्वारा गरीब, निर्बल और हरिजन वर्ग की जनता पर अमानुषिक तौर पर गोली कान्ड हुआ है। यह १४ अप्रल की घटना की बात है। उस दिन डाक्टर अम्बेदकर जयन्ती के अवसर पर १४ अप्रैल को प्रति वर्ष एक विशाल जुलूस निकलता है और उसमें विभिन्न झांकियां भी निकलती हैं। उसमें कुछ ऐसी झांकियां भी थीं, जिनसे उन लोगों को जो हरिजन उत्पीड़न करते हैं या एक पार्टी विशेष से सम्बन्ध रखते हैं, उन लोगों को कुछ उत्तेजना हुई और जब जुलूस रावतपाड़ा के इलाके में पहुंचा तो उन लोगों ने, जो हिन्दू राष्ट्र की कल्पना की बात करते हैं, जुलूस पर पथराव किया। उस जुलूस में दो-ढाई लाख आदमी शामिल थे, उसपर जिस वक्त पथराव हुआ, सारी जनता रोष में आ गई, जोश में आ गई। ऐसी स्थिति में जाने किस प्रकार शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हम लोगों ने उत्तेजित जनता के हाथ-पर जोड़कर जुलूस को बड़ी नम्रतापूर्वक निकलवाया वर्ना उसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी।

उसके बाद १५ अप्रैल को वहां के स्थानीय नेता, जनता पार्टी के नेता ने कहा कि न्यायिक जांच के लिए, मजिस्ट्रियल जांच के लिए जिला प्रशासन से अप्रोच की। लेकिन उसने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया और स्थिति बिगड़ती गई। पीड़ित लोगों द्वारा २३ अप्रैल को एक मौन-जुलूस, मौन प्रदर्शन आयोजित किया गया। उस मौन प्रदर्शन की आज्ञा जिला प्रशासन ने दी है। जब वह रावतपाड़ा चौराहे पर पहुंचा, जो कि जिस स्थान पर उनके ऊपर ईंट पत्थर मारे गये थे, वहां पहुंच कर ये लोग शान्तिपूर्वक, प्रजातान्त्रिक ढंग से निकलना चाहते थे। इसलिए प्रशासन ने वहां प्रदर्शन की उनको आज्ञा नहीं दी और वहां पर उन पर लाठीचार्ज किया गया है। वहां पर मौजूद लोगों न कहा

कि हम लोगों ने अपने जीवन में इतना बर्बरतापूर्ण और अमानुषिक लाठीचार्ज कभी नहीं देखा, ऐसा उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। उस जुलूस में तमाम महिलायें थीं और १०-१०, १२-१२ साल के बच्चे थे। उन सब पर अमानुषिक रूप से लाठीचार्ज किया गया है और हजारों हजार, गरीबों, मजदूरों और पददलितों की बुरी तरह से पिटाई की गई। उन्हें इस तरह पीटा गया कि उनके सामने रोजी-रोटी का प्रश्न विचाराधीन हो गया है। उस वक्त जिस दिन मैं कौशल जी और सिन्धु जी के साथ घायलों को अस्पताल में देखने गया तो वहां इतने गरीब लोग थे, जिसके पास अपने खून से सने कपड़े बदलने के लिए भी दूसरे कपड़े नहीं थ। वे खून के सने कपड़ों के साथ अस्पताल में पड़े हुए थे। उनको देखकर इतना विषाद हुआ, इतना दर्द हुआ कि प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाली सरकार की पुलिस प्रशासन ने इतन बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया कि उसमें ढाई सौ आदमी घायल हुए।

२४ तारीख को हमारे पक्ष की ओर से श्रीमन्, आपको नियम ५६ में एक काम रोको प्रस्ताव भी दिया गया है और जनता पार्टी के विधायक श्री श्यामदत्त पालीवाल जी ने कहा कि इस घटना की जांच के लिए और दोषी लोगों को उपयुक्त दंड देने के लिए मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया और आपने और पूरे सदन ने उसे सुना और नियम ५६ में भी आपने माननीय सदस्यों को उस मामले पर सूना। सुनने के पश्चात् आपने कहा कि सरकार शीघ्र कार्यवाही करे। लेकिन मुझे याद है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। परमपूज्य डाक्टर अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता थे, जिस संविधान के अन्तर्गत हम काम करते हैं और जिससे निर्देश लेते हैं उनकी जयन्ती में कुछ असमाजिक तत्व, जो गरीबों के विरोधी थे, १४ तारीख को जुलूस को अस्तव्यस्त करने के लिए और शान्ति व्यवस्था भंग करने के लिए, चन्द लोगों ने षडयन्त्र रचा लेकिन वह षडयन्त्र कुछ समझदार लोगों की वजह से टल गया। लेकिन २४ तारीख को लाठी चार्ज हुआ। उसमें उन तत्वों का पूरा हाथ था। अगर जुलूस आगे जाता तो जिन तत्वों ने पथराव किया था वह आक्रमण भी करते। मुझे याद है जिस प्रकार छतों पर तेजाब की बोतलें और ईटें इकट्ठी की हुई थीं, इस मौन जलूस को खत्म करने के लिए, पूरे के पूरे असमाजिक तत्वों को जिला प्रशासन ने पूरी शह दिया। उसके बाद २५ तारीख से शान्तिमय प्रदर्शन शुरू हुआ उस लाठी चार्ज के विरोध में, कलेक्टरी में दफा १४४ तोड़ कर गिरफ्तारियां करवायीं ढाई-तीन सौ व्यक्ति गिरफ्तार हुए। राजनीति से ऊपर उठ कर जनता पार्टी के कई सदस्यों से मैंने बातचीत की मुख्य मंत्री जी से विशेष रूप से कि वहां पर उत्तेजना दिन पर दिन बढ़ रही है। किसी दिन ऐसी घटना हो सकती है जो सरकार और प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया।

मैं आपके कक्ष में मिला और आप से आग्रह किया, उत्तेजना बहुत बढ़ रही है किसी दिन भी विस्फोट हो सकता है। आपने अनुज्ञा दी नियम ५१ में, वक्तव्य देने के लिए कहा। जो गिरफ्तारियां हुई हैं जिन पर लाठी चार्ज हुआ है नियम ५१ में आपने स्वीकार किया। उस पर तारीख भी निश्चित कर दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य है यह सब चीजें जो दस दिन से प्रशासन को सूचित कर रहे थे, उत्तजना का जिक्र सबसे कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और १ मई को, मजदूर दिवस के दिन, आगरे में जो पांच-छः लाख की आबादी है उसमें अनुसूचित जाति और जन जाति की आबादी 2-ढाई लाख के करीब है। आप समझ लें ४० प्रतिशत शहर की टोटल आबादी को अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग

[श्री गुलाब सेहरा--]

हैं। पहली मई को दोपहर को जुलूस बना कर दो सौ व्यक्ति कलेक्टरी में गिरफ्तारी देने के लिए गये। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय उन पर लाठी चार्ज किया गया और ५० व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए। उससे उत्तेजना फैली। उसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति के मोहल्ले हैं उनसे प्रदर्शनकारी कलेक्टरी की तरफ बढ़ने लगे। जहां-जहां जो मिला, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसके बाद गोली कांड हुआ।

आगरा में उस जाति के लोगों की बहुत बड़ी बस्ती में १५-२० हजार की आबादी है। दो तीन हजार लोगों का जुलूस निकला। उस जुलूस को रोकने के लिए कोई अश्रु गैस की कार्यवाही नहीं की गयी। सीधे-सीधे गोली चलायी गयी ८ मोहल्लों में, ८ बस्तियों में। उन गोलियों से सैकड़ों व्यक्ति मर गये। यह मिलिट्री कैसे आयी? जो मुझे टेलीफोन से जानकारी मिली है, जो लोग मर गये बस्ती में, सड़क पर, उनकी लाशों को जिला प्रशासन गायब कर देना चाहता था। जब दो हजार आदमियों ने लाशों को रोक दिया, तो उत्तेजनात्मक स्थिति हो गयी। तो जिला प्रशासन ने मिलिट्री बुला लिया। जो तथ्य रेडियो पर, अखबारों में आये हैं उनमें केवल तीन व्यक्तियों की मृत्यु दिखायी गयी है। अब आप देखें। पन्त नगर में २ जगह गोली कान्ड हुआ और ५० व्यक्ति मरे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार वातावरण में गर्मी लायी जा रही है। जो तथ्य माननीय सदस्य की जानकारी में हैं, उन्हें कहें अफवाहों पर जिनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है, इस सदन में भाषण न दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह सेना क्यों वहां पर बुलाई गयी?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

यह कहना ठीक नहीं है कि सैकड़ों व्यक्ति मरे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय त्रिपाठी जी ने जो कहा है, माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर इस प्रकार के भाषण देने से बाहर की स्थिति सामान्य होने में मदद नहीं मिलेगी। जब तक आपको जानकारी न हो आपको यह नहीं कहना चाहिये कि सैकड़ों आदमी मरे।

श्री गुलाब सेहरा--

वहां के अमर उजाला नामक पत्र में निकले हैं। उसमें यह तथ्य स्वीकार किया गया कि ८ स्थानों पर गोली चली। लिखा गया है कि २६ व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अधिक व्यक्ति मारे गये हैं। इस समय आगरे की जो स्थिति है वह अस्त व्यस्त है। तमाम धन और सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की सम्पत्ति शामिल है। तो मेरा कहना है कि इतना बड़ा कान्ड हो गया और वहां के वातावरण में उत्तेजना है और इस गोली कान्ड से लोग महसूस कर रहे हैं कि यह जनता पार्टी की सरकार क्या गोली मजदूरों के लिए और अनुसूचित जाति के लोगों को मारने के लिए ही पुलिस को और पी० ए० सी० को देती है? यह भावना वहां पर व्याप्त हो गयी है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि तथ्यों की जानकारी करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि वे ओपेन जुडीशियल इन्क्वायरी का एलान करे और जो इसमें अधिकारी दोषी हों उनको तुरन्त निलम्बित करें और दन्ड दें तो जो यह भावना पैदा हो गयी है कि यह सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, वह दूर हो सके।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं इस घटना के बारे में....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हमारे सिन्धु जी और डाक्टर कौशल आगरे से आते हैं उनको भी सुन लिया जाये।

डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

मान्यवर, आप मुझे....

श्री अध्यक्ष--

इसका मतलब यह नहीं कि बहस पर आपका एकाधिकार है। श्री राजेश कुमार सिंह भी आगरा के रहने वाले हैं। मैं एकाधिकार मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह--

४-५ वर्ष पूर्व रावतपाड़ी में इसका विवाद हुआ था, यह आज का नहीं है। और अब इन लोगों ने इसको करवाया है। यह घटना १४ तारीख की है। जिस समय जुलूस यह जा रहा था उस समय दुकानें बन्द हो गयी थीं। रात्रि के १० बजे का समय था। यह जुलूस निकल चुका था लेकिन अन्त में असामाजिक तत्व जो थे उन लोगों ने कुछ दुकानों की लूट पाट की। एक अप्सरा होटल है उस पर पथराव किया। रावतपाड़ी के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि घटना की जांच कर ली जाये और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। यह दूसरे दिन की बात थी।

उसके बाद २३ तारीख को ५-६ दिन के अन्दर, मैं प्रशासन के बारे में भी आलोचना करना चाहता हूं, कुछ मुहल्लों में कुछ नेताओं ने लोगों को भड़काया, जो लोग पिटे, उनको विशेष वर्ग के नाम पर भड़काया गया था। जो लोग रावतपाड़ा के बड़े पैमाने पर जेल में थे उनसे भी मैं जेल में मिला। मैं जब रावतपाड़ा गया तो यहां के लोगों का कहना था कि डाक्टर अम्बेदकर एक मनीषी थे, वे बहुत महान पुरुष थे। कुछ लोग चाहते थे कि यह घटना हरिजनों, बैकवर्ड और सवर्ण जाति का बनाकर एक चुनाव स्टन्ट बनाया जाय। उसके बाद जो घटना हुई उसमें जो लाठी चार्ज हुआ उसमें प्रशासन की स्थिति क्या थी। कुछ लोगों ने प्रशासन को आश्वासन दिया था कि वे मौन जुलूस निकालेंगे, कोई उपद्रव नहीं करेंगे। लेकिन उस मौके पर नेताओं ने नियंत्रण नहीं किया, रावतपाड़ा जाने में जो उसमें अगुवाई लोग थे उन्होंने (शेम-शेम के नारे) यदि प्रशासन सही कदम उस समय न उठाता तो निश्चित रूप से स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती (व्यवधान)। १४ तारीख को वहां पर एक पार्टी के लोग भी थे।

[श्री राजेश कुमार सिंह---]

यदि रावतपाड़ा में लोग घुस गये होते तो बड़ी ही भयानक दुर्घटना होती। अतः प्रशासन ने जो कदम उठाया वह सही था। मुझे दुःख है कि कुछ लोगों को चोटें लगी लेकिन स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए, काबू करने के लिए, कोई तो रास्ता होना चाहिए था। कल ही मैं आगरा से २ बजे चल कर यहां पर आया। जो वहां पर घटना घटी उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से हमला करना शुरू कर दिया, कलक्ट्री कम्पाउन्ड में घुस कर वहां के पेशकार को मारा, अदालत के अन्दर कुर्सियां तोड़ी गयी, एक बस जो भरतपुर जाने वाली थी, जिसमें सवर्ण जाति के लोग ही नहीं हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग भी थे, उत्पाती लोगों ने उस बस को जला दिया। उसमें बैठी महिलाओं और लोगों को बाहर फेंक दिया। मैंने उस स्थिति को देखकर मध्यान्ह में मुख्य मंत्री जी को टेलीफोन पर सूचना दी, कचहरी के सारे वकील मेरे पास आये और कहने लगे कि स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। "अमर उजाला" अखबार में छपा में यह फोटो दिखा रहा हूं जिसमें फिश प्लेटों को उखाड़ा जाना दिखाया जा रहा है और पुलिस उनके पीछे भाग रही है। वे लोग लाठी और देशी तमन्चे और कारतूस भी लिए हुए थे। मैंने जिलाधीश और एस० पी० से सम्पर्क किया मुझे यह भी पता चला कि तूफान एक्सप्रेस को लौटा दिया गया और अन्य गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया। वे निश्चित रूपसे यह चाहते हैं कि जो प्रशासन है उसकी इसमें बदनामी हो। (व्यवधान) मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और अपने प्रशासन से निश्चित रूप से कहूंगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध, वे चाहे किसी भी वर्ग के क्यों न हों, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो लोग हिन्सा पर उतारू रहते हैं, तोड़ फोड़ में विश्वास करते हैं जो लोग मकानों और दुकानों को जलाते हैं, वे किसी भी सम्प्रदाय अथवा वर्ग के ही क्यों न हों उनसे शासन को सख्ती से निपटना चाहिए।

हरिजनों के नाम पर या अनुसूचित जाति के नाम पर राजनैतिक उपलब्धि करना चाहते हैं वे मेरे साथ चलें और वहां के लोगों से मिलें, सारे लोगों से मिलें और एक शांति का वातावरण बनायें। शासन ने जो भी वहां पर कदम उठाये हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, अभी श्री राजेश जी ने जो आगरे की घटना के बारे में अपनी चश्मदीद शहादत दी। मैंने जब इस घटना के बारे में कल जानकारी की तो मैं सेहराजी के निवास पर गया माननीय कौशल जी से भी मेरी इस सम्बन्ध में बात-चीत हुई और जो घटना घटी है, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह बड़ी गम्भीर घटना है और जब देश में इस प्रकार की गम्भीर घटनाएं घटें तो चाहे माननीय तिवारी जी (श्री नारायण दत्त तिवारी) शासन में बठ जायं, उनपर गम्भीरता से विचार करना होगा। क्योंकि कुर्सी की भूख को शान्त करने के लिए निरीह लोगों की हत्या कराने के लिए जिन लोगों ने लोगों को उकसाया है, वह सर्वथा निन्दनीय है। उनकी जितनी निन्दा की जाय उतनी थोड़ी है। आज ही मेरी कलक्टरी के तीन वकीलों से बात हुई है। उन्होंने बताया कि कलेक्टरी पर डेढ़, दो सौ व्यक्ति पहुंच गये। उन्होंने पेशकार को कुर्सी से खींच कर मारा-पीटा, कुर्सियां तोड़ डाली। पूरी कचेहरी के शीशे तोड़ डाले। पुलिस वहां से इस तरह से कायरता का प्रदर्शन करके भागी कि उसने लाठी-चार्ज नहीं किया। जब ऐसी स्थिति हो गयी तो पहले तो आंसू गैस पुलिस ने चलाया और फिर हलका लाठी चार्ज किया गया।

इसके बाद उपद्रवकारी जो ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनको उकसाने और उभारने का काम ऐसे राजनीतिक लोगों का था जो हमारे प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते थे, उनको हरिजनों के नाम पर और सवर्ण के नाम पर झगड़ा खड़ा करके जो आगरे की पवित्रता को खत्म करना चाहते थे। उनके उभारने पर उन लोगों ने फिश प्लेटों को उखाड़ा, रेलवे लाइन को तोड़ा। यह अखबार "अमर उजाला" है, इसमें फोटो छपा है जिसमें पुलिस भाग रही है और उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। वहां मुझे मालूम हुआ कि सम्पादक ने माननीय सहकारिता मंत्री को बताया हमारे सामने कि ५० लड़कों ने ५०० पुलिस वालों को भगा दिया और पुलिस इस तरह से भाग रही थी जैसे कि चोर भाग रहा हो। पुलिस ने बड़े धैर्य से काम लिया कि किसी तरह से गोली न चलायी जाय, लाठी न चलायी जाय। बार-बार उपद्रवकारियों को शासन ने समझाया अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उन्होंने तीन बसें जला डालीं। तीन स्कूटर जलाये गये हैं। महिलाओं को बसों से नंगा करके निकाला गया है। (आवाजें) एक बच्चा था किसी औरत का १० वर्ष का उसको इतनी गम्भीर चोट आई है कि जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। एक ड्राइवर की आंख फूट गयी है इतनी सख्त चोट लगी है।

यही नहीं हुआ आपका टेलीफोन एक्सचेंज जला दिया गया। बस स्टेशन को जला दिया गया, डाकखाने लूट लिये गये। इस तरह की घटना घटी है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि इस प्रदेश के वातावरण को शांतिमय रखें और इस प्रदेश में कुर्सी के मोह के लिए निरीह लोगों को बेमौत न मरवाइये। इस घटना से हमको बेहद दुख और तकलीफ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी हमारी आपकी रात शांतिपूर्वक बीत हुई, कौशल जी ने भी बताया कि २३ तारीख वाली जो घटना घटी है उसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध जो मुकदमे हैं उनको वापस नहीं होना चाहिए जिन्होंने २३ तारीख को ऐसा कृत्य किया है। वहां नारे लगाये गये "रावतपाड़ा जायेंगे—गोली खायेंगे, डंडे खायेंगे।" २३ तारीख को प्रदर्शनकारियों की कुछ ट्रकें जब बिजलीघर के चौराहे से निकलीं मठियां मामूं-भांजे की तरफ पहुचने के लिए, लेकिन रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम रावतपाड़ा जायेंगे। वहां बैठकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में समझौता हुआ कि फौवारा होकर न जायं, हींग की मंडी होकर आ जायं। लेकिन जब जलूस आगे बढ़ा तो रावतपाड़े का जो चौराहा है हनमान जी का उसके पास से जब जलूस आगे निकल गया तो पीछे थोड़ा सा हिस्सा जुलूस का रह गया, उस समय असामाजिक तत्वों ने कहा कि हम रावतपाड़ा जायेंगे। वहां के ए० डी० एम० और पुलिस वाले लेट गये, जुलूस वालों से कहा कि अगर जाना है तो हमारी छाती पर पैर रख कर जाओ, वैसे हम नहीं जाने देंगे। पहले पुलिस ने आंसू गैस चलायी, फिर लाठी चार्ज किया। मान्यवर, अगर पुलिस वाले उस वक्त जाने देते तो २३ तारीख को आगरा में कत्लेआम होता और हजारों लोग मरते। लेकिन प्रशासन ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया और भीषण घटना जो घटित होती, उसे नहीं घटने दिया।

उसके बाद कुछ लोगों ने उन गरीब लोगों को उकसाया और बराबर उकसाने का काम करते रहे। (शोर-व्यवधान) उसमें जनता पार्टी के ही लोग थे जो आस्तीन के सांप बने बैठे हैं। २३ तारीख की घटना में (शोर-व्यवधान) आपके दल के लोग, माननीय तिवारी जी, नहीं थे। मैं ईमानदारी से कहता हूं। उस दिन जिन लोगों के कारण वह घटना घटी, उसके लिये मैंने मुख्य मंत्री जी को बतलाया कि उसमें हम लोगों के ही बीच के लोग थे। लेकिन दोस्तों, माननीय तिवारी जी, सुनिये, हम निष्पक्ष बात कहना चाहते हैं। माननीय तिवारी जी, इस

[श्री रघुवर दयाल वर्मा--]

घटना से हमें बहुत दुख है। दुख है उनसे जो हमारी जनता पार्टी की शक्ल को बिगाड़ कर अपनी शक्ल बनाना चाहते हैं और मंत्री मंडल में स्थान पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को यह जनता पार्टी बरदाश्त नहीं करेगी। यह मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं। आगरे की घटना में जिन लोगों का हाथ है उनके बारे में आज ही मैंने अपने महा मंत्री से कहा था। उन्होंने कहा कि उनके नाम बतलाओ।

इसके बाद कल जो कुछ हुआ, माननीय तिवारी जी उसमें आपके लोग भी पीछे नहीं हैं। आपके लोगों ने भी कल आग में घी डालने का काम किया और यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। आगरे की घटना के पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है और कल से यह हवा फैलाई जा रही है कि अगर इस षड्यंत्र को हमने काबू नहीं किया तो, इसको सारे प्रदेश में फैलाने की योजना, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, आप गलत बात न कहें, सैकड़ों की संख्या माननीय सदस्य ने बतायी, ऐसी गलत बात से वातावरण दूषित होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस पर वे गम्भीरता के साथ विचार करें और सरकार से निवेदन है कि जो लोग भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, कल जो घटना आगरे में घटी वह बहुत ही दर्दनाक है। श्रीमन्, इसके पहले भी बहुत सी घटनायें हो चुकी हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से तो काम चलता नहीं। मैं तो सीधे-सीधे यह कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ हुआ है, श्रीमन् यह सरकार की अकर्मण्यता का ही द्योतक है। (व्यवधान) मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि इस प्रकार की यही एक घटना नहीं है, आये दिन प्रदेश में ऐसी घटनायें हो रही हैं और लोग गोली से मारे जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद तो नहीं, लेकिन पता यह चला है कि ४ व्यक्ति तो मारे गये हैं और ५० के ऊपर लोग घायल हुये हैं और सैकड़ों लोग गिरफ्तार किये गये हैं। अभी वर्मा जी ने बताया कि अगर इसको समुचित तरीके से व्यवस्थित किया जाता तो कल की जैसी दर्दनाक घटना जो हुई है वह न हो पाती। मेरा अपना ख्याल यह है कि लीपा-पोती करने से शासन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती और सब जो घटनाएं हो रही हैं प्रदेश के अन्दर, जहां भी जो कुछ घटनाएं हो रही हैं प्रदेश के अन्दर, जहां भी जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, शासन मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है और मैं तो चार्ज करना चाहता हूं पूरे मंत्रि मंडल को, मंत्रि मंडल की जो जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है और मैं जो देख रहा हूं, सामूहिक जिम्मेदारी का न निभाना शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी को न निभाना है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर, चाहे बनारस की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे पंतनगर की हो, इसकी निष्पक्षतापूर्वक जांच की जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं और दोषारोपण भी करना चाहता हूं कि इसके लिए जनता पार्टी स्वयं में जिम्मेदार है, जो जनता पार्टी नहीं है, यह घटक है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर रही है। मैं ज्यादा तर्क में न जाकर कल की घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि कल की घटना बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है।

मुख्य मंत्री जी आज कल दावा करते हैं और इस सरकार में बैठे हुए लोग दावा करते हैं, कि कहीं भी कोई घटना होती है, तो सरकार जो है, वह आयोग का गठन कर देती है, जज की नियुक्ति कर देती है, कमीशन बैठा देती है। बहुत से कमीशन इस देश में बैठ चुके हैं और आज इससे सरकार

की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती कि रोज कमीशन, इन्क्वायरी के लिए जज की नियुक्ति की जाय। जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए कमीशन और आयोग नहीं, सदन की एक समिति गठित की जाय, जिसमें दोनों तरफ के लोग हों। मैं उस पक्ष में नहीं हूं कि किसी जज की अध्यक्षता में कमीशन की नियुक्ति की जाय। अगर यह सरकार चाहती है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे, लोगों के जो अधिकार हैं, उसकी रक्षा हो, आप उसके अधिकारों की रक्षा के लिए जनतंत्र की बहुत दोहाई देते हैं कि हम जनता के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, जनतंत्र में लोगों को अपनी मांग के लिए जुलूस और प्रदर्शन करने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार है, अपनी मांग को पेश करने का अधिकार है और आज यह सरकार निरंकुश हो गई है, जो जनतांत्रिक अधिकार हैं नागरिकों के, यह सरकार आज उन अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है और उन अधिकारों को लाठी और गोली से कुचल रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार में बैठे हुए लोग और माननीय मुख्य मंत्री गम्भीरता से इस मसले पर सोचें कि किस तरह से शांति-व्यवस्था कायम रह सकती है। जो निरीह लोगों की जान आये दिन ली जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, उनको कैसे हम बचा सकते हैं। यह बहुत मौलिक प्रश्न है। सिर्फ दुहाई देने से काम नहीं चलेगा।

मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जनतंत्र की दुश्मन सरकार है और जिस जनता ने यहां इस सरकार को पदासीन किया है, वह जनता बरदाश्त नहीं करेगी, वह दिन आ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर जनता ने आपको चुना है, तो ५ वर्ष संगठित तरीके से आप काम करें। और जनतांत्रिक अधिकारों की आप रक्षा करें और जनता की कठिनाइयों को दूर करें। अगर दूर नहीं किया तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता आपको एक क्षण भी क्षमा नहीं करेगी। इस चेतावनी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि सदन की एक समिति बैठे जो आगरा की घटना की जांच करे और जहां ऐसी घटनायें हुई हैं उनकी जांच करे।

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, आज का विषय बड़ा गंभीर है और माननीय, बड़ा खेद है कि यह दुर्घटना आगरा में घटित हुई। मान्यवर, इसी के साथ-साथ यह देखना पड़ेगा, यह नहीं है कि यह जनता पार्टी का सवाल है, जनता पार्टी की सरकार है तो इसके माने यह नहीं कि यह जनता पार्टी न करा दिया। चूंकि १४ अप्रैल का दिन डाक्टर अम्बेदकर का जन्म दिन था और पूरे प्रदेश में मैं समझता हूं हर जगह छोटे और बड़े कस्बे में जुलूस और झांकियां निकलीं। कहीं पर सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया, कोई रोकटोक नहीं थी। पूरे प्रदेश में सभायें हुयीं, भाषण भी हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि सरकार विरोध में थी कि प्रदर्शन न किए जायं या जुलूस न निकाले जायं। सभी लोग, माननीय विधायक भी इन रैलियों में जाते हैं और भाषण करते हैं और बाबा साहब डाक्टर भीमराव अंबेदकर के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोई किसी के मन में दुर्भावना नहीं है। लेकिन मैं यह समझ नहीं पाता कि यह घटना आगरे में क्यों घटित हुई। इसके पीछे जरूर कोई बात है। क्योंकि अगर इस तरीके की कोई बात हो तो पूरे प्रदेश में हंगामा हुआ होता। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे मुझसे पहले विधायक आगरा ने या गुलाब सेहरा की बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोगों को भड़काकर, जो वांछित तत्व कहे जाते हैं उनकी तरफ से ऐसा हुआ। कहा

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिलोक चन्द—]

जाता है कि अवांछित तत्व ऐसा करवाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस काम में कुछ न कुछ उन लोगों का हाथ अवश्य था जिनको कि वांछित तत्व कहा जाता है।

गुलाब सेहरा ने कहा कि यह बहुत खराब घटना हुई। कोई नहीं कहेगा कि आगरे में जो घटना हुई या सम्भल में हुई, वह अच्छी थी। जहां पर तीन मौतें हुई हैं, घायल भी हुए हैं तो ऐसी बात गुलाब सेहरा जी ने कही कि १०० मौतें हुई हैं और ५० मौतें हुई हैं और बहुत सी मौतें हुई हैं। यह अच्छी बात नहीं है। घटना बहुत दुःखपूर्ण है लेकिन माननीय सदस्य ऐसी बातें करेंगे कि सैकड़ों मौतें हुई हैं तो इसका असर प्रदेश पर अच्छा नहीं पड़ेगा। हमलोग इसलिए नहीं बैठे हैं कि शासन में रहें, शासन में रहें या न रहें, लेकिन हमें प्रदेश की बहबूदी के लिये समाज की बहबूदी के लिये, यहां बैठना है। इसमें शासन में रहने का कोई प्रश्न नहीं है। हाउस में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। इस प्रकार के झगड़े, चाहे सम्भल में हुए हैं, पंतनगर में हुए हैं या आगरे में हुए हैं, इन सबके पीछे कुछ लोगों का हाथ रहा है। वर्ना घटना घटित होने का मैं समझता हूं कि कोई सवाल नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि निरीह लोगों पर गोलियां बरसीं। वह सही बात है, नहीं बरसनी चाहिए। मैं कहता हूं दोनों पक्ष बैठे हैं सदन में। मान्यवर, मैदान में एक ओर एक पार्टी जाकर कोई हिंसा या लूटपाट की घटना करे तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस क्या फूल की गोलियां बरसायेगी। डंडे का इस्तेमाल करेगी, अश्रुगैस का इस्तेमाल न करे तो क्या करे? दोष इस बात का नहीं है अश्रुगैस या गोली बरसायी गई, सारा दोष तो हमारा आपका है। पुलिस प्रशासन को ठीक रखें तो मुसीबत, न रखें तो मुसीबत। यदि चोर और बदमाशों को ताड़ना न दें तो कहते हैं कि प्रशासन और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। यदि आपकी भी हुकूमत होती तो आर्डर पहले आप डी० एम० को देते, फिर डी० एम० आर्डर एस० पी० को देता और फिर एस० पी० आर्डर सिपाही को देता। तो इस तरह हुकुम पहुंचता है। इसलिए हुकूमत चाहे आपकी हो या इनकी, इस मामले में दोष प्रशासन को या पुलिस को दोष देना कि गोली बरसाई जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जुलूस निकला तो पीछे लूट-मार हुई, तो पुलिस क्या करती? वह यह करती कि उनको पकड़ती। इस पर उनको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक पहलू ऊंचा होता है या कोई उपलब्धि होती है कि लूट-पाट हो, हिंसा हो, तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि चाहे भाषण इधर से हो या उधर से हो लेकिन इन बातों के भड़काने से आप चाहते हैं कि प्रदेश का भला होगा तो वह नहीं होगा। इन छोटी बातों से न पब्लिक पर असर पड़ता है और न कुछ मिलता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से और प्रशासन से यह उम्मीद करूंगा कि ऐसे मामलों की गहराई से खोज करें, उनके तथ्यों को प्रकाश में लायें जिससे भ्रान्ति न फैले।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, आपके सामने अभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार रखे। मैं विस्तार में न जाकर तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिससे यह घटना घटी और यदि समय रहते शासन और प्रशासन उन तथ्यों पर एहतिहातन ध्यान रखती तो यह घटना न घटती। मान्यवर, आगरा में प्रतिवर्ष १४ अप्रैल को जुलूस निकलता है। उसमें सभी जाति के लोग भाग लेते हैं और २-३ लाख लोगों ने उसमें भाग लिया। सुबह से शाम

तक जुलूस निकलता है। उस जुलूस में मैं मौजूद था। उसमें जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता मौजूद थे। आधा जुलूस निकला और आधा रह गया तो ईंटों की बौछार हो गई, इस पर भगदड़ हुई। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुलूस में चल रहे थे। हमने हाथ जोड़कर, समझा-बुझाकर जुलूस को आगे बढ़ाया। दो-तीन बजे-रात तक हम वहां रहे। जुलूस सुबह समाप्त हो गया शांतिपूर्वक।

मान्यवर, उसके दो दिन बाद उसकी एक मीटिंग होती है। यह मीटिंग १६ तारीख को बौद्ध बिहार चक्की पाट नामक स्थान पर होती है। उस मीटिंग में सिर्फ जनता पार्टी के लीडर उपस्थित थे। जो बात मैं आपके सामने कहूंगा, यदि विधान सभा की समिति जांच करे, जुडीशियल इंक्वायरी हो तो यदि मेरी बात गलत हो जाय तो मैं विधान सभा सदस्य के पद से इस्तीफा दूंगा। मान्यवर, १६ तारीख को मीटिंग हुई उसमें जनता पार्टी के लीडर उपस्थित थे। वर्मा जी कुछ कहते-कहते रुक गए वह इसलिए कि पार्टी के डिसिप्लिन को रखने के लिए। उस मीटिंग में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। उसमें निर्णय लिया गया कि मौन जुलूस निकालना है। अब दिनांक २३ अप्रैल को जुलूस निकलता है, कांग्रेस का कोई भी नेता उसमें मौजूद नहीं था, जनता पार्टी के नेता अगुवानी कर रहे थे। उसमें पुलिस प्रशासन से और अधिकारियों से तकरार होती है। २५ फीट चौड़ी सड़क है जहां २ हजार पुलिस पीछे और २ हजार पुलिस सड़क के इधर और उधर, दुकानें बंद और उसके बाद जो लाठी चार्ज हुआ ११ साल के बच्चों, महिलाओं, पुरुषों पर, तो कहीं से निकलने का रास्ता नहीं था। लाठी चार्ज का मतलब होता है भीड़ को तितर-बितर करना लेकिन कोई रास्ता छोड़ा होता तितर-बितर करने के लिए, निकालने के लिए। चारों तरफ पुलिस ने लाठी चार्ज किया। २५० आदमी घायल हो गए। हम अस्पताल में देखने गए और श्रीमन्, मैं यह बात पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस दिन जिन नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं उनमें एक भी कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं जेल गया। आज भी जनता पार्टी के नेता जेल के अंदर हैं २३ तारीख के जुलूस के सिलसिले में। आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं कि यदि यह आरोप गलत होगा तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं। यह मेरा आरोप है...

श्री अध्यक्ष--

आप यह उप चुनाव क्यों कराना चाहते हैं ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, उनकी मांग क्या थी। उनकी मांगें थीं, पहली, कि १४ अप्रैल को जो पथराव हुआ उन अपराधियों को दंडित किया जाय, दूसरी, जो सत्याग्रही बंद हो रहे थे उनको छोड़ा जाय और तीसरी बाबा साहब के जन्म-दिन १४ अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी, ये तीन मांगे थी। २४ तारीख को मैंने यहां नियम ५६ के अन्तर्गत आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित किया। आपने मुझे अनुमति नहीं दी। मैंने खून से सने हुए कपड़े दिखाए थे जो १५० आदमी घायल हुए थे। ३०१ में जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य, श्री श्यामदत्त पालीवाल ने आपका ध्यान आकर्षित किया, उसी दिन विधान परिषद् में ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन आज तक यह नपुंसक प्रशासन और सरकार सोती रही, जूं तक इसके कान पर नहीं रेंगी। अगर एहतियात की कार्यवाही समय पर हो जाती, सत्याग्रहियों को अगर छोड़ दिया गया होता, पथराव के अपराधियों को दंडित किया गया होता तो श्रीमन्, कल की दुःखद घटना नहीं घटी होती। कल की घटना में श्रीमन्, सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया गया, पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने गोली चलाई और आठ बस्तियों में

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जो हरिजन 'थिक्ली पापूलेटेड' हैं गोली चली । आठ जगह गोली चली । अखबार में तीन जगह निकला है । आठ जगह गोली चली, कितनी गोलियां चली होंगी । उस समय गोली चल रही थी, आगरा जल रहा था और आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं कि उस समय प्रदेश के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी रंगरेलियां मना रहे थे लखनऊ में बैठकर । शासन के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी से रात को सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका । इस शासन के वरिष्ठतम अधिकारी जहां रंगरेलियां मना रहे थे उधर मासूम हरिजनों को भूना जा रहा था । आगरा जल रहा था, यहां वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क नहीं स्थापित हो सका । ऐसे प्रशासन को श्रीमन्, एक मिनट भी गद्दी पर रहने का हक नहीं है । मैं मानता हूं आपका बहुमत है आप यहां तालियां बजा सकते हैं, मेज थपथपा सकते हैं लेकिन श्रीमन्, आज इस प्रदेश की जनता के बीच आप अपनी क्या तस्वीर बना चुके हैं यदि आप जनता के बीच जायेंगे तो इसका जवाब मिलेगा ।

श्रीमन्, छोटी सी मांग थी कि जो अपराधी हैं उनको दंडित किया जाय, सत्याग्रहियों को छोड़ दिया जाय इसकी जांच करवाते तो आगरा जलता नहीं । आगरे में जो बर्बर गोली कान्ड हुआ है वह आगरे में पहले कभी नहीं हुआ है । ऐसा कत्लेआम कभी नहीं हुआ । पहली बार हुआ है । शासन के लिए यह कलंक की बात है । श्रीमन्, हंसी भी आती है और दुःख भी होता है । हमारे नेता जी ने ३११ के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित किया और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि चार बजे तक तथ्य इकट्ठे करेंगे । वहां मिलेटरी आ गई, मिलेटरी क्या अपने आप आ गई, मिलेटरी तो आपके आदेश से वहां पर आई और आप कहते हैं तथ्य इकट्ठे करने के लिए चार बजे तक का समय दिया जाय । इस प्रदेश के अंदर शासन नाम की जैसी चीज ही नहीं रह गई है, वैधानिक तरीके से संविधान द्वारा लागू शासन होना बिलकुल नष्ट हो गया है । जो हरिजन, मासूम गरीब लोग, मजदूर लोग, पहली मई के दिन जिस तरीके से भूने गए, गोली से प्रदेश के अंदर यह बड़ी शर्म की बात है प्रदेश के शासन के लिए, शासन में बैठे हुए वर्ग के लिए मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस सारे कांड की जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश कर दें । आगरा के जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं उनका तत्काल तबादला कर दिया जाय । अगर यह नहीं किया तो वहां शान्ति नहीं होगी । जैसा माननीय सदस्य ऊदल जी ने सुझाव दिया है मैं उससे सहमत हूं कि इस सदन की एक समिति बना दें जिसमें इस तरफ के और उस तरफ के सदस्य हों । वह वहां जाकर मुआयना करें और जो लोग दोषी पाए जायं उनको दंडित किया जाय । इससे वहां शांति हो जायगी । अभी भी लोग बस्तियों में बन्द हैं और टट्टी पेशाब के लिए भी नहीं निकल सकते । आज सुबह ही एक आदमी मार दिया गया । इस तरह से तो और वहां अव्यवस्था बढ़ेगी । इसलिए समिति बनाने का सुझाव तत्काल स्वीकार करें ।

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, अभी तक अधिकांश भाषण राजनैतिक हुए । कौशल जी का भाषण कुछ सच्चाई के पास था । १४ तारीख को जुलूस निकलता है । सेहरा जी के अनुसार पत्थर आते हैं जब कि हमारे तरफ के सदस्य कहते हैं कि दूकानें लूटी जाती हैं । दोनों बातें हुईं पत्थर भी आये और दूकानें भी लूटी गईं । एक बात और बतला दूं । सेहरा साहब ने कहा था कि उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हो सकते हैं । यह नहीं कह सकता किसके आदमी थे । वह एक जातीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संघर्ष बन गया था। कांग्रेस के भी हो सकते हैं, जनता पार्टी के भी हो सकते हैं। साफ-साफ नहीं कहा। एक पर्चा निकलता है कि गणेश जी की बेइज्जती की गई है क्योंकि हाथी पर बैठाकर बाबा साहब भीमदेव का चित्र निकाला गया। जनता पार्टी में घुसे उन लोगों को सांप कहें या कार्यकर्त्ता कहें। जो लोग जेल गये, नेतृत्व किया उनको हमेशा मैंने अच्छा पाया है। २३ तारीख को वह जेल में न जाते, बाहर रहते तो पहली तारीख को जो बात हुई वह न होती। २३ तारीख को जुलूस चला। वह लोग जुलूस के सामने लेट गए और यह कहकर रोका कि आगे न जाइए और जाना है तो हमारे ऊपर से होकर बढ़िए। जुलूस वालों ने कहा हम नहीं रुकेंगे, लाठी-गोली खायेंगे। कुछ लोग उनके ऊपर से होकर गए। लाठी चार्ज हुआ, अश्रुगैस छोड़ी गई। मैं तो कहता हूं कि अगर जुलूस रावतपाड़े में से निकला हो तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते, भगवान ही जानें। बहुत लोग मारे जाते। लाठी चार्ज किया गया। लेकिन यह नहीं समझ में आता कि लाठी चार्ज टेल पर यानी पूछ पर करने की क्या जरूरत थी? जो लेट गये थे उनको एस० पी० ने गाड़ी में ले जाकर पीटा। जानते हुए जनता पार्टी में हैं उनकी पिटाई की।

हमारे माननीय सदस्य गुरुदत्त सोलंकी हैं। मैं और वह पुलिस अधीक्षक के पास एक चुनाव के सिलसिले में गये। हमने कहा कि संघर्ष होने वाला है। अधीक्षक ने कहा एक दो छुरा लग जाने दो तब जायेंगे। यह पुलिस अधीक्षक का रुख था। २३ तारीख को गिरफ्तारी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि जब वह गिरफ्तार हो गये तो हम भी गिरफ्तार होंगे ऐसे हैं जो जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। कुछ ऐसे हैं जो जनसंघ की ओर से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। जन-जन से जनता पार्टी के साथ ही काम करते रहें। ये लोग जाकर गिरफ्तार हो गये। २२-२३ आदमी गिरफ्तार हुये। फिर नेताओं ने कहा कि हमको गिरफ्तार कर लो। फिर ४१ लोग गिरफ्तार हुये। २३ को घटना हुयी। २४ तारीख को प्रश्न उठाया। प्रश्न उठने के पश्चात् आपने मुख्य मन्त्री जी से कहा कि इसके बारे में बयान दें। मुख्य मंत्री जी के पास जाकर कहा कि आप राम सिंह जी को भेज दें और उनके साथ ४/५ विधायक वहां जाकर स्थिति को देख आयें। लेकिन नहीं सुना। फिर २५ को याद दिलाया--नहीं सुना। फिर २७ तारीख को आगरा गया। लोगों ने २५ को सत्याग्रह किया, २६ को सत्याग्रह किया, २७ को सत्याग्रह किया, और २८ को सत्याग्रह किया। उस सत्याग्रह में महिलायें भी थीं और १६ साल तक बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे। वे आकर नारा लगाते, जय-जय करते और बुद्ध जी का झंडा हाथ में लेते और चले जाते। फिर जेल भरने लगा और ३०० आदमी जेल चले गये। जेल में जगह नहीं बची। तब कमिश्नर साहब से बात की। उनसे कहा कि आप बूढ़े आदमी हैं। लोग आपकी इज्जत करते हैं।

आप होम सेक्रेट्री से कह दें कि जांच करवा लें आप पर सबका विश्वास है, जांच कर लें। साइमलटेनियसली इस सत्याग्रह को विदड्रा कर लें और इनको फोड़ दें। उन्होंने होम सेक्रेट्री से बात कर ली। जेल भरती रही। २९ तारीख को सोचा कि गिरफ्तार न किया जाय। फिर २८ को १०२ और २९ को १५० गिरफ्तारियां हुयी। फिर गिरफ्तारी नहीं हुयी। नारे लगाये और चले गये। इतवार को ३०० हुयीं। शनिवार और इतवार को हुयीं। फि सोमवार को हुयी। नम्बर ४५० पहुंचा और फिर ५०० पहुंच गया। उस दिन लोग तय करके आये थे कि गिरफ्तारियां देना है। उस गिरफ्तारी देने में कुछ छीना-झपटी हुयी। मान्यवर में

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

न तो अखबारों की सतर से कोई बात कहता हूं और न पी० टी० आई० की खबर से कहता हूं। जब आंखों से देख लेता हूं तब कहता हूं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, वह अखबारों में आया और जितना भी हुआ, वह मुख्य मंत्री जी को मालूम है।

कल ही विधान मन्डल की मीटिंग में मैंने उसके बारे में कहा लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर १०.३० बजे श्री अब्बास अली के साथ मुख्य मन्त्री जी के पास गया। मुख्य मन्त्री जी से कहा कि कुछ केसेज विदड्रा कर लें। मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कान्ड हो जायेगा। मुख्य मन्त्री जी ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। यह बात एक हफ्ते पहले मुख्य मन्त्री जी को बता दिया था। आपने बयान देने के लिये कहा। मान्यवर, इसमें अगर कोई जिम्मेदारी है तो मुख्य मन्त्री जी की है और मुख्य मन्त्री जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह मुख्य मन्त्री बने रहें।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह प्रश्न जो उपस्थित है, वह कोई दल का प्रश्न नहीं है वह कोई विरोधी दल का या सत्ता दल का प्रश्न नहीं है। वह राजनीति का प्रश्न नहीं है। बल्कि यह प्रश्न तो हमारे प्रदेश का प्रश्न है, हमारे देश का प्रश्न है। इधर आप देख रहे हैं, श्रीमन्, कि किस तरह से अराजकता फैल रही है। तमाम वाकयात देश और प्रदेश में हो रहे हैं लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। नतीजा अगर कोई निकल रहा है तो यही कि यह सरकार स्वयं में चिन्तन करे कि यह सरकार है कि नहीं। मैं तो, श्रीमन् यह कहने को तैयार हूं सरकार अपने बारे में इसका विवेचन करे और यह निर्णय ले ले तो बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ा सुधार हो जायेगा कि यह सरकार स्वयं सरकार है और स्वयं बिरोधी दल है। यहां तक कि विरोधी को व्यर्थ कहते हैं। जो नारायणदत्त तिवारी यह कह रहे हैं वह कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं यही विरोधी कराते हैं। यही आग लगाते हैं, फिर पानी को यही दौड़ते हैं हमें तो यही लगता है। मैं कहता हूं कि उत्पात होता है। आप लोग कहते हैं और आप सुन लेते हैं। पालीवाल जी बोल रहे थे। अभी कौशल जी ने, सेहरा जी ने बयान दिया और बहुत से बयान आयेंगे। हमें बतलाया जाय क्या स्थिति बिगड़ गयी थी कि सेना को बुला लिया गया? क्या गृह युद्ध हो रहा था जिससे सेना को बुलाया गया? सेना को तभी बुलाया जाता है जब विशेष परिस्थिति आ जाय यानी युद्ध की हालत आ जाय। मैं तो नहीं समझता कि जनता पार्टी का शासन इतना विफल हो गया कि सेना को बुला लिया जाय और मुख्य मंत्री जी फिर भी चुप रहें हैं और न्यायिक जांच न हो। क्या दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं एक ओर आप सेना बुला लें और दूसरी ओर कहें कि न्यायिक जांच न हो। २००,२५० आदमी पकड़े गये हों, आप उनको छोड़ें नहीं ये परस्पर असंगत बातें हैं जिन पर शासन को स्वयं विचार करना चाहिये।

मैं खुश नहीं हूं जो आज प्रदेश में हिंसा फैल रही है, उत्पात हो रहे हैं, तोड़-फोड़ की भावना फल रही है। यह निन्दनीय है। गोलीकांड हो ही रहे हैं यह निन्दनीय है। हम करते हैं, सरकार करती है, कोई दल करता है या कोई घटक करता है वह निन्दनीय है। कोई भी सरकार नहीं चल सकती अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस देश व प्रदेश में हिंसा का वातावरण चलता रहा । कांग्रेस ने सदा इस मर्यादा का पालन किया और कभी उसने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया । लेकिन जनता राज्य में १४ तारीख से १ मई तक यानी १५ दिन तक आगरा में हिंसा का वातावरण फैलता रहा और १५ दिन के बाद १ तारीख को यकायक उत्पात हो गया । कोई कहता है १० मारे गये और कोई कहता है कि ३, ४ ही मारे गये । कोई कहता है ५० घायल कोई कहता है १०० घायल हुए । साफ स्थिति प्रकट नहीं होती है । यह भी समाचार मिला कि २५० लोग जेल में मर गये और सुबह सुनाई दिया कि गोली चली, ५०० आदमी जेल में हैं लेकिन क्या सच है हमें नहीं मालूम ? इतनी परस्पर विरोधी बातों के सुनने के बाद न्यायिक जांच मुख्य मन्त्री क्यों मन्जूर करते हैं ? इतना बड़ा वाक्या हो गया तो न्यायिक जांच उन्हें मन्जूर करना चाहिये ।

डाक्टर अम्बेदकर कोई एक जाति के नेता नहीं थे--अनुसूचित जाति या किसी एक जाति के वह नेता नहीं थे । वह हम सब लोगों के नेता थे । सारे के नेता थे । उनके जलूस पर इस तरह का वातावरण फैले या किसी समय प्रदेश में इस तरह वातावरण बने तो कैसी क्रांति यह सरकार लायेगी ? पिछले वर्ष अपने बजट के समय यह वायदा किया था। आपको भी यह याद होगा यह सरकार क्रान्ति का वायदा करके आई है । तो क्या यही क्रान्ति होने जा रही है कि रोज गोलीकान्ड होंगे, हिंसात्मक उपद्रव होंगे, उत्पीड़न की क्रान्ति होगी और क्या गरीब इसी तरह मारा जायगा ? ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर जवाब चाहिये । मुख्य मन्त्री की ओर से हमेशा एक ही जवाब दिया जाता है लोगों को तितर-बितर कर दिया गया । एक सेट फ्रेज है "पुलिस ने तितर-बितर कर दिया ।" आपने एक दिन कहा था कि प्रेमालाप से तितर-बितर कर दिया । आगरे में क्यों ऐसा नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है कि आप और नारायण दत्त जी एक शान्ति सेना बनाकर वहां पर जायं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप सदन के नेता हैं, जैसी सलाह उनको देते होंगे वैसे वे करते होंगे । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें बड़ी दुखद हैं और हम उनकी निन्दा करते हैं । प्रदेश में जो आज अशांति और अव्यवस्था फैल रही है उसको फैलाने में न हमारा हिस्सा है और न हम जिम्मेदार हैं हम इसकी निन्दा करते हैं। इस सम्बन्ध में अगर सरकार हमारा सहयोग चाहती है तो हम हमेशा उसके लिये तैयार हैं । हम चाहते हैं कि आप न्याय करें, अन्याय न करें । अन्याय के बल पर आपकी सरकार टिक नहीं सकती है ।

*श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगरे का विधायक होने के नाते, वहां पर जो घटना घटित हुई है उसके ऊपर यहां सदन में ईमानदारी से प्रकाश डालना चाहता हूं । मैं किसी भी राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर मानवता के ऊपर अत्याचार होने वाले तथ्यों को इस आदरणीय सदन के सामने छिपाना एक सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बदन सिंह]

का धर्म नहीं समझता। मान्यवर, बाबा भीमराव अम्बेदकर की जयन्ती १४ अप्रैल को निकाली गई। हम सब लोग इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि बाबा अम्बेदकर के लिये यथोचित् सम्मान प्रदान करने के लिये वह जुलूस निकाला गया। उनके प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा में किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी प्रकार से कोई भी दुर्भाव नहीं है लेकिन इस घटना का जो मुख्य रूप से सम्बन्ध है वह यह है कि १४ अप्रैल को जब जुलूस निकाल लिया गया था तो फिर २३ अप्रैल को निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी ? इसका कारण यह था कि जो जुलूस १४ अप्रैल को निकाला गया उसके कुछ गुन्डे लोगों ने रावत पाड़े और पीपलमंडी में कुछ उपद्रव किया जिसको दबाने के लिये शासन की तरफ से जब कोशिश की गई तो यह २३ अप्रैल को जुलूस संगठित किया गया कि रावत पाड़े, पीपलमंडी में जाकर लूट की जाय। जिले का प्रशासन जुलूस निकालने का आदेश देने के लिये तैयार नहीं था लेकिन कुछ जनता पार्टी के नेताओं ने और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने प्रशासन को आश्वासन दिया...

एक सदस्य--

कांग्रेस के कौन थे, नाम बता दें।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, उनमें गुलाब सेहरा भी थे...

श्री गुलाब सेहरा--

अध्यक्ष जी, मैं २४ तारीख के बाद अभी तक आगरा गया ही नहीं।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जिला प्रशासन ने जब यह आश्वासन ले लिया जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से कि किसी प्रकार से शान्ति भंग करने की कार्यवाही नहीं की जायेगी और रावत पाड़े पीपलमंडी में जुलूस नहीं ले जाया जायेगा तब उनको आज्ञा दी गई। यह जुलूस गाजी पाड़े से निकला और बिजली घर पर होता हुआ जब रावत पाड़े पर पहुंचा और उस तरफ मुड़ना चाहा तो जिले के अधिकारियों ने उसको रोका कि नेताओं से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम पीपलमंडी से जुलूस नहीं ले जायेंगे, फुवारे से होकर ले जायेंगे। अब आप फुवारा हो कर ले जायें। मान्यवर, जनता पार्टी के नेता करतार सिंह, दया किशन, चरन सिंह वर्मा ने जुलूस को समझाया और समझाते रहे कि आप रावत पाड़े होकर न जायें। उन्होंने समझा भी लिया था और यह तैयार भी हो गये थे लेकिन माननीय सेहरा और माननीय कौशल किशोर ने सिखाया और कांग्रेस के गुंडों ने कह दिया कि यह रावत पाड़े हो कर जायेगा। उन गुंडों ने पुलिस के अधिकारियों को मारा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय कौशल किशोर जी आप बैठिये। (व्यवधान) आप लोग शान्त रहें।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, पुलिस के अधिकारी जुलूस के सामने लेट गये। (व्यवधान)।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, यह तथ्य के विपरीत बात कर रहे हैं।

श्री बदन सिंह--

पुलिस के लोग लेटे हुए थे। वह जुलूस पुलिस को रौंधता हुआ आगे बढ़ने लगा। पुलिस वालों ने दो ढाई सौ चप्पल इकट्ठा की हैं जो उनको रौंधते हुए गये। मान्यवर, दुख की बात यह है मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि माननीय कौशल किशोर जब बाहर मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आगरा के अधिकारियों ने यदि कोई ठीक काम किया है तो वह २३ तारीख को किया। जब इस सदन में बैठते हैं तो हमारे बहुमत को कोसते हैं, हमारे शासन को कोसते हैं। क्योंकि इस शासन ने सदैव देश की जनता को मरवाया है और यह चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी ऐसा ही करे। यह नहीं चाहते कि यह शासन शान्ति से कैसे चल रहा है। मान्यवर, मैं सदन में निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न जाति विशेष का नहीं है। यह तो कांग्रेस का विशेष रूप से इन्दिरा कांग्रेस का काम है जो पूरे प्रदेश और देश में करना चाहते हैं, चाहते हैं कि शान्ति भंग हो (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं सदन को बता रहा हूं कि यह बात इस सदन में मानी जा चुकी है कि किसी बलवे में या झगड़े में पुलिस के लोग घायल हुए हैं या मारे गये हैं तो यह समझ लेना चाहिये कि पुलिस का दोष नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब जुलूस को तितर-बितर किया गया पुलिस के लोगों को चोटें आईं और एक पी० ए० सी० की बस नं० ४८६८ को आग लगाई गई और उसके ड्राइवर श्री शरीफ मुहम्मद को मारा गया वह ड्राइवर पुलिस अधिकारियों की मदद से बच कर निकल गया। कालू राम पुलिस का सिपाही घायल है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें। इसमें पुलिस के अधिकारी घायल हुए हैं। पुलिस ने अपने कर्तव्य का ठीक पालन किया है

श्री बदन सिंह--

अब जो कल घटना हुई उसके बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर लोगों ने गिरफ्तारियां दीं...।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु' (जिला आगरा)--

[× × ×] (व्यवधान) (अत्यंत शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। देखिये सिंधु जी, अगर आप इस प्रकार चीतकार करेंगे तो मैं आपको सदन से बाहर निकाल दूंगा। आप खामोश रहिये। बदन सिंह जी आपका समय समाप्त हुआ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप अब बैठें ।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम जिन लोगों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, आप समय नहीं दे रहे हैं ।

श्री मंनेजर सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने कहा है कि झूठ बोल रहे हैं, तो यह असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

'झूठ' शब्द निकाल दिया जायगा ।

श्री मोतीराम--

मेरी बात आप एक मिनट सुन लीजिए, हमने हस्ताक्षर किए हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कोई आवश्यक नहीं है कि आपको ही बुलाऊं ।

श्री मोती राम--

तो हस्ताक्षर करने का मेरा तात्पर्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रस्ताव तो २२ आदमियों ने दिया है । मैं इस तरह किसी सदस्य के आग्रह करने पर उसे बुलाऊंगा नहीं ।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मान्यवर, मैं इस घटना को और इस तरह की सारी घटनाओं को बहुत ही गम्भीर और दर्दनाक समझता हूं । मान्यवर, मेरी आदत नहीं है कि किसी के साथ किसी तरह की टोका टाकी करूं । आप मेरी बात सुनें और जब आपको समय मिले तो मेरी बात का जवाब दें । आगरा में जो घटना इस वक्त घटी है--आगरा मथुरा से कोई दूर नहीं है । जिस वक्त यह घटना घटी, हमने फौरन "अमर उजाला" के सम्पादक से फोन पर बात की । सारे तथ्य सदन में आ गये हैं । वर्मा जी ने कहा, सिन्धु जी ने कहा, राजेश जी ने कहा और पालीवाल जी ने भी कहा । यह मैं नहीं मान सकता हूं कि विपक्षी दल के लोग हम लोगों से ज्यादा हरिजनों के प्रेमी हैं । हम लोग आप लोगों से ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हरिजनों के लिए लड़ाई लड़ा करते हैं। उनके लिए सारी जिन्दगी लड़े हैं। हमारे नेता ने हमें सिखाया है कि १०० में ६० हरिजनों को दिए जाएं। हम लोग कभी चोटी नहीं रखते, कभी जनेऊ नहीं पहनते और हरिजनों के लिए सदैव प्राणों की बाजी लगाने की बात कही है। मैं नहीं मान सकता कि हरिजनों का हमसे ज्यादा कोई प्रेमी है. . . (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या प्रश्न है ?

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने (श्री शर्मा) कहा कि हरिजनों का प्रेम आप देखें, मैं जनेऊ नहीं पहनता, चुटिया नहीं रखता, तो क्या यह इस बात का सबूत है कि यह हरिजन प्रेमी है ?

एक सदस्य--

यह धोबी मारने वाला सबूत तो आप जानते हैं।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

यह हरिजनों की बात है, यह चोटी और नसबन्दी कहां से आ गई ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्यामधर जी ने जो प्रश्न किया है, वह तो अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं हरिजन स्वयं चोटी रखते हैं और जनेऊ भी पहनते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं था, अपनी पुष्टि में यह कहने की।

श्री राधे श्याम शर्मा--

यह तो इस मामले में. . .

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कहें, आत्म कथा नहीं।

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)।

श्रीमन्, मैं आपका एक मिनट लूंगा. . .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री रेवती शरण मौर्य--

आप मेरी बात एक मिनट में सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़िये ।

(श्री रेवती शरण मौर्य के कुछ बोलने पर)

आप सदन छोड़िये या आप बैठिए । आप बैठ जाइये नहीं तो सदन छोड़िए । आप बैठ जाइये । आप बैठ जाइये । (श्री रेवती शरण मौर्य के न बैठने पर) मार्शल इनको बाहर ले जायें ।

श्री रेवती शरण मौर्य--

यह हरिजनों का मसला है । लखनऊ में जब झगड़ा हुआ तो आपने मुसलमानों को बोलने की पूरी आजादी दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री रेवती शरण मौर्य--

आप किसी भी हरिजन को इस मसले पर नहीं बुला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

श्री रेवती शरण मौर्य का यह कार्य सदन का अपमान है और वह अनावश्यक सदन के कार्य में व्यवधान डालना चाहते हैं । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह बहस शान्तिपूर्वक होनी चाहिए । कोई सदस्य यह दावा नहीं कर सकता कि मुझे बोलने का अधिकार है । जिसको मैं बुलाऊंगा वह बोलेगा । (श्री रेवती शरण मौर्य के बैठ जाने पर) मार्शल वापस आओ ।

श्री राधे श्याम शर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सख्त अफसोस है कि इस सदन में सारी बात सही ढंग से सुनी भी नहीं जाती । अध्यक्ष जी जो आगरा में घटना हुई है मैं उसके पहले कह चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष--

श्री राधे श्याम जी, अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो बैठ जाइये । आप अनावश्यक बातें करते हैं ।

श्री राधे श्याम शर्मा--

मैं कहना तो चाहता हूं, लेकिन यह कोई तरीका है ? कहने तो दें ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी प्रस्तावना बड़ी लम्बी है ।

श्री राधे श्याम शर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, दुख इस बात का है कि जब कोई बात सुनी नहीं जाती तो बोला क्या जाय ? मैं आपको कहना चाहता हूं जो अभी सवाल उठाया गया बड़ी जोरदारी के साथ कि गोली चली, लोग मारे गये, पीटा गया, उसके सम्बन्ध

में माननीय सदस्यों ने सारी बात कह दी। सारे प्रदेश के अन्दर इस वक्त एक बात देख रहे हैं बड़ी गम्भीरता से कि लोगों ने यह पेशा बना रखा है कि किसी न किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाय और उसे बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं कि सरकार निकम्मी है, सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। इस सरकार की इस प्रदेश की बहुत बड़ी जनता का विश्वास प्राप्त है और जब तक जनता का यह विश्वास प्राप्त रहेगा तब तक यह सरकार सही ढंग से कार्य करती रहेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री से एक बात कहना चाहता हूं कि जांच कराने की बात सही रूप से करावें। उसमें कोई काम गलत न होने पाये। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और साहस के साथ सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार सही कदम उठाये।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं माननीय सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस दुखद घटना पर काफी प्रकाश पड़ चुका है। पहले मैं उन लोगों को जो इस घटना में मारे गये हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उसके बाद, बहुत अफसोस की बात है कि १३ अप्रैल को जो राजनीतिक ऐतिहासिक दिन है पहली घटना पन्तनगर में हुई और पहली मई जो विश्व का एक राजनीतिक दिन है आगरे में घटना हुई। उस पर माननीय सदन में कहा गया कि ला ऐंड आर्डर बिगड़ रहा है अराजकता बढ़ रही है। लेकिन मुख्य मंत्री ने हमेशा कहा कि ला ऐंड आर्डर सुधर रहा है और हम बहुत सजग हैं और वह सजगता आज उस स्टेज पर पहुंच गयी कि आपको सेना बुलानी पड़ी। इससे बड़ी लज्जाजनक बात हो नहीं सकती। मैं एक ही मांग करता हूं आपके एल० आई० यू० और सी० आई० डी० है। जो १६ तारीख की मीटिंग हुई है, मैं इस बात की घोषणा करने के लिए तैयार हूं। उस १६ तारीख की मीटिंग में जो लोग थे, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने इस घटना को तैयार किया। एक एजीटेशन इस बात के लिए चल रहा था कि जो गिरफ्तार लोग हैं उनको छोड़ दिया जाये। क्या परेशानी थी? कत्ल और डकैती के लोग छूटते हैं, रोजाना माफी मिलती है जो कत्ली होते हैं लेकिन वह लोग जिन्होंने धारा १४४ तोड़ी, उनको आपने नहीं छोड़ा और लगातार एजीटेशन १४ अप्रैल से १ मई तक चलता रहा और स्थिति ऐसी हो गयी कि आपको सेना बुलानी पड़ी। हमने भी वही काम किया है और आपने भी वही काम किया है। सारे काम बन्द करो। रोजी रोटी का प्रबन्ध करो। इजलासों में कोर्ट अरेस्ट किया। मैं नहीं जानता हूं कि लाठी चार्ज किस लिए किया गया, उसकी क्या जरूरत थी।

अदालतों के अन्दर आपकी पुलिस मौजूद थी, लोगों को जेल भेज देते, लाठी चार्ज की नौबत क्यों आ गयी। यह २-३ मूल प्रश्न मेरे हैं। लगातार १४४ लग रही है। १४ अप्रैल से १४४ लगी हुई है। आपकी पुलिस और पी० ए० सी० टियर गैस से बिना लाठी चार्ज किए भीड़ को तितर बितर कर देती है, यह कहने वाले माननीय लक्ष्मण सिंह जी यहां से चले गये, उनका यह फारमूला कहां गया। आपको सेना बुलानी पड़ी। तो मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जब आप जवाब दें तो इन सारी चीजों का भी उत्तर दें कि कौन से हालात थे जिनके कारण आपको सेना बुलानी पड़ी। आपके पुलिस, पी० ए० सी० और कलेक्टर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन---]

नाकामयाब हो गये, और यह जनता पार्टी के लोग कुर्सी के लालच में तमाम गरीबों के जीवन से खेल रहे हैं, इसको समाप्त करें ।

*श्री मोती राम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस घटना को बार-बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन अगर पूरी घटना को देखा जाय तो १४ तारीख से १ मई तक तो ऐसा दुखान्त नाटक है कि सब कुछ होता रहा और शासन मूकदर्शक बनी रही । १४ तारीख को जुलूस में असामाजिक तत्व थे । १४ तारीख को जुलूस में एक व्यक्ति के पास पास डंडा नहीं था और न लाठी थी । २३ तारीख को जो ४०-४२ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें भी किसी आदमी के पास हथियार नहीं था । और २३ तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ उसमें १ हजार के लगभग आदमी घायल हुए है और ४२ आदमी गिरफ्तार हुए और १२ आदमियों को फ्रैक्चर आया, उनकी हड्डियां टूट गयीं । २९ तारीख को मैंने जाकर खुद देखा है । जो पालीवाल जी ने नाम बताया जरारी, वह पार्टी का कर्मठ कार्य कर्त्ता है और उसको मिश्रा एस० पी० ने गिरफ्तार कर अपने सामने पिटवाया और उसका हाथ तुड़वा दिया ।

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि वे असामाजिक तत्व थे । अगर होते तो २३ तारीख को जुलूस में ७ साल के बच्चे और बुढ़िया शामिल न होतीं। मजबूत आदमी जाते और डंडे, लाठी, ईंट और पत्थरों से लस जाते । कहा गया कि २३ तारीख को अगर जुलूस जाता तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाती । वहां के कलक्टर को मालूम था कि मुहल्ले में यह स्थिति थी कि लोगों ने बन्दूकें, ईंटें, पत्थर, और तेजाब की बोतलें अपने घरों की छतों पर इकट्ठी कर रखी थी लेकिन फिर भी शासन मूकदर्शक बना देखता रहा । अगर प्रशासन ने १४ तारीख को ध्यान में रखकर कार्यवाही की होती तो जो पर्चा वहां पर बटा कि गणेश की सवारी पर डाक्टर अम्बेदकर की फोटो न निकलती लेकिन वहां का कलेक्टर मूक दर्शक बना बैठा रहा । मैं यह बता रहा हूं और शासन से आशा करता हूं कि वे इस पत्रक की जानकारी करायें १५ तारीख को पर्चे बंटे हैं और १४ तारीख को जुलूस पर पथराव हुआ । मैं श्री रमेश चन्द्र कतरौलिया, ओम प्रकाश शर्मा और श्री भइया पांडेय नाम के तीन व्यक्ति हैं, मैं सदन में बताना नहीं चाहता हूं कि वे किस दल के लोग हैं ।

पिछले २० सालों से उनका सम्बन्ध किस दल से रहा है और आज भी है । मैं चाहूंगा कि उसकी पूरी जानकारी शासन करा ले । मान्यवर, मैं स्वयं २६ तारीख को जेल में गया था । उस वक्त वहां पर २६२ आदमी १३ बच्चे और ९७ महिलायें थीं । उनकी मांग थी कि १४ तारीख को घटना की जांच हो और सत्याग्रहियों को छोड़ दिया जाय । ये उनकी २ मांगें थीं । अगर वे जांच की मांग कर रहे थे तो कौन सा अपराध कर रहे थे । २४ से लेकर बराबर वे सत्याग्रह कर रहे थे, कभी कोई हथियार लेकर नहीं गुजरे थे और कल भी मान्यवर, वे निहत्थे थे, किसी के पास लाठी डंडा तक नहीं था, न वे ईंट पत्थर से लस थे तो कौन सी स्थिति आ गयी थी कि उन पर गोली चलाई गयी ।

शासन ने २६ तारीख से गिरफ्तारी बन्द कर दी थी लेकिन सत्याग्रही चाहते थे कि उनको गिरफ्तार किया जाय क्योंकि वे १४ तारीख की घटना की जांच

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहते थे और इस बात को वे प्रेशराइज कर रहे थे । उनको कचेहरी से जबरदस्ती बाहर निकाला था, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया जब कि वे चाहते थे कि उनको गिरफ्तार किया जाय । कचेहरी में और मोहल्ले में लाठी चार्ज हुआ । मेरे पास जो टेलीफोन से सूचना आई है उससे स्पष्ट है कि जो मरने वालों की सूचना शासन ने बतायी है, उससे कहीं अधिक है । कई आदमी तो अस्पतालों में दम तोड़ रहे है ।

मान्यवर, जिन मुहल्लों में करफ्यू और मिलिट्री लगी हुई है वे अनुसूचित जाति के लोग हैं और उनके घरों में टट्टी तक नहीं हैं और न उनके घरों में पीने के पानी की ही सुविधा है, खाने के लिए उनके घरों में राशन नहीं है । अगर ये लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं तो पुलिस उनको मार देती है उनके लिए शासन ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है, उनके लिए सब्जी और दाल भेजने का और पानी का प्रबन्ध नहीं किया है और आप उन्हें असामाजिक तत्व बताकर यह बात कह रहे हैं । यह समाज का प्रताड़न हो रहा है, और इसका प्रभाव पूरे देश और प्रदेश में पड़ रहा है । अगर समय से इसका प्रबन्ध हो जाता तो उन लोगों को घरों में कन्फाइन न होना पड़ता । अगर आप इसकी जांच का प्रबन्ध नहीं कराते हैं तो आपको शासन में रहने का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैंने भी तो दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

जितने लोगों के नाम हैं यह आवश्यक नहीं कि वे इस पर बोलें ही ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं...

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

हमें तो आपने समय ही नहीं दिया । हमको समय कभी देते ही नहीं हैं आप ।

श्री अध्यक्ष--

आप महत्वपूर्ण विषयों पर बोलेंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं समझता हूं कि आपने जैसा कि एलान किया कि इसको २ घंटे तक चलायेंगे तो यह ३ बजकर ५ मिनट पर खत्म हो जायगा । मेरा अनुमान है कि नियम ६२ में यह प्राविधान है कि समय होने पर स्वतः समाप्त हो जायगा । तो मुख्य मंत्री जी को भी जवाब देना होगा तो क्या आप समय बढ़ावेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

कोई समय नहीं बढ़ायेंगे । इसका तरीका तो यह था कि आप यह प्रस्ताव लाते कि विवाद अब समाप्त किया जाय । तो मुख्य मंत्री का जवाब आवश्यक नहीं है...

श्री श्यामधर मिश्र--

हम उनका जवाब भी सुनना चाहेंगे, विभाग का जवाब भी तो मिलना चाहिए । आप मुख्य मंत्री जी को बुलवायेंगे ? मुख्य मंत्री जी का जवाब हमें मिलेगा आज या नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

मिलेगा । आप बैठें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

मान्यवर, काफी देर से इस गम्भीर मसले पर चर्चा हो रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से इस पक्ष में बैठने वाले सदस्यों से कि आज इसको आचार्य नरेन्द्र देव और डाक्टर लोहिया के दर्शन के तहत इस कांड को देखने की आवश्यकता है और विशेष कर हरिजन समस्या और जो किसी महापुरुष का अपमान किया गया उसकी समस्या के बारे में भी । वे लोग जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं देर अबेर उनके मन में हरिजनों के प्रति प्यार जागा है, यह कोई बुरी बात नहीं है । और यह इधर का पक्ष तो पहले से ही प्रसिद्ध रहा है कि जब कभी हरिजनों का उत्पीड़न हुआ तो इन्होंने बड़े ही खुले मन से शासन के विरोध में अपने विचार प्रकट किये हैं याद दिलाना चाहता हूं बहोड़ कांड की तथा हड़ौरा कांड की जब इसी पक्ष के लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और शेरपुर कांड की सतिया कांड की और तनजोर की जो घटना हुई थी जिसमें ४२ हरिजनों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गयी थी । वह आन्ध्र प्रदेश (कांचन चेचर्क) गांव की घटना जिसमें हरिजनों को जिन्दा जलाया गया, उस समय इस पक्ष के लोगों ने सबसे पहले यह आवाज बुलन्द की थी और विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को कोसा वह अलीगढ़ की घटना जिसमें प्रिंसिपल के कमरे में हरिजन लड़के का पेट फाड़ दिया गया तो सरकार को दोष दिया गया था । तो हमारे पक्ष में बैठने वाले लोग अगर देखते हैं कि निरीह लोगों और हरिजनों पर अत्याचार होते हैं तो सरकार के खिलाफ भी हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है, सरकार को कोसा है और हमेशा इनका मन साफ रहा है ।

और मुख्य मंत्री जी जिनके व्यक्तित्व में डाक्टर लोहिया के दर्शन की स्पष्ट झलक है, आप को राजनीतिक विचारधारा और पार्टी के तहत देखने की आवश्यकता नहीं है ।

अब मैं किसी और भूमिका में न पड़कर १४ अप्रैल की तिथि के महत्व को बतलाना चाहता हूं कि उस दिन पूजनीय बाबा साहब अम्बेदकर की जयन्ती देश भर में बड़े धूम-धाम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से गौहाटी तक मनाई जाती है, बगैर किसी दल विशेष का विचार किये बगैर लोग उसमें आते-जाते हैं । बाबा साहब अम्बेदकर इस संविधान के रचियता थे जिसके अन्तर्गत आज देश में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं । उस दिन उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, २-३ लाख का लखनऊ में भी जुलूस निकाला गया और बड़े-बड़े शहरों में सभी स्थानों पर जयन्ती मनायी गयी । आज उनका व्यक्तित्व धीरे-धीरे लोगों के मन में घर करता जा रहा है और जैसे-जैसे समाज में सामन्तवादी लोगों का प्रभाव कम हो रहा है वैसे लोग बाबा साहब अम्बेदकर के व्यक्तित्व को समझते जा रहे हैं । दुर्भाग्य की बात है कि १४ अप्रैल को जब जुलूस निकल रहा था और वर्षों की जैसी परिपाटी रही है मैं आगरे में चार साल तक रहा हूं और मेरा छात्र जीवन वहीं बीता है जब पूज्य बाबा साहब का जुलूस निकला करता था तो कभी

कोई अप्रिय घटना नहीं घटी । आज से २–३ साल पहले कुछ छुट–पुट घटनाएं हो जाती थीं, पहले प्रभावी रूप से उस जुलूस के साथ पुलिस का प्रशासन व्यवस्था किया करता था । रावत पांडे से जब जलूस निकलता था तो छतों पर लाल बत्ती जलने पर मेरे तीन ही मिनट हुए हैं । लाल बत्ती का मतलब होता है कि ८ मिनट हो चुके । कृपा करके इसे बुझा दें, बड़ी मेहरबानी होगी ।

तो जब वह जलूस जा रहा था और...

श्री अध्यक्ष––

अब आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

जब वह जुलूस जा रहा था तो वह कोई नयी चीज नहीं थी । शासन को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो पुलिस का इन्तजाम छतों पर हो जाता था वह आखिर इस वर्ष क्यों नहीं हुआ ? यही कारण था कि उधर से बोतलें और ईंट आदि आए । बाबा साहब की झांकी टूट गयी । उस दिन अगर आपने सावधानी बरती होती तो न वह १६ तारीख की मीटिंग होती और न मौन जुलूस आता । वे बाबा साहब की वर्थ डे के दिन को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने, लाठी चार्ज की न्यायिक जांच करन तथा जितने सत्याग्रही बन्द थे उनको छोड़े जाने की मांग कर रहे थ ।

श्री अध्यक्ष––

अब आप कृपया बैठें । आपका समय समाप्त । आप बैठ जाइये । और समय नहीं है । (माननीय सदस्य के न बैठने पर) अब यह कुछ लिखा नहीं जायगा । यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

(इस समय श्री अध्यक्ष बार–बार श्री गौरी शंकर एडवोकेट [को बैठने के लिए आदेश देते रहे और साथ ही श्री गौरी शंकर भी बोलते रहे जो सुनायी नहीं दिया और लिखा नहीं जा सका ।)

* श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु'––

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो यह बात कही गयी कि हरिजनों ने एक बस में आग लगा दी तथा एक बहन को लूटा, मैं कहना चाहता हूं कि एक हरिजन गरीब बचारा जिसके पास पेट भर रोटी नहीं वह किसी बहन को क्या लूटेगा ? दोस्तो, (हंसी) (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि आज जनता पार्टी जो खुले रूप से आगरा में गोली चलवा रही है यह अत्यन्त ही निन्दनीय है । आज माननीय मुख्य मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि कितने व्यक्ति मरे । क्या उनकी डी० एम० से बात नहीं हुई होगी ? आगरा में गुलाब सेहरा थे यह कहा गया, यह गलत था । (शोर––व्यवधान) जब पुलिस से काबू नहीं हुआ तो मिलिट्री बुलायी गयी और मिलिट्री हरिजन बस्ती में तैनात की गयी ताकि कोई हरिजन घर से बाहर न निकल सके । (व्यवधान––शोर) मैं तो कहता हूं जनता पार्टी आज चुनाव कराके देख ले । (व्यवधान)

"चंबला तेरी लूट है, लूट सके तो लूट,
अंत काल पछतायेगा, यह पार्टी जायगी टूट ।"

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । अब समय नहीं है । आपकी तरफ से तो ऊदल जी को समय मिल चुका है । आप बैठ जाइये । (व्यवधान)

*श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, पहले, जिस प्रकार के तथ्य सामने आये हैं, सरकारी स्तर पर मैं उनको सदन के सामने रखना चाहता हूं । २३ अप्रैल को आगरा शहर के जाटव लोग एक विशेष मोहल्ले से होकर जुलूस निकालना चाहते थे । उस रास्ते से जुलूस निकालने पर शान्ति भंग होने की गम्भीर आशंका थी । अतएव इसके लिए उन्हें स्वीकृति नहीं दी गयी । फिर भी जलूस निकाला गया और उस मोहल्ले में जाने के लिए रोक लगायी हुई पुलिस के कार्डन को तोड़ कर निषिद्ध मार्ग से जाने की कोशिश की गयी । इस पर लाठी चार्ज व टीयर गैस का प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया गया । भीड़ ने बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी की, ३५ उपद्रवी पकड़ लिए गए ।

इसके बाद पकड़े हुए उपद्रवियों को छुड़ाने के लिए और २३ तारीख की घटना की न्यायिक जांच कराने के सम्बन्ध में बहुत से जाटव बलवा करके और निषिद्ध आदेश का उल्लंघन करके अपने को पकड़वाते रहे । इस बीच में कुछ लोगों ने स्थिति सामान्य करने के लिए भी मध्यस्थता आरम्भ की और २९ अप्रैल को २८९ जल म बन्द लोगों में से २२९ छोड़ दिए गए और केवल ६० लोग जेल में रह गये ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, यह वक्तव्य सत्यता से परे है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री राम नरेश यादव--

इस प्रकार जब स्थिति को सामान्य बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा था, १ मई को लगभग साढ़े ग्यारह बजे ८२ जाटव आगरा कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए, उन्होंने नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और पंचशील झंडे दिखाये तथा ए० डी० एम० (सिटी) के न्यायालय में घुस गए और वहां पर खिड़कियों के शीशे, फर्नीचर और फूलों के गमले तोड़ दिए । उन्होंने न्यायालय के क्लर्क श्री प्रेम प्रकाश के ऊपर हमला किया । पुलिस मौके पर पहुंच गयी और बड़ी कठिनाई से उनको गिरफ्तार किया । इसी बीच में १०० जाटव और कलेक्टरी परिसर में आ गए और जब गिरफ्तार लोगों को थाना रकाबगंज भेजा जाने लगा तो हिंसात्मक कार्यवाही करने लगे । पुलिस ने उनको शान्तिपूर्वक चले जाने के लिए चेतावनी दी परन्तु वह और अधिक हिंसात्मक होते गए और पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठियां घुमानी पड़ीं । इस पर वह सब भाग गये ।

भागते समय कुछ उपद्रवियों ने सुन्दरपाड़ा पर एक रोडवेज की बस को आग लगा दी । फायरब्रिगेड बुलाकर आग बुझाई गयी लेकिन बस को गम्भीर हानि हुई और कुछ यात्रियों को भी चोटें आईं । जाटवों का एक और दल जिसमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकांश काजीपारा के रहने वाले थे एक पास की रेलवे लाइन पर चढ़ गए और वहां से पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उनको तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस छोड़ी गयी लेकिन वह मकानों पर चढ़ गये और वहां से पत्थर फेंकते रहे। इन्सपेक्टर श्री हरी सिंह इन्चार्ज पुलिस स्टेशन रकाबगंज कुछ पुलिस वालों के साथ चक्कीपाट में घिर गये और अशोक नामक व्यक्ति ने उनके ऊपर देशी तमंचे से फायर किया बताया जाता है। इन्सपेक्टर हरी सिंह ने अपने बचाव में रिवाल्वर से फायर किया जिससे कि अशोक की उसी स्थान पर मृत्यु हो गयी। उपद्रवियों ने काजीपारा के पास बंसल बिल्डिंग को आग लगाने का प्रयास किया और जब उन्हें बार-बार चेतावनी दिए जाने पर कोई असर नहीं हुआ तो ए० डी० एम० सिटी ने श्री सोनवीर सिंह राठी को फायर करने का आदेश दिया। गोली चलाने से हताहतों की निश्चित संख्या तो पता नहीं चल सकी लेकिन इससे उपद्रवी भाग गए। भागते समय उन्होंने बाजार के पास खड़े ३, ४ स्कूटरों में आग लगा दी।

इसी बीच में शाहगंज थाने में भोगीपुरा क्षेत्रों के जाटवों ने गौदला रोड पर एक बस में आग लगा दी। फायरब्रिगेड के आने से पहले यह बस पूरी जल गयी। फतेहपुर सीकरी रोड पर रेलवे क्रासिंग के पास २ और बसों में आग लगा दी गयी। पुलिस अधीक्षक (सिटी) और क्षेत्रीय अधिकारी (सिटी), अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट के साथ फायरब्रिगेड लेकर वहां पहुंच गये उनको देखकर उपद्रवी एक मकान पर चढ़ गये और उन्होंने वहां से पथराव करना शुरू कर दिया। वहां पर कुछ कांस्टेबलान एक गली में फंस गये थे और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को गोली चलाने के आदेश देने पड़े। कुल १३ राउण्ड चलाये गये और इसमें एक जाटव लड़के की मृत्यु हो गयी। इस स्थान पर बस में आग लगाने वाले और पथराव करने वाले १८ उपद्रवी पकड़े गये।

नगला फकीरचन्द में शाम को जाटवों ने एक और बस पर हमला किया और इसका विन्डस्क्रीन तोड़ दिया और यात्रियों से मारपीट की। इसके बाद वह रोडवेज के रीजनल वर्कशाप पर हमला करने के लिए बढ़े लेकिन रोडवेज के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर उनको भगा दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरन्त मौके पर पहुंच गयी। उनके ऊपर उपद्रवियों ने पथराव किया। वहां पर १६ व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। सुन्दरपाड़ा में पथराव में पुलिस ने १४ जाटवों को पकड़ा। उपद्रवियों ने पावर हाउस को आग लगाने की कोशिश की लेकिन पुलिस के तुरन्त पहुंच जाने से कोई हानि नहीं हुई। थाना कोतवाली के मोहल्ला मोती कटरा में कुछ जाटवों ने पोस्ट आफिस में आग लगा दी लेकिन पुलिस के सचल दल ने अधिक नुकसान होने से बचा लिया और केवल कुछ अभिलेखों और टेलीफोन को ही हानि पहुंची। मोहल्ला जगदीशपुरा में जाटवों ने सड़क पर ड्रम और पत्थर लगा कर रोक लगा दी और पथराव किया जिससे कि दो कांस्टेबलान और २ पी० ए० सी० के अधिकारियों को चोटें लगीं। पुलिस ने आकर सड़क से रोकें हटाई। उपद्रवियों ने रबड़सलूशन से भिगोकर चिथड़े जला कर उनके ऊपर फेंके। कुछ जाटवों ने नगला झौआ में इन्डियन आइल की पिट्रौल टंकी में आग लगाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें भगा दिया। मोहल्ला बाराखम्भा मोहनपुर आदि में भी पथराव किया गया। शाम के ७ बजे से आज प्रातः ६ बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया था। चूंकि बहुत बड़े क्षेत्र में दंगा फसाद हो रहा था और उपद्रवी हर प्रकार से हिंसात्मक कार्यवाहियों में लगे हुए थे, आवश्यक मात्रा में पुलिस फोर्स तुरन्त उपलब्ध न होने के कारण जिला प्रशासन ने कर्फ्यू प्रभावी रूप से इन्फोर्स करने के लिए कल शाम से सेना की मदद ले ली है। सेना

[श्री राम नरेश यादव---]

की टुकड़ियां महत्वपूर्ण अधिष्ठान जैसे बिजली घर, रेलवे लाइन, आदि की रक्षा कर रही हैं और पेटरोलिंग भी कर रही हैं ।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार कुल ३ उपद्रवियों की मृत्यु हुई है और २४ उपद्रवी जिनके चोटें हैं अस्पताल में भर्ती हुये हैं । उनमें से २ की दशा गम्भीर बताई जाती है । ५ पुलिस जन भी अस्पताल में भर्ती हुये हैं और उनमें से २ की दशा गम्भीर है । ७ पुलिस जनों को प्रारंभिक चिकित्सा के बाद वापस कर दिया गया है । अब तक कुल २०० आदमी पकड़े गये हैं । अलीगढ़ और आगरा से अतिरिक्त पी० ए० सी० बुला ली गयी है राइट स्कीम (Riot Scheme) लागू कर दी गयी है । अधिकतम सर्तकता बरती जा रही है । आज प्रातःकाल ६ बजे कर्फ्यू उठा दिया गया है और ९ बजे की प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड की परीक्षायें सामान्य रूप से हो रही हैं । इस समय स्थिति नियंत्रण में है ।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने बाबा भीमराव अम्बेदकर के प्रति इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं कि शासन ने ऐसे महा मानव के प्रति जो सम्मान दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया और न सावधानी बरती। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उस पक्ष के लोगों में इस महामानव के प्रति सम्मान और आदर है उससे कम शासन में बैठने वाले लोगों में नहीं है । क्योंकि हम ऐसा मानते हैं और समझते हैं कि वह एक राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता थे । उन्होंने सारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है । फिर भी कहीं दूसरे भावों से प्रेरित होकर आज जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अपना मुद्दा बनाने के लिए इस प्रश्न को गंभीर रूप देकर स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है तो इसे गंभीरता से देखना और सुनना पड़ेगा । इस तरह की घटनायें जहां कहीं होती हैं, मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर कहीं इस तरह की हिंसात्मक कार्यवाहियां होती हैं, तोड़फोड़ होता है तो उसके लिए विकल्प क्या रह जाता है । ऐसा नहीं है कि शासन उन्हें मौलिक अधिकार नहीं दे रहा है या जुलूस निकालने या भावों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है । यह सारी चीजें हैं और इसी लिए जुलूस निकालने की इजाजत दी गयी थी । जुलूस निकला ।

अगर कोई प्रतिबन्ध लगाना होता तो जुलूस को निकालने की इजाजत न होती । जुलूस निकाला गया तो अगर जुलूस हिंसात्मक हो जाता है, तोड़फोड़ का रास्ता अपनाता है और पब्लिक इंटरेस्ट के प्रतिष्ठानों जैसे पावर हाउस, पोस्ट आफिस, रेलवे लाइन को तोड़फोड़ के आधार पर क्षतिग्रस्त करना चाहता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, अराजकतत्व इस तरह से करें तो सरकार के सामने एक विकल्प रह जाता है कि उनकी रक्षा का उपाय ढूंढ़ा जाय और इसलिए वहां फौज बुलाने की आवश्यकता पड़ी । जिस प्रकार से विध्वंसात्मक कार्यवाही करने के लिये वहां तैयारियां हो रही थीं, वहां जिस प्रकार से ट्रेनों को रोके जाने का प्रयास किया जा रहा था, पावर हाउस को जलाने और नुकसान करने की योजना बनाई जा रही थी तो इन सारी चीजों पर नियंत्रण पाने के लिए शासन के पास पुलिस की शक्ति कम थी ।

एक रास्ता था कि तत्काल सेना बुलायी जाती और इन सारी चीजों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाते । इस बात को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया गया है । जहां कहीं इस प्रकार की परिस्थितियां हुई हैं, एक स्थान का सवाल नहीं है, आगरे का सवाल नहीं है, शांति व्यवस्था का प्रश्न

है। किसी वर्ग विशेष के साथ सहानुभूति दिखाने के नाम पर इस मामले को पूरे प्रदेश में उछालना नहीं चाहिये। उनके साथ हमारी सहानुभूति है। वह हमारे समाज और प्रदेश में रहने वाले एक नागरिक हैं। अगर कहीं उनके सम्मान के साथ या उनको जो लाभ मिलना चाहिये, कहीं पर किसी तरह से हानि पहुंचायी जाती है तो शासन कभी भी कुठाराघात करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बात को एसा नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि आगरा में इस तरह की आग फैले। तो इस तरह की बात करके प्रदेश में दूसरे स्थानों में सवर्ण और हरिजन के नाम लेकर इसको भड़काया जाय। एक स्थान पर इस तरह की घटना हुई तो जिस प्रकार की भावनाओं को माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया है उसके आधार पर दूसरी जगहों पर आंच न पहुंचे इस पर हमें और आपको ध्यान रखना होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--(जिला बुलन्द शहर)

मान्यवर, स्पष्टीकरण के लिये एक बात कहना हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें। अभी नहीं।

श्री राम नरेश यादव--

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से, कि यदि प्रदेश में कहीं इस तरह की हिंसा और अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें भी ऐसे तत्वों की निन्दा करनी चाहिये, भर्त्सना करनी चाहिये और अगर शासन की तरफ से ऐसे तत्वों से निपटने के लिये प्रयास किया जाता है तो उस समय जो शासन कठोर कदम उठाता है उसकी सराहना करना चाहिये। इसलिये एसा नही है कि शासन और प्रशासन की ऐसी मंशा नही है कि प्रदेश को अराजकता की तरफ वह ले जाय। जहां कहीं पर ज्यादती है उसमें प्रशासन की तरफ से कदम उठाये जाते हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। आप आलोचना करते हैं और पुलिस की ड्यूटी का जिक्र करते हैं तो यह आपका अधिकार ह जिक्र करने का। लेकिन एक बात सोचना चाहिये कि वह कौन सी बात हो सकती है जबकि ऐसे समय में अराजकता का वातावरण पैदा किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब चर्चा समाप्त।

(व्यवधान) (कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग बैठें। आप लोग बैठें। आप लोग बैठें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, इसकी न्यायिक जांच कराई जाय।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

न्यायिक जांच कराई जाये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग बैठ जायें। आप बैठें। आप लोग बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आप लोग अपनी जगह बैठें।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दो घंटे की चर्चा का समय दिया गया उसके बाद यह करना ठीक नहीं है। (व्यवधान) श्री नारायण दत्त तिवारी जी लोगों को सुनने नहीं देना चाहते हैं.... (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे।)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

न्यायिक जांच की यदि आप घोषणा नहीं करते हैं तो हम लोग १५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के साथ कुछ अन्य सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री रियासत हुसैन--

किसी बात का, न्यायिक जांच का (व्यवधान)..मिलेट्री क्यों आई, क्यों बुलाई गई....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

न्यायिक जांच करने की....

श्री रियासत हुसैन--

कोई किस्म का आश्वासन....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। आप लोग शांत रहिये।

देखिये नियम ५६ के अन्तर्गत (व्यवधान) आप लोग शांत रहिये (व्यवधान) आप लोग शांत रहिये। आप बैठिये। नियम ५६ के अन्तर्गत केवल दो घण्टे का विवाद होता है, वह अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वह न्यायिक जांच की घोषणा करें। उन्होंने आप की बातों को सुना है।

एक सदस्य--

नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष--

वह अगर नहीं करना चाहते तो मैं उन को बाध्य नहीं कर सकता हूं। तिवारी जी अब आगे सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। कृपया शांत रहें।

श्री रियासत हुसैन--

मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन सदन से बाहर चले गये।)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन् एक औचित्य का प्रश्न है। मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा है उसमें केवल "जाटव" "जाटव" वर्ग कहा है। मेरी जानकारी है कि वहां जाटव वर्ग के अतिरिक्त शेड्यूल्ड कास्ट और अन्य जन जातियां शामिल थी। सभी वर्ग के लोगों को। वर्ग विशेष की बात मुख्य मंत्री जी अपने वक्तव्य में कहते हैं, चुनाव की बात करते हैं। श्रीमन् चुनाव आगरे में नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

सेहरा जी आप बैठिये। शांत रहें। सेहरा जी ने "जाटव" "जाटव" शब्द पर औचित्य का प्रश्न रखा है। मुख्य मंत्री जी को पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी सूचना के मुताबिक अपनी बात कह सकते हैं और आप अपनी बात कह सकते हैं। इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। मैं फिर इस पक्ष के लोगों से (शोर) श्याम धर जी आप....।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं दूसरी बात कह रहा हूं। श्रीमन्, बिल्कुल दूसरी बात कह रहा हूं। आप सुन तो लीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि दो घण्टे के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। श्रीमन् इतने विवादग्रस्त स्थान की बात है मुख्य मंत्री जी जवाब देना चाहें जवाब के रूप में नहीं, वह कहना चाहें कि जुडिशियल इनक्वायरी होगी तो खड़े हो कर बोल दें। वह बाक आ ट कर रहे हैं (शोर)।

कुछ सदस्य--

वह सदन से चले गये हैं। शेम, शेम, की आवाजें।

श्री चेत राम गंगवार--

इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुख्य मंत्री चले जायं।

श्री अध्यक्ष--

शांत रहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहिये। तिवारी जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, पुरानी रूलिंग मौजूद हैं। जब समय का हिसाब लगाते हैं तो जितना व्यवधान का समय है उसे उसमें से निकाल देते हैं। उस हिसाब से अभी आधा घंटा बाकी है।

(व्यवधान)

सबसे पहली बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण विषय था और उसके लिए नियमों का निलम्बन किया गया लेकिन मुख्य मंत्री जी ने खुली न्यायिक जांच की भी घोषणा नहीं की।

श्री मधुकर दिघे—

फिर आप इनको बोलने का अवसर दे रहे हैं ?

(व्यवधान)]

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह सदन छोड़ कर भी चले गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी ने जो औचित्य का प्रश्न रखा उसका कोई औचित्य नहीं है । दो घंटे की बहस होनी थी । अगर तमाम समय व्यवधान डालने में निकल जाय तो इसके बाद समय आगे नहीं बढ़ाया जा सकता । यह बहस १ बज कर ५ मिनट पर शुरू हुई । नियम में यह है कि २ घंटे होने पर अपने आप समाप्त हो जायगी । लिहाजा मैंने बहस को समाप्त कर दिया । माननीय तिवारी जी जो विरोधी दल के नेता रहे, आज भी सबसे बड़े दल के नेता हैं, वह मेरे निर्णय का चुनौती दे रहे हैं । जब मैंने बहस को समाप्त कर दिया तो इस पर अब किसी विवाद की इजाजत नहीं दूंगा । जैसा मैंने कहा मुख्य मंत्री जी ने अपने कानों से आपकी बात को सुना । आप न्यायिक जांच चाहते थे । यह नहीं कि उन्होंने नहीं सुना, अपने कान बन्द कर लिये थे । एक बात कहना चाहता हूं । माननीय तिवारी जी आपका बड़ा उत्तरदायित्व है । यहां पर कांग्रेस दल ३० साल तक शासन में रहा है । आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) के नेता ने इमरजेन्सी की घोषणा की....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं । शांत रहें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, मंजूर अहमद को बाहर निकालिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कौशल जी, आप शांत रहें नहीं तो मैं आपको निष्कासित कर दूंगा । तिवारी जी, आप उन्हें शांत करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री तिवारी, आप अपने आदमियों को शांत करें ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, 'श्री कौशल' को बाहर निकालिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें । आप लोग बैठिये ।

डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल--

अध्यक्ष महोदय, आप अन्याय कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

इस तरह का अन्याय नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल श्री चेतराम गंगवार को बाहर निकालिये । कौशल जी को बाहर निकालिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो लोग व्यवधान कर रहे हैं, सबको बाहर निकालिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

इस तरह से सदन नहीं चल सकता ।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद--

यह तानाशाही नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो लोग व्यवधान कर रहे हैं, उन सबको बाहर निकालिये ।

(अध्यक्ष विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अध्यक्ष--

सबको पकड़ कर बाहर निकालिये जो व्यवधान कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

एक सदस्य—

इन लोगों ने गोली चलवा दी हमारे घरों पर ।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद—

अध्यक्ष, विधान सभा की तानाशाही नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं । मार्शल, जो लोग व्यवधान कर रहे हैं, सबको बाहर निकालिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, इन सबको बाहर निकालिये ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आप जरा विचार करें....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । मैं आपकी कोई बात नहीं सुनता । आप लोग तुले हुये हैं मर्यादा भंग करने के लिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आप गुस्सा न कीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप कोई मर्यादा नहीं कायम रख रहे हैं ।

श्री नरायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आप गुस्सा न करें ।

(व्यवधान)

कई सदस्य—

अध्यक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मधुकर दिघे--

क्या किसी सदस्य को अध्यक्ष को गाली देने का अधिकार है, श्री मंजूर अहमद साहब ने आपको गाली दी है ?

श्री अध्यक्ष--

मन्जूर साहब को बाहर निकाल दिया जाय ।

(मार्शल मन्जूर अहमद को सदन से बाहर ले गये ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मन्जूर साहब को किस अपराध में सदन से बाहर किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

अपराध यह है कि मेरे बार-बार कहने पर खड़े रहना और मेरी बार-बार अवज्ञा करना ।

श्री कृष्ण वीर सिंह कौशल--

आपने इन्दिरा गांधी का नाम कैसे लिया ?

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, 'श्री कौशल' को बाहर निकाल दो । मेरी अनुमति के बिना कोई खड़ा नहीं होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपको खेद प्रकट करना चाहिये । आज अध्यक्ष महोदय, आपने गुस्से में कार्यवाही की है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें । आप बैठें ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप व्यवधान डालेंगे तो मैं आपको सदन से निष्कासित कर दूंगा ।

एक सदस्य--

आप गुस्से में हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन आप सदन को चलने नहीं देना चाहते ।

(श्री चेतराम गंगवार के बैठे-बैठे कुछ बोलने पर ।)

चेतराम जी अगर कोई सदस्य बैठ कर भी चीत्कार करेगा तो मैं उसे निष्कासित कर दूंगा ।

मैं यह कह रहा था नियम २९३ में क्या लिखा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवहार किया है हमें आप पर विश्वास नहीं रहा है । हम वाक आउट करते हैं और आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी तथा उनके दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मन्जूर अहमद व श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा सदन का अपमान किये जाने के सम्बन्ध में निन्दा का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री मंजूर अहमद ने आपकी आज्ञा का पालन करने से ही इंकार नहीं किया बल्कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष को बकायदा नाम ले कर गालियां दी । उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जो जो कांग्रेस दल (आई) के नेता हैं उन्होंने पुनः आपका अपमान करने की दृष्टि से सदन का त्याग किया। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मन्जूर अहमद तथा श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो व्यवहार किया है उससे सदन का अपमान हुआ है और सदन उसकी निन्दा करता है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री मंजूर अहमद तथा श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो व्यवहार किया है उससे सदन का अपमान हुआ है और सदन उसकी निन्दा करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आगरा में हुए गोली काण्ड के सम्बन्ध में नियम २९३ के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को सम्बोधन

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कह रहा था माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से जो नियमों का जानने का दावा करते हैं कि नियम २९३ के अनुसार जिसमें लिखा है "अध्यक्ष स्वयं ही, या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर या प्रार्थना किये जाने पर किसी भी समय सदन में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को उनके पर्यालोचन में सहायता करने की दृष्टि से सदन को संबोधित कर सकेंगे" । अतः इस नियम में दिये गये अधिकारों का उपयोग करके मैं सदन को सम्बोधित कर रहा था । मैं यह कहना चाहता था कि तीस साल तक कांग्रेस का शासन रहा । उनको सत्तारूढ़ दल में रहने का अनुभव है और विपक्ष का जो कर्तव्य है उसका भी उनको ज्ञान है । लोकतांत्रिक प्रणाली को कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम मर्यादा कायम रखें, हम विधि के राज्य के प्रति आदर रखें । मैं यह कहा रहा था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिस समय इमरजेंसी की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि देश में तोड़-फोड़, अनुशासनहीनता और हिंसा की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है । इसलिये इस स्थिति का सामना करने के लिये असाधारण अधिकारों की आवश्यकता है । मैं आज इस वक्त इस पीठ से किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता कि किसका उत्तरदायित्व है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय बन्द हो गये हैं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, रेलों पर हमला करना, रेलों की

पटरियों को उखाड़ना, बसों को जलाना, निरपराध व्यक्तियों की यात्रा में व्यवधान डालना, हिंसा करना, वाक स्वातंत्र्य के नाम पर, जुलूस निकालने के नाम पर दूसरों की आजादी पर खलल डालना, यह संसदीय प्रणाली का जनाजा निकालना है। अगर हम इतिहास को देखें तो किसी देश में जहां पर कि लोकतांत्रिक प्रणाली का ह्रास हुआ है, इसी तरह की घटनायें हुई हैं। आज एक तरफ तो माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे, डकैतियां न हों, चोरी न हो और अगर ट्रेनों पर हमला होता है तो पुलिस की भर्त्सना की जाती है कि पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहीं पर कोई आग लगती है या प्रहार किया जाता है और पुलिस बल प्रयोग करती है तो इस सदन द्वारा कुछ लोगों की मनोवृत्ति है जिससे शासन का मनोबल गिरता है और वर्तमान परिस्थिति के अन्दर सुरक्षा कायम रखना अगर असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। आज जो परिस्थिति पैदा हो रही है, अगर हिंसा पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उसमें सबसे अधिक हानि महिलाओं की होगी, सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होगा, निर्बल वर्ग का होगा, हरिजनों का होगा। इसमें सबसे बड़ा हाथ हिंसा तत्वों का है जो चाहते हैं कि समाज में हिंसा की मनोवृत्ति बढ़े। जो इस तत्व को राजनीतिक रंग देते हैं, उसकी हमें निन्दा करनी होगी। आज आगरे में जो घटना घटित हुई है उसके गुण दोषों पर मैं नहीं जाना चाहता। उसमें दोनों पक्षों के लोगों ने अपने विचार रखे हैं। इस सदन के लोगों को अपने विचार रखने का हक है। लेकिन यह सदन नियमानुसार चल सकता है।

आज अनायास ही नियमों का अतिक्रमण करके माननीय सदस्यों के प्रश्न करने के अपने अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया। एक प्रश्न पर राजकोष पर करीब-करीब ५०० रुपये का भार आता है और जो व्यक्ति प्रश्न के घन्टे को समाप्त करने के जिम्मेदार हैं उन्होंने जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न की सूचना दी है, उनके ऊपर हमला किया है और उन्हें प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित कर दिया है। नियमावली के अनुसार जैसे नारायण दत्त जी ने प्रस्ताव रखा, वे चाहते थे कि नियमों को निलंबित करके प्रश्न का घन्टा आज स्थगित कर दिया जाय। मैं चाहता था कि इस प्रश्न को मैं सदन के सम्मुख पेश करूं क्योंकि सदन का निर्णय सबके लिये शिरोधार्य है, लेकिन कोई अल्पमत अगर केवल हंगामा करके सदन की कार्यवाही में शोर और उत्पात करके बहुमत के निर्णय को रोकना चाहें तो वह लोकतन्त्र नहीं है और न अल्पमत के लोगों के अधिकारों का सवाल है। बहुत से लोग चाहते थे कि प्रश्नों का समय स्थगित कर दिया जाय। मैं इस प्रश्न को रखना चाहता था। एक तरफ तो यह अपेक्षा की जाती है कि मैं बहुमत के आक्रोश से उनकी रक्षा करूं दूसरी तरफ उन नियमों का पालन करने में कुछ विरोधी पक्ष के लोग मेरी सहायता नहीं करना चाहते हैं। आज प्रश्नों का घन्टा न होने का और कार्यवाही को रोकने का कोई औचित्य नहीं था। जिन लोगों ने, विरोधी पक्ष के लोगों ने व्यवधान डाला है उन्होंने निसंदेह लोकतन्त्रीय प्रणाली की अवहेलना की है, इस सदन का अवमान किया है। और श्री नारायण दत्त तिवारी ने जिस प्रकार एक पीठासीन अध्यक्ष के खिलाफ वक्तव्य दिया यह भी सदन का अवमान है। यह संसदीय प्रणाली की अवहेलना करना और साथ ही उसके प्रति अपना अज्ञान प्रकट करना है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार को, चाहे वह किसी भी दल की हो, गोली चलाने से, हिंसा से प्रसन्नता नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही कुछ व्यक्तियों को यह भी अनुचित अधिकार होगा अगर कहीं कोई गोली चले तो उससे राजनीतिक पूंजी पैदा करने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने आज देखा, आगरा आखिर यहां से तीन-चार सौ किलोमीटर दूर है। एक घंटे बाद यदि सूचना आ जाती तो ऐसा नहीं था कि आगरा के अन्दर फायरब्रिगेड का इंजन यहां से बटन दबा कर पहुंच जाता या कोई अहित हो जाता। लेकिन इसमें केवल श्रेय लेने की

[श्री अध्यक्ष]—

बात है कि हम हैं बड़े मसीहा । मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों का जहां तक सवाल है उसे पांव नहीं बनाना चाहिये । लेकिन राजनीतिक दल जिनका अन्तिम लक्ष्य वोट प्राप्त करना है उसे अपने हाथ का खिलौना बनाना चाहते हैं, यह बिलकुल अनैतिक कार्यवाही है ।

आज जिस प्रकार सदन के अन्दर मनमाने ढंग से सदन को एक दिशा में ढकेल देने की कोशिश की गई यह संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है और मैं चाहता हूं कि सदन में यदि कहीं गोली कांड होता है तो उसमें जहां सरकार का दायित्व है वही जनता का तथा और लोगों का भी दायित्व है । मैं भी एक नागरिक के नाते समझता हूं कि आखिर कानपुर में झगड़ा हुआ, गणेश शंकर विद्यार्थी ने बलि दी, अहमदाबाद में झगड़ा हुआ तो वहां एक मुसलमान और एक हिन्दू युवक ने अपनी बलि चढ़ा दी और उनके नाम से आज सेवा दल चलता है । सन् १९४६ में जब कलकत्ता जल रहा था गांधी जी ने ऐसा काम किया कि मुसलमान महिलाओं ने जिनके आदमी मारे गये थे हिन्दुओं द्वारा तिलक लगाया और हिन्दू महिलाओं के जिनके आदमी मारे गये थे मुसलमान ने तिलक लगाया । यहां लखनऊ के अन्दर विवाद हुआ, आप मुझे क्षमा करेंगे सदन के अन्दर उत्तेजनापूर्ण भाषण हुए उसकी प्रतिक्रिया कानपुर में हुई । आखिर में समझता हूं कि विवाद से अधिक हमारे लिए जीवन का मूल्य है । निर्दोष व्यक्तियों की जानों का मूल्य है । यह ठीक है कि संविधान के अनुसार हमको यहां पर सुरक्षित भाषण देने का अधिकार है वहां आपका दायित्व और बढ़ जाता है कि आप उस अधिकार का दुरुपयोग न करें और संयत भाषा का प्रयोग करें जिससे जो समस्यायें हैं उनका हल निकल सके । उनको उलझाने का प्रयास न किया जाय । मैं यह भी चाहता हूं कि सदन इस पर भी गम्भीरता से विचार करे और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि, जैसा प्रधान मंत्री जी ने सभी दलों से आह्वान किया है शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वह योगदान करें, वह विचार गोष्ठी करें । आप भी इस पर विचार करें । मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं आग लगती है तो उसे कोई आदमी किसी दायरे तक सीमित नहीं रख सकता है । पुलिस एक ब्रूट फोर्स है । अगर उसका इस्तेमाल किया जायेगा तो यह कहना कि उस ब्रूट फोर्स द्वारा एक सीमा तक गोली चले यह नामुमकिन है ।

मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि यह ज्यादा उचित होगा और उत्तर प्रदेश मार्ग दर्शन करेगा कि यहां एक प्रस्ताव लाया जाए कि पी० ए० सी० को डिस्बैंड किया जाए, पुलिस अनुदान को समाप्त किया जाए और यहां पर केवल एक गांधी शान्ति सेना हो, जो जाकर लोगों को अहिंसक बनाए । सूबे में इससे कल्याण होगा और १०० करोड़ रुपये का बजट भी बचेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जैसा अकबर ने कहा है :

"लीडर को गम है कौम का,
लेकिन बड़े आराम के साथ ।"

तो यह जो काम है गम को आराम के साथ गर्क करने वाला, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है । चुनाव तो अभी ४–५ साल आगे हैं, उसकी अभी से भूमिका तैयार करना है और जो उपेक्षित और पददलित वर्ग है, उसको बलि का बकरा बनाना कतई उचित नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां कहीं भी इस प्रकार के झगड़े हों, उनमें आप लोग निष्पक्ष और निरपेक्ष बुद्धि से, इस दृष्टि से सोचें कि आपका सुझाव रचनात्मक हो, जिससे उसका समुचित हल निकल

सके । मैंने कई बार सुझाव दिया है--न्यायिक जांच हो, लेकिन न्यायिक जांच तो केवल पोस्टमार्टम है । प्रयास यह रहना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ही न घटें । कहीं २-१ व्यक्ति मरता है तो रोना होता है, लेकिन जहां महामारी होती है, जैसा मेरा खुद का अनुभव है प्लेग के दिनों का, जहां एक घर से रोज एक एक अर्थी उठती है, जहां एक-दो आदमी मरे, वहां आदमी रोता है और जहां रोज मरते हैं आंख के आंसू भी बन्द हो जाते हैं । प्लेग में मैंने देखा इधर एक की मौत हुई, उधर दूसरा मरने जा रहा है, तो ऐसे में लोग पहले वाले के लिए रोना बन्द कर देते है और आगे वाले की फिक्र करते हैं । जहां उत्तर प्रदेश में ऐसे तत्व हैं, क्या हुआ है हैदराबाद में, क्या हुआ है महाराष्ट्र में और क्या हुआ है आन्ध्र के ट्रिवन सिटीज में ? क्यों सेना बुलाई गई वहां तो कांग्रेस(आई०)का राज्य है ? तो मैं कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में यह सब करना उचित नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि प्रदेश के हित में वे इस बात का प्रयास करें कि यहां का वातावरण शान्त हो ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं तो यह समझता था कि आप न्यायिक जांच के सम्बन्ध में सरकार को कोई सलाह देंगे ।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री फजलुर्रहमान अंसारी (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैंने महसूस किया है कि इस सरकार को उत्तर प्रदेश में शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, यह जालिम और जुल्मी और हत्यारी सरकार है । इसने बार-बार गोली काण्ड करवाए हैं इस प्रदेश की मासूम जनता पर.... (व्यवधान) आप हल्ला मचा लें और खूब गोलियां चलवा लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, अब कुछ नहीं, आप बैठें । (बार-बार कहने पर भी न बैठने पर) मार्शल इनको बाहर निलालो ।

श्री फजलुर्रहमान अंसारी--

[× × × × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा । इनको बाहर निकाला जाए ।

श्री फजलुर्रहमान अंसारी--

[× × × × ×]

(मार्शल विधान सभा रक्षकों की सहायता से श्री फजलुर्रहमान अंसारी को सदन से बाहर ले गये ।)

नोट--[× × × × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रामसजीवन--

अध्यक्ष जी, मेरी बात सुनिए । अब तक मैं बहुत शान्ति से बैठा रहा । अब मैं, एक बात कहना चाहता हूं । आपने व्यवस्था दी है कि दिघे साहब बोल ले, उसके बाद.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए ।

मार्शल, इनको बाहर ले जाइये । मैं आपसे कह रहा हूं । आप बैठ जाइये । आप बैठिए ।

श्री राम सजीवन--

एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

बाहर निकलिये । मार्शल बाहर निकालिये ।

श्री राम सजीवन--

एक मिनट टाइम आप नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

बाहर निकलिये ।

श्री राम सजीवन--

चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, बाहर निकालिये ।

श्री राम सजीवन--

इसलिए हम अपने दल के साथ....

(मार्शल के श्री राम सजीवन के पास पहुंचने पर श्री राम सजीवन अपने दल के सदस्यों के साथ सदन के बाहर चले गये ।)

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा में कार्य करने के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

प्राविधिक शिक्षा उप मंत्री (श्री कुंवर सत्यवीर)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्य-क्रम निर्धारित किया गया है ।

१--नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय	मंगलवार, दिनांक ९ मई, १९७८ को ४ बजे अपराह्न तक ।
२--नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	मंगलवार, दिनांक ९ मई, १९७८ के ५ बजे अपराह्न । (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
३--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	बृहस्पतिवार, दिनांक ११ मई, १९७८ को ४ बजे अपराह्न तक ।
४--मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	मंगलवार, दिनांक १६ मई, १९७८ को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न ५ बजे तक (कमरा नं० ४८ में) होगा ।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८†

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २३--लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या ५७--उद्योग, अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या--५९ खाने तथा खनिज, अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, तथा अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम-उद्योग

*उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

†२ मई, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम प्रकाश]

संख्या २३--लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,५१,४०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५७--उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,१,१,२३,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,५१,३७,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--५९-खाने तथा खनिज के अन्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५६,५७,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,९७,९९,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,५३,२७,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उद्योग मंत्री जी संक्षेप में आप अपनी बात कहें, क्योंकि ५ बज अनुदान समाप्त कर देना है ।

श्री राम प्रकाश--

हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण का विकास एक महत्वपूर्ण विषय है और जनता शासन में आने के बाद जो उसकी नीति है उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । विभिन्न पहलुओं पर अन्तिम निणय ले लिया गया है और इस समय तमाम औद्योगीकरण का विकास करने के लिए जिन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, मैं उनकी ओर संक्षेप में माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमें, आर्थिक क्षेत्र में जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना होगा और इसको हम कर भी रहे हैं। बहुत तेजी के साथ ग्रामों की और उद्योगों को ले जाने का प्रयास हो रहा है। दूसरी ओर श्रीमन्, जो छोटे वर्ग ह जिनको हम कह सकते हैं कि जो सम्पत्ति विहीन हैं उन लोगों को समृद्धशाली बनाने के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं और यह भी नीति निर्धारित कर दी गयी है कि जो छोटे उद्योग हैं उनसे बड़े उद्योग कम्पटीशन नहीं करेंगे बल्कि वे उनकी सहायता करेंगे, उनके लिए मशीनरी तैयार करेंगे जिससे स्वचालित अर्थ व्यवस्था का शुभारम्भ हुआ है।

अगर गरीबी और बेरोजगारी पर प्रहार करना है तो उसको दूर करने का एक मात्र तरीका है कि उद्योगों के जाल का विस्तार करना होगा। अगर हम खेती की जोतों के बारे में विचार करें तो हमें विदित होगा कि कुल जोतें १५६ लाख हैं और ३ हेक्टयर तक की जोतों वाले व्यक्ति खुशहाल नहीं हो पाते हैं। ९ प्रतिशत जनता ऐसी है जिनके पास ३ हेक्टेयर से अधिक भूमि है और ९१ प्रतिशत गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं उनकी दशा सुधारने का एक ही तरीका है कि उद्योगों का विकास किया जाये और गांवों में उनको फैलाया जाये। गरीब आदमी को उद्योग में हिस्सा मिले इसके लिए पर्याप्त अवसर दिया जाय। इसी बात को ध्यान में रखकर औद्योगिक नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया है और गांव-गांव तक छोटे-छोटे हरिजनों तक इन उद्योगों को पहुंचाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।

मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन २-३ योजनाओं को, जिन्हें हमने अपने हाथ में लिया है, उनके बारे में माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। पहला तो यह है कि हमने ग्राम संवधन केन्द्र बनाना प्रारम्भ कर दिया है। पहली बार यह योजना बनायी जा रही और हमने ६० ग्राम संवर्धन केन्द्र शुरू किए हैं और उन पर २-३ माह के प्रयास से १२०० आदमी लगेंगे। उनको कच्चा माल और बिजली देने का भी प्रयास किया जा रहा है। जितने ये ग्रोथ सेन्टर्स, जिनमें छोटे-छोटे उद्योग लगेंगे, हैं उनके लिए शासन कम ब्याज पर ऋण और कम मूल्य पर बिजली देने पर भी विचार कर रहा है। यह निर्णय पूरा हो गया है और इससे गांव-गांव में उद्योग चलेंगे। इस वर्ष ये ६० ग्राम संवर्धन केन्द्र होंगे लेकिन अगले वर्ष में हम ११० नये केन्द्र खोलेंगे अभी हम कम संख्या में ले रहे हैं चूंकि जो लगाये गये हैं, हम चाहते हैं कि उन पर वास्तविक उद्योग लगें और लोगों के मन में यह विश्वास हो जाय कि जो योजनायें चल रही हैं वे ठीक हैं और उनका बना हुआ सामान बाजार में बिकेगा। हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ सेन्टर्स को बढ़ायेंगे जिससे पर्वतीय इलाके में, बुन्देलखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के के पिछड़े इलाकों में गांव-गांव मे हम संवर्धन केन्द्र खोल सकें और वहां उद्योगों को आगे बढ़ा सकें।

जो हरिजन हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास २ एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं है उनको इससे फायदा पहुंच सकेगा। आज यहां पर हरिजनों के प्रश्न को लेकर आगरा के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा की गयी लेकिन ३० साल के कांग्रेस शासन में हरिजनों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया है। जो यह योजना हमने अपने हाथों में

[श्री राम प्रकाश--]

ली है अगर माननीय सदस्यों ने और इस प्रदेश की जनता न और शासन ने ठीक प्रकार से काम किया तो यह उद्योग ऐसी क्रान्ति लायेगा जिसको प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा ।

इस योजना के लिए १०-१५ आदमियों की एक सहकारी समिति होगी जिसमें ८० प्रतिशत हरिजन होंगे, भूमिहीन होंगे और २० प्रतिशत ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास २ एकड़ से अधिक भूमि न होगी या जो सम्पत्ति विहीन लोग होंगे । सहकारी समिति में अगर एक व्यक्ति अपना अंशदान १०० रुपये तक देगा तो १०० रुपये अंशपूंजी के रूप में शासन द्वारा दिया जायगा और इस प्रकार से सहकारिता विभाग और उद्योग विभाग द्वारा वर्किंग केपिटल दिलायी जायगी । इस प्रकार से १० लाख तक की कल्पना की गयी है । अगर ये छोटे-छोट केन्द्र चलेंगे तो जब तक ये मुनाफा नहीं कमाते हैं, जो पूंजी सरकार ने लगायी है, उसका भुगतान नहीं करती है तब तक शासन द्वारा नियुक्त लोगों के प्रबन्ध की जिम्मेवारी शासन पर रहेगी और जब मुनाफा कमायेंगी, लाभ कमायेंगी तब उसके बाद सहकारी समितियों से शासन अपने को अलग कर लेगा । इस प्रकार से इस वर्ष में जिन सेन्टर्स पर इस प्रकार की योजना चल रही है, उनमें काम आरम्भ हो गया है ।

हमारे प्रदेश में सहकारी समितियों का पंजीकरण हुआ है । इनमें से एक अदरख सुखाने वाली है जो बरुआ सागर, जिला झांसी में है और जिसके सदस्यों की संख्या ४० है । दूसरी कसिया, जिला देवरिया में डनलप कार्ट की है जिसके सदस्यों की संख्या ३७ है । तीसरी भदाड़ी, जिला अल्मोड़ा में गलीचे के काम की है जिसके सदस्यों की संख्या २५ है, चौथी जमानिया, जिला गाजीपुर में चर्म वस्तुओं से लिए है जिसकी सदस्य संख्या १०७ है, पांचवीं चर्म वस्तुओं के लिए ही बिन्दकी, जिला फतेहपुर में है जिसके सदस्यों की संख्या २५ है और बोन मिल के लिए बांसडीह, जिला बलिया में है जिसके सदस्यों की संख्या ५ है ।

(इस समय ३ बजकर ५१ मिनट पर अधिष्ठाता श्री शिवमंगल सिंह पीठासीन हुए) ।

इस प्रकार ६ योजनाओं पर काम शुरू किया जा रहा है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो यह प्रारंभ है और प्रारंभ में बड़ी सावधानी से कदम रखना चाहिए । लेकिन अगर ६ योजनाएं सफल होकर बढ़ेंगी तो निश्चय ही हजारों उद्योगों का प्रसार प्रदेश में गरीबों के हित में होगा और स्वामित्व भी उन्हीं के पास रहेगा और वास्तव में गरीबों को सम्पत्ति का स्वामी बनाने का जो हमारा स्वप्न है उसको हम साकार कर सकेंगे । तीसरी योजना अभी तक हमारे प्रदेश में उद्योग के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए कच्चा माल प्राप्त करने और बिजली आदि अनेक बातों में कठिनाइयां आती थीं । अब एक बड़ी क्रान्तिकारी योजना केन्द्रीय शासन की नीति के अनुसर इस प्रदेश में लागू की गयी है कि हर जिले में एक जिला केन्द्र बना दिया गया । उसमें ३-४ करोड़ रुपया खर्च होगा । उस जिला केन्द्र में एक महा-प्रबन्धक, जनरल मैनेजर होगा और उसके साथ ७ सहायक प्रबन्धक होंगे । कोई ऋण देने का काम करेगा, कोई योजना तैयार कराने काम करेगा, कोई कच्चा माल देने का, कोई बाजार का काम करेगा । इस प्रकार से सारा काम बंटा रहेगा, लेकिन एक ही छत के नीचे, एक ही अधिकारी के द्वारा सब चीजें उपलब्ध कराई जायेंगी और जितने कारपोरेशंस और निगम हैं

वह अपने अधिकारों को हस्तान्तरित करेंगे। कच्चा माल ऋण आदि की हर प्रकार सुविधा जिला केन्द्र पर दी जायगी। इस तरह से औद्योगीकरण का एक बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है।

श्रीमन्, १३ जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित हो चुके हैं और इस वर्ष में ४४ जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना हो जायगी और बाकी बचे हुए जिलों में अगले वर्ष हो जायगी।

मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जो हमारा पिछले वर्ष का काम है वह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। आगे बढ़े हैं और बहुत सी कठिनाइयां जो बेसिक थीं, मौलिक थीं उनको हमने पार कर लिया है। इस प्रदेश के अन्दर उद्योगों को बढ़ाने के लिए जहां हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम और योजना बना रहे हैं और केन्द्र का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ पिछले दिनों में बड़ा अन्याय किया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का ग्रोथ रेट हमेशा कम रहा है, जो आल इंडिया का ग्रोथ रेट है सारे देश का, उससे आधा ही हमारे प्रदेश का रहा है और अगर हम देखें प्रति व्यक्ति आय तो उनमें भी हम बहुत कम रहे हैं। किसी प्रकार से भी हमारे प्रदेश को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो पायी। इस समय मेरे पास १९७४–७५ के आंकड़े उपलब्ध हैं। उनके बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय २५४ रुपया थी। जबकि बंगाल की ३८६ रुपया, हरियाणा की ४२१ रुपया, महाराष्ट्र की ४६३ रुपया और पंजाब की ४८५ रुपया थी। इस तरह से हम पीछे हटते चले गये।

लेकिन एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हम योजना बनाते हैं तो कहा जाता है कि प्रदेश के पास अपने संसाधन नहीं हैं, हम टैक्स लगाने से घबराते हैं इसलिए योजनायें नहीं बनतीं। लेकिन योजनाओं में जो कमी होती है वह अलग विषय है, उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन योजना के अलावा जो केन्द्र के द्वारा संचालित प्रोजेक्ट्स इस प्रदेश में लगाये जाते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में, प्रदेश के साथ कैसे अन्याय हुआ है। पहली दो योजनाओं में एक पैसे का भी इनवेस्टमेंट केन्द्र के द्वारा नहीं किया गया और आज तक हिन्दुस्तान में जो केन्द्र की योजनाओं पर इनवेस्टमेंट हुआ है वह १४.४४२ करोड़ का इनवेस्टमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश में कितना हुआ है। तो श्रीमन्, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि अभी तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक केवल ४८५ करोड़ का इनवेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। जबकि हमारी जनसंख्या के हिसाब से ढाई हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था। केन्द्र द्वारा जो भी योजनायें पिछले वर्षों में चलायी गयीं, आखिर वे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चलायी गयीं? उसमें अगर हमारी सहायता की गयी होती तो हमारा प्रदेश जो आज इतना पिछड़ा हुआ है, इतना पिछड़ा हुआ न रहता। और अगर अन्य प्रान्तों की तरह आगे होना है तो इस १९०० करोड़ रुपये के गैप को पूरा करना होगा। हमें उत्तर प्रदेश के अपने माननीय संसद सदस्यों से कहना पड़ेगा कि वे इस गैप को पूरा कराने का प्रयास करें और यह प्रयास करें कि भविष्य में किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में इनवेस्टमेंट कम न होने पाये।

[श्री राम प्रकाश—]

इसके लिए हमने यह निर्णय लिया है कि अपने सारे प्रदेश में हर डिवीजन में एक कमेटी बनायी है जिसका चेयरमैन कमिश्नर होगा लोक सभा के मेम्बर उसके मेम्बर होंगे। वे अपनी कमिश्नरी के बारे में विचार करेंगे, कहां कितन और क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसको समझेंगे, क्या हो सकता है उस पर विचार करेंगे और केन्द्र से उसके पाने के लिए संघर्ष करेंगे। इस तरह से प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सकेगा। इन सब प्रयासों से हम प्रदेश को आगे बढाना चाहते हैं।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि छोटे उद्योग हमारे प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए अमृत समान हैं। बड़े उद्योगों से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मिर्जापुर में बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं, पर मैंने देखा कि उनसे गांव में खुशहाली नहीं आयी। उसका केवल कारण यही रहा है कि वहां छोटे उद्योग नहीं लगाये गये। बड़े उद्योग लगे, सामान बाहर से आया और बाहर चला गया। वह इलाका अछूता रह गया। हमें खुशी है कि इस साल छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ाने की दृष्टि से हमने ९ करोड़ रुपये से बढ़ा यह धनराशि १३ करोड़ की है। इस प्रकार ४०-४५ प्रतिशत यह धनराशि हमने बढ़ायी है। इससे सारे प्रदेश में छोटे उद्योगों का जाल फैल जायेगा।

प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उद्योगों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और उद्योगों के लिए तीन बातें आवश्यक होती हैं। पहला यह कि बिजली उपलब्ध होना चाहिये, दूसरे उद्योग विभाग के अधिकारियों की जनता के प्रति सहानुभूति होना चाहिये, तीसरा यह कि बाजार बढ़ना चाहिये। बाजार को बढ़ाने के लिए भी हमने काफी प्रयास किया है। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया है। हमारा प्रयास है कि हमारे माल के लिये हिन्दुस्तान भर में अधिक से अधिक बाजार हों।

हैंडलूम सेक्टर में हमने जो उपलब्धि प्राप्त की है मैं वह भी बताना चाहता हूं। कन्ट्रोल कपड़े का उत्पादन १९७६-७७ में केवल ३० लाख रुपये का हुआ था, इस वर्ष १९७७-७८ में वह बढ़ कर ५ करोड़ ४४ लाख का हुआ है। अनेकों प्रदर्शनियों में भी हमारा हैंडलूम का सामान गया। जगह-जगह हमने शो रूम भी सारे हिन्दुस्तान में स्थापित किये हैं। इस दिशा में बहुत बड़ी वृद्धि हमारी बिक्री में हुई है। इस तरह से बहुत तेजी से काम हो रहा है।

श्रीमन्, कालीन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इस वर्ष १०५ नये सेन्टर्स स्थापित किए गए, ८० सेन्टर्स केन्द्र के द्वारा स्थापित किए गए तो इस तरह से १८५ नये सेन्टर्स कालीन के स्थापित हुए हैं। ये सेन्टर्स अगले वर्ष बढ़ कर ३०० हो जायेंगे। इस प्रयास के लिए इसमें पर्याप्त धन की मात्रा रखी गयी है। शासन का काम उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। निजी क्षेत्र में छोटे-छोटे कारखाने लगाने वालों को सहायता देना है। उनको बढ़ाने के लिए हर समय उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करना है। शासन का यह प्रयास है कि हथकर्घा क्षेत्र में उन्नति हो, जिससे अच्छा सूत मिले, अच्छा रंग मिले, प्रशिक्षण दिया जाय, सघन विकास किया जाय। इस दृष्टि से कितनी ही योजनाएं हैं, मऊ, बनारस, मेरठ आदि अनेक स्थानों पर, वहां पर नये-नये प्रोसेसिंग और डिजाइन लगा रहे हैं पोलिस्टर मिलाने के लिए। इसके लिए भी बड़ा व्यापक योजना बनाई गयी है। इस साल के बजट में ६० लाख रुपये उसके लिए रखा गया है।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान १२५३ संख्या २३--लेखन सामग्री और मुद्रण अनुदान संख्या ५७--उद्योग, अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग अनुदान संख्या ५९--खाने तथा खनिज, अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, तथा अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम उद्योग

इसी तरह से चमड़े का क्षेत्र भी एक बड़ा मौलिक क्षेत्र है। सारे हिन्दुस्तान, सारी दुनियां की अपेक्षा हमारे प्रदेश में चमड़े की सफाई अच्छी होती है। हमारा प्रयास है कि इस दिशा में हम पैसा लगावें तो इस काम का काफी विस्तार हो सकता है तथा बाजारों में, एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। यह कम्म उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक बढ़ सकता है। इस काम को बढ़ाने के लिए हम योजना बना रहे हैं। विचारपूर्वक हमने यह निर्णय लिया है कि हमारे कारपोरेशन को, चमड़ा निगम को इस बाजार में आना पड़ेगा। आज सारे प्रदेश में जो बाटा की दुकानें दिखाई पड़ रही हैं, जिनमें मजदूरों का शोषण किया जाता है, हमारा यह प्रयास है कि इस वर्ग का शोषण न हो सके। हमारा प्रयास है कि इससे जनता चप्पल कम पैसे में उपलब्ध हो सकेगी और इससे प्रदेश का भला होगा। जिस प्रकार से हमारी जनता साड़ी लोकप्रिय हो गयी है, उसी प्रकार से जनता के लिए यह चप्पल प्रिय हो जाय, हमारा यह प्रयास है। आगरा में इस प्रकार के उद्योग की स्थापना की जायगी, जिसमें जूते और चप्पल बनेंगे। इनका सारा सामान चमड़ा निगम खरीद लेगा और उसको बाजार में बेचेगा। इसको कार्यान्वित करने के लिए एक करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। लेकिन इस योजना को प्रारम्भ करने से पहले यह देखना होगा कि बाजार पर हमारा कितना अधिकार होगा। जहां-जहां पर चमड़े का काम होता है, वहां पर इसको बढ़ाने की कोशिश की जायगी।

हमारे विभिन्न निगम जो काम कर रहे हैं, उन्होंने फैसला किया है कि हम तेजी से काम करेंगे। जो ऋण देने में कठिनाइयां थीं, ५० हजार के ऋण पर सेल्स-टैक्स और इन्कम टैक्स की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न प्रकार के ऋण देने के लिए जिला केन्द्रों को अधिकृत किया जा रहा है। इसलिए जिला केन्द्र पर सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध हो जायेंगी। बिजली की जो कमी थी, बड़ी परेशानी थी, लेकिन इधर हमारे प्रदेश में बिजली की सुविधा हो गयी है। बिजली की मात्रा काफी उपलब्ध हो गयी है। हजारों नये-नये उद्योगों को हमने बिजली दिया है। डिस्ट्रिक्ट सेन्टर पर जो उद्योग लगाये जायेंगे, उनको बिजली की कठिनाई नहीं होगी। बिजली लगाने का काम हमारे जिला स्तर को हस्तांतरित कर दिया जायगा और इसलिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ाने में एक बड़ी व्यवस्था लाने में अब कोई कमी नहीं है। मने अपने अधिकारियों की एक स्टडी टीम बनाई थी और उसको महाराष्ट्र भेजा। महाराष्ट्र से वह लौट कर आये कर्नाटक जायेंगे। वहां के जो तरीके हैं और उन तरीकों के आधार पर, जो सुविधायें वहां उद्योगों को प्रदान की जाती हैं, वह उनका अध्ययन करेंगे और फिर ढांचे में किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए, वह परिवर्तन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पिछले ३० सालों में यदि पीछे रहे हैं तो अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहां की हस्तकला, हैंडीकैफ्ट ऐसी है जिसकी सारी दुनियां में मांग है।

उत्तर प्रदेश अगर हिन्दुस्तान के अन्दर कभी समर्थ रहा है तो हस्तकला के आधार पर रहा था, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। हस्तकला को बढ़ाने के लिए, चाहे सहारनपुर की काष्ठ कला हो, लखनऊ का चिकन जरी का काम हो, मुरादाबाद में बर्तन बनाने का काम हो, चमड़े का काम हो या चूड़ी का काम हो यह सारा

[श्री राम प्रकाश--]

काम हमारे प्रदेश में होता है। इससे हम प्रदेश की गरीबी को दूर कर सकते हैं, यह हमारी गरीबी दूर करने के हथियार है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में क्वालिटी गुड्स तैयार करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सरकार खर्च करेगी। हर क्षेत्र को सरकार एक ऊंचाई तक पहुंचाना है चाहती है। सारी दुनियां में हमारे सामानों की मांग है इसके लिए हमें क्वालिटी गुड्स तैयार करनी पड़ेंगी। अगर यह काम हुआ तो हिन्दुस्तान के अन्दर उत्तर प्रदेश एक पहला प्रदेश होगा जो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करेगा।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

श्रीमन्, चूंकि वक्त बहुत कम है इ लिये मैं बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि सदन इन अनुदानों को सर्वसम्मत से स्वीकार करेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

एक स्पष्टीकरण मान्यवर, चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की ११ हजार लघु औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जिनका धरातल पर अस्तित्व नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आपको इसका अवसर मिलेगा। अपने भाषण में कह सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, ११ हजार लघु औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं, जिनका धरातल पर अस्तित्व नहीं है और करोड़ों रुपया उनके ऊपर ऋण है। उनके बारे म मन्त्री जी कुछ कर रहे हैं?

(मन्त्री जी को उत्तर के लिए नहीं बुलाया गया।)

श्री अधिष्ठाता--

अब श्रीमती कुदसिया बेगम कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगी।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं ग्रांट नं० २३, ग्रांट नं० ५७, ग्रांट नं० ५८, ग्रांट नं० ५९, ग्रांट नं० ७८, ग्रांट नं० ९४ पर कटौती का प्रस्ताव पेश करती हूं। मैं प्रस्ताव करती हूं कि इन अनुदानों में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक-एक रुपया कर दिया जाय।

जनाबेवाला, अभी माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में बहुत दावे किये हैं कि वह हमारे प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ायेंगे और करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। हम सबको इससे खुशी हुई और कोई ऐसी नहीं है जिसको किसी तरह का एतराज हो। लेकिन जनाबेवाला, मन्त्री जी जो इंतजाम कर रहे हैं, मन्त्री जी से मैं उन चीजों का जिक्र करना चाहती हूं जो इस वक्त चालू हैं, लेकिन रुपये की कमी से वह नहीं चल रही हैं। जनाब को मालूम है कि हैंडलूम हमारे हिन्दुस्तान का बहुत पुराना उद्योग है। गांव-गांव में गरीब आदमी, औरतें और बच्चे हैंडलूम के करघे चलाते हैं और अब पावर लूम भी शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहती हूं कि मैं ऐसे क्षेत्र से आती हूं जहां इसका बहुत पुराना उद्योग था। इसको बढ़ाया गया और कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई गयीं थीं। उनसे अच्छे से अच्छे कपड़ा निकलता था। लेकिन मुझे अफसोस है कि न सिर्फ संडीला बल्कि उत्तर प्रदेश में और भी सेंटर्स हैं, जहां रुपये की कमी की वजह से यह सोसाइटियां बिल्कुल मुर्दा होती चली जा रही हैं और कर्जे का उन पर इतना पैसा हो गया है कि वह पनप नहीं सकती हैं, जब तक कि सरकार उनकी मदद न करें। मुझे उम्मीद थी कि उद्योग मन्त्री आपने भाषण में जरूर उसका जिक्र करेंगे क्योंकि यह जो उद्योग है उसको मरना नहीं चाहिये। मन्त्री जी ने अभी बताया कि विदेशों में इसकी बहुत मांग है तो यह सही है।

मान्यवर, संडीला छोटा क्षेत्र है वहां कई साल हुये हैन्डलूम और करघे का काम चल रहा था तो एक करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट कपड़े का, किया था हमारी संडीला की सोसाइटीज ने। लेकिन अफसोस है कि रुपये की कमी से, कर्जे के दबाव से वह सोसइटीज समाप्त होती जा रही हैं। इसलिये मन्त्री जी को चाहिये था कि वह इसका जिक्र करते। नई इंडस्ट्रीज बढ़ाने की तो बहुत स्कीमें हैं, लेकिन जो सेट यूनिटें हैं, जिनका पनपना आवश्यक है, जहां पुराने व्यक्ति बुनकर काम करते चले आ रहे हैं, उनकी रिलीफ के लिए कोई मन्त्री जी ने बात नहीं कही है। मैं कहना चाहती हूं कि वर्किंग ग्रुप छठी योजना के लिये पावर लूम के बारे में सिफारिशें करने के लिये बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट २-३ महीने हुये पेश किया है। मन्त्री जी ने भी उस रिपोर्ट की सिफारिशों को देखा होगा। उसमें सबसे बड़ी सिफारिश यह भी है कि जो सिक यूनिटें हैं उनके ऊपर जो कर्जा है उसको तीन साल के लिए फ्रीज कर दिया जाय और वर्किंग कैपिटल के लिए रुपया दिया जाय। क्योंकि इसी वजह से यह समाप्त हो रही हैं।

आपको मालूम ही है कि गांवों में बिजली कितने खराब तरीके से आती हैं। कभी रात में और कभी दिन में आती है। उसके घंटे भी मुकर्रर हैं। इससे उनको तकलीफ होती है। बुनकरों को उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। इसलिये उनको बिजली की छूट दी जाय। पहले जो बिजली खर्च होती थी उतना ही बिल आता था लेकिन १९७६ से हो गया है कि माहवारी हर पावर लूम पर इतना रुपया देना पड़ेगा चाहे वह चले या न चले। इस प्रकार सोसाइटीज के ऊपर वह बिल आ जाते हैं और पे करना पड़ता है। चुंगी भी ऊंची है और सेल्सटैक्स भी लगा है। इसलिये इन चीजों पर विचार करना जरूरी है और सेल्सटैक्स को समाप्त करना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि आप नये प्रोजेक्ट बना रहे हैं लेकिन जो मौजूद हैं उनको जागृत करने के लिए मन्त्री जी के पास कोई न कोई स्कीम होनी चाहिये। मिसाल के तौर पर हमारे यहां संडीले में जो छोटी पावर लूम और हैन्डलूम की यूनिटें चल रही थी वह रुपये की कमी के कारण समाप्त हो रही हैं। इसलिए उनसे फायदा उठाया जाय और उनको जागृत किया जाय। दो-तीन साल हुये संडीले में एक स्पिनिंग मिल स्थापित हुआ है तो चाहिये था कि जो सूत वहां बनता है वह सबसे पहले वहां के बुनकरों, जिनको जरूरत है,

[श्रीमती कुदसिया बेगम--]

उनको दिया जाय । लेकिन स्पिनिंग मिल में जितना सूत निकलता है वह मिडिल-मैन के जरिये लिया जाता है । माननीय मन्त्री जी को भी मालूम है कि हरदोई का जिला २३ जिलों में बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, उद्योग के मामले में । संडीला में स्पिनिंग मिल स्थापित की गई तो इस का मकसद वहां के लोगों को फायदा पहुंचाने का था । वहां के बुनकरों को फायदा न पहुंचे तो मिल लगाने से क्या फायदा । इसलिये हमारी मिल की जो जरूरियात है वह २० हजार किलोग्राम हर महीने की है और चालीस काउन्ट की बीस हजार और २४ काउन्ट दस हजार की जरूरत है । मैं मन्त्री जी से यह दरखास्त करूंगी कि इस बात का इन्तजाम करें कि संडीला में जो स्पिनिंग मिल लगी हुई है उस इंडस्ट्रियल स्टेट में उसका सूत सबसे पहले वहां के बुनकरों की सोसाइटी को दिया जाय ।

एक बात और मैं अर्ज करना चाहती हूं जनाबेवाला कि सन्डीला में एक वासनमैन सोसाइटीज है वह १९२८ से लाइसेन्सड सोसाइटी है, अस्पतालों के लिए गौज, बैन्डेज क्लाथ देने के लिये । अब इतने सालों से वह काम कर रही है मुझे मालूम नहीं है कि क्या वजह है कि हमारी जनता सरकार ने उस सप्लाई को अपने हाथ में या यूपिका को देने का इन्तजाम किया है । बहरहाल मैं इस के बाबत इतना अर्ज करना चाहती हूं कि यह हमारी लाइसेन्सड सोसाइटी है बराबर इतने दिनों से काम कर रही है, जितना उस में रुपया आता है उससे बुनकरों को फायदा पहुंचता है । जनाब वजीर साहब ने फरमाया है कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, बार-बार अखबारों में भी लिखा जाता है बुनकरों के लिए इतना रुपया दिया जाता है, यह किया जाता है तो फिर जो मौजूदा सोसाइटीज हैं बिल्कुल मुर्दा हो गई हैं उन को जागरुक करने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है और उस में यह वासरमैन सोसाइटी भी शामिल है जिसे सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है या यूपिका को देना चाहती है इस का मतलब यह हुआ कि १५ परसेन्ट आप ने फायदा जो इस में बढ़ाया है वह कारपोरेशन को या यूपिका को मिलेगा । बुनकरों को क्या फायदा होगा ? बीसवों दफे में इस के बाबत रिप्रिजेन्टेशन कर चुकी हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई जबाव नहीं, कुछ नहीं हुआ ।

यह सरकार के लिए जरूरी है कि इन मिलों को रिवाइव किया जाय । मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि बुनकरों की पावर लूम, हैन्ड लूम की जो सोसाइटीज हैं हमारे प्रदेश में तमाम कोआपरेटिव सोसाइटीज में जितनी बदनामी है, उनमें जो रिश्वत गबन होता है, खराब काम होता है उन में सब से बेहतर हैं तो हमारी पावर लूम, हैन्ड लूम की सोसाइटीज हैं लेकिन उन को मदद नहीं मिल रही है । मैं अर्ज करना चाहती हूं कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिये और जो इस वक्त की मौजूदा सोसाइटीज हैं जो कि मुर्दा हो गई हैं उन के लिए मोरेटोरियम तीन साल का जरूर है उसे फ्रीज कर दिया जाय । आये दिन कुर्की का नोटिस आता है, कुछ किसी के असर से, कुछ मेरी असर से उस को रुकवा देते हैं मगर वह एक तलवार सिर पर लटकती रहती है कि कुर्की का नोटिस आया । इसलिए यूपिका को कहा जाय कि जो कर्ज जिस सोसाइटी ने लिया है उसे फ्रीज कर दिया जाय और नेशनेलाइज्ड बैंकों के जरिये से उनको मदद दी जाय ताकि ये जागरूक हो सकें ।

मैं उम्मीद करती हूं कि जनाब वजीर साहब इस पर जरूर गौर करेंगे जैसा कि मैंने कहा है क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश का ही इतना बड़ा सूबा है जिस में इतनी बड़ी तादाद में हैंडलूम और पावर लूम चल रहे हैं । मन्त्री जी ने तामिलनाडू में देखा होगा कि वहां किस तरह सोसाइटीज चल रही हैं और बुनकरों की हालत अच्छी हो गई है ।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान अनुदान १२५७ संख्या २३-लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या ५७-उद्योग, अनुदान संख्या ५८-ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या-५९-खाने तथा खनिज, अनुदान संख्या ७८-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९४-ऋण और अग्रिम-उद्योग

इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि हैंडलूम और पावरलूम की जो सिक यूनिट्स हैं, जो बिल्कुल मफलूज हैं उनको दोबारा जिंदा करने के लिए मदद दी जायगी। पावर लूम के वर्किंग ग्रुप ने जो सिफारिशें की थीं उन पर भी मन्त्री जी गौर फरमायें। मैंने कुछ सिफारिशों को पढ़ा है। बहुत अच्छी सिफारिशें हैं। उसने मिडिलमैन के प्राफिट्स को कम करने के लिए और इन लोगों को बराहेरास्त फायदा पहुंचाने के लिए सिफारिश की हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि जनाब मन्त्री जी इन मेरे सुझावों पर गौर करेंगे।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)--

अधिष्ठाता महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है और इस समय कोरम नहीं है। डेकोरम तो है लेकिन कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

कोरम पूरा है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और साथ-साथ उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक विकास, विशेष रूप से लघु उद्योग विकास के क्षेत्र में जिन प्रगतिशील नीतियों का प्रतिपादन किया है उनका समर्थन करता हूं लेकिन एक गम्भीर मसले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। लघु उद्योग के क्षेत्र में कुछ बड़े-बड़े घपले हुए हैं। जिससे कि लघु उद्योग का जो मेरुदंड है, बैंक बोन या रीढ़ की हड्डी है वह लचक चुकी है और जिसको सीधी होने की स्थिति नहीं है। ११ हजार लघु औद्योगिक इकाइयों को १७ करोड़ का ऋण दिया है और उनका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। वे जमीन पर हैं, पाताल पर हैं या आकाश में। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त निगम और उद्योग विभाग ने इतना बड़ा ऋण दिया है तो उस पैसे की रिकवरी कहां से होगी।

एक दूसरा मामला है। उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिनमें निदेशक भी हैं उनकी फर्जी मोहरें बना ली गई जाली जिसकी चर्चा इस सदन में भी हुई लेकिन किन्हीं आन्तरिक या बाह्य दबाव से मजबूर होकर ऐसे बड़े गुनहगारों को बख्शा जा रहा है। मैं सीधे-सीधे आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गुनहगार कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो उसको माफ नहीं किया जाना चाहिये।

मान्यवर, उद्योग निदेशालय की मूल्य निर्धारण (रेट कान्ट्रैक्ट) की जो नीति है उसके कारण पिछले २० वर्षों में उत्तर प्रदेश के किसानों की लगभग १५ अरब की क्षति हुई है। इसके लिए पिछली सरकार बहुत अधिक मात्रा में जिम्मेदार थी और अपनी वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि बड़ी सीधी सादी सी एक बात कह दी जाती है नौ महीने। श्रीमन्, ९ महीने बहुत साधारण बात नहीं है। ९ महीने की आड़ में अपनी चीज को हम छिपा नहीं सकते। मान्यवर, इस संसार में प्रकृति का नियम है निर्यात का नियम है कि ९ महीनों में तो पूरे ब्रह्माण्ड का माडल धरातल पर उतर आता है। तो हमारी योजनायें धरातल पर क्यों नहीं उतर रही हैं?

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक---]

मान्यवर, एक बात है कि रेट कन्ट्रैक्ट की आड़ में बड़ा घोटाला हो रहा है। आज किसानों पर क्या बीत रही है? मूल्य निर्धारण की नीति उद्योग निदेशालय के बड़े अधिकारियों द्वारा तय की जाती है। इंजन का निर्धारित मूल्य २,६४२ रुपये है। तो किर्लोस्कर, रस्टन और कूपर का भी ले लें। एक तरफ रस्टन, किर्लोस्कर और कूपर इंजिन हैं और दूसरी तरफ ये अतुल शक्ति, अनंत शक्ति और महान शक्ति ये जो इंजिन गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर व मुरादाबाद में बनते हैं उनको ले लें कि जिनके द्वारा आज किसानों की कमर टूट रही है। तो इस मूल्य निर्धारण की नीति में जो रेट कन्ट्रैक्ट की आड़ में पिछले वर्षों से किसानों का शोषण होता आया है, चाहे पम्पिंग सेट में या बिजली की मोटर के माध्यम से, यह चीज जब तक दूर नहीं होगी, तब तक किसानों पर जो कुचक्र चल रहा है, उससे उनकी कमर सीधी होने वाली नहीं है। किर्लोस्कर, कूपर, रस्टन ऐसे विश्व विख्यात इंजनों को टटपूंजियों इंजनों के बराबर करके किसानों का अहित होता है।

इसी के साथ में एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे जो पिछड़े हुये लोग है, कमजोर लोग हैं और दलित लोग हैं, जह उनको बढ़ावा देना आवश्यक है, उसी प्रकार से, श्रीमन्, जो बड़े उद्योगों में छोटे उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा पनप रही है, जब तक उनका एकाधिकार (मोनोपली) समाप्त नहीं की जायेगी, तब तक सुधार नहीं होगा। आज एक बड़ा उद्योगपति गांव के बढ़ई, लोहार, कुम्हार या जुलाहे की सारी इनर्जी और सारी प्रतिभा का शोषण करता है और उन गरीबों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिये जिस प्रकार से छोटे लोगों को प्रोत्साहन और संरक्षण देने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जो बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा छोटे उद्योगों को पनपने नहीं देती, उसको जब तक समाप्त नहीं किया जायेगा, तब तक इन छोटे उद्योगों की कमर सीधी नहीं होगी।

मान्यवर, मैं बुनकरों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हथकरघा वस्त्र निगम के एक बड़े अधिकारी, श्री अखंड प्रताप सिंह का सार्वजनिक रूप से वक्तव्य प्रकाशित हुआ प्रदेश के अनेक महानगरों में हथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी में लाखों रुपया का घोटाला हुआ। वह यह है रिबेट के सम्बन्ध में। जो गरीब और पिछड़े हुये बुनकर और जुलाहे हैं, श्रम तो उन्होंने किया और शोषण किया कुछ एजेन्सियों ने। उन एजेन्सियों ने, उन बड़े उद्योगपतियों ने बड़े अधिकारियों से साजिश करके रिबेट के नाम पर इन गरीब बुनकर जुलाहों का शोषण करना शुरू कर दिया है। जैसे पांच लाख की बिक्री हुई तो दिखलाया ७५ लाख रुपये और ७० लाख रुपये पर रिबेट लेकर धींगा गर्दी की और छोटे बुनकर और जुलाहों का शोषण किया गया। यह मैं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सार्वजनिक वक्तव्य का हवाला दे रहा हूं। इस प्रकार से छोटे-छोटे बुनकर और जुलाहों की कमर टेढ़ी हो रही है और उन पर जो आघात हो रहा है, उनको रोका जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उनका समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मन्त्री जी ने जो उद्योग विभाग के अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गत ३० वर्षों में कांग्रेस शासन की उद्योग नीति के परिणामस्वरूप देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ा और जो पूंजीपति और धनाढ्य लोग थे वे बड़े पैमाने पर बढ़ते गये। उन्हीं लोगों को सरकार की औद्योगिक नीति से लाभ हुआ। परन्तु जब से इस प्रदेश में जनता सरकार बनी और माननीय उद्योग मन्त्री जी ने जिस उद्योग नीति की घोषणा की है कि हम अपने प्रदेश के बेकारों को काम देने के लिए, प्रदेश की बेकारी तथा गरीबी को दूर करने के लिए बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे–छोटे कुटीर तथा गृह उद्योगों का सारे प्रदेश में जाल फैलायेंगे, उन उद्योगों की इकाइयों को ग्रामों तक ले जायेंगे, जो उनसे वंचित रहे हैं, तो उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें दो राय नहीं कि माननीय मंत्री जी के अनुभव और कार्यशैली से औद्योगिक वातावरण बना है और इस प्रदेश में इस दिशा में प्रक्रिया भी प्रारम्भ हुई है। लेकिन केवल सरकार की नीति की घोषणा से, सरकार की सद्इच्छा से वह प्रदेश में ऐसे लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना चाहते है, जिससे निर्धन तथा गरीब लोगों को काम मिल सके और इसके लिए छोटी पूंजी तथा छोटी शक्ति से ऐसे उद्योग प्रदेश के उन हिस्सों में फैलाये जायं जो पिछड़े हुए हैं, जो जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, जहां बेकारी रही है, जहां के लोगों के हाथ बेकार रहे हैं, यह कार्य पूरा होने वाला नहीं है। यदि उसका कार्यान्वियन करने हेतु उद्योग विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करेंगे और उनके काम करने के तरीकों में बदलाव नहीं आयेगा तो सरकार की घोषणा और सद्इच्छा केवल घोषणा मात्र रह जायगी और फलस्वरूप जिला उद्योग केन्द्रों का विकास नहीं हो सकेगा।

आज जो एन्टरप्रेनयोर हैं, उद्योग विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी उनके लिए सहायक नहीं होते। कानूनी तथा टेक्निकल अड़चनें लगा कर उसको इतना परेशान करते हैं कि छोटी पूंजी वाला नवयुवक निराश तथा निरुत्साहित हो जाता है। फिर जो ऋण की बात है वह भी हर व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलता। जो बेकार नवयुवक है, बेकार इंजीनियर हैं और जिसके पास छोटी पूंजी है उनको भी आसानी से ऋण नहीं मिल पाता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपनी नीति को कार्यान्वित कराने के लिए छोटे उद्योगों को उन जनपदों तक ले जाय जो प्रदेश के पिछड़े हिस्से हैं। बड़े–बड़े शहरों में बड़े उद्योग लगने का परिणाम यह हुआ कि वहां की आबादी बढ़ती गयी और गांव से आबादी शहरों की ओर भागती गयी जिससे बेकारी बढ़ी तथा समस्यायें भी बढ़ती गयीं। आज हालत यह है कि जो नवयुवक छोटे उद्योग लगाना चाहता है और जब यह उद्योग विभाग के कार्यालय जाता है तो वह विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पीछे दौड़ता है। जब तक उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा कि जो उद्योग लगाना चाहता है उसके पीछे उद्योग विभाग दौड़े और उसको ऋण दिलवाने में, पंजीकरण करने तथा लाइसेन्स दिलवाने में तथा कच्चा माल दिलवाने में मदद करे, तब तक सरकार को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकेगी।

हरियाणा तथा पंजाब ने जो तरक्की की है उसका कारण यह है कि सरकारी अधिकारी उद्योग लगाने वालों के सहायक बने और यहां भी आवश्यकता इसी बात की है कि प्रदेश का उद्योग निदेशालय जो है उसके अधिकारी तथा कर्मचारी अपने दृष्टिकोण

[श्री कृष्ण स्वरूप--]

में परिवर्तन करें । यदि हम कुटीर तथा लघु उद्योगों को पनपाना चाहते हैं तो हमको उनको सहायता देनी पड़ेगी और इसके लिये हमको बिक्रीकर के ढांचे में परिवर्तन करना होगा। छोटी पूंजी तथा छोटी शक्ति से जो कुटीर उद्योग लगाये जायं, उनके द्वारा जो चीजें निर्मित हों उन पर बिक्रीकर कम हो, बिजली उनको सरलता से तथा सुविधा के साथ मिले और कच्चा माल शासन उनको दिलाने की जिम्मेदारी ले । जो कर्जा छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को चलाने के लिये दिया जाय उसकी ब्याज की दरों म परिवर्तन होना चाहिये और कम सूद पर यह कर्जा दिया जाय । आज आवश्यकता इस बात की है कि छोटे उद्योग जिस माल को पैदा करें उनका माल बाजार में बिक जाय । आज छोटे उद्योग इसलिये नहीं कामयाब होते कि जो माल वे पैदा करते हैं वह बिकता नहीं है क्योंकि उसमें छोटी पूंजी लगा होता है । इसलिये जहां सरकार उनके माल के लिए बाजार मुहैया करे वहां खुद सरकार उनके माल को खरीदकर बाजार में बेचने की व्यवस्था करें । तभी हमारे प्रदेश में कुटीर उद्योग कामयाब हो सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जो पिछड़े जिले हैं, जिनमें बदायूं भी है, उनमें बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये उद्योग लगने चाहिए । साथ ही हमारे व्यवहार और काम करने के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए । बड़े-बड़े शहरों में उद्योगों के लिए लाइसेन्स न दिये जांय । बड़े उद्योगपति यदि उद्योग लगाना चाहे तो पिछड़े जिलों में लगायें । उन्हें बिजली आदि आसानी से मिले । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

विचाराधीन अनुदानों पर समय बढ़ाने तथा नियम ५२ की सूचना पर चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं । आज जो हम लोगों को उद्योग की ग्रांट पर वाद-विवाद के लिये समय मिल रहा है, वह कम है और पांच बजे के बाद एक नियम ५२ के अन्तर्गत ताड़ी पर लगी रोक के कारण लाखों लोगों के बेकार हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भीषम द्वारा दी गई सूचना पर डेढ़ घन्टे की चर्चा है । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह जो उद्योग का वाद-विवाद है, उसका समय बढ़ा दिया जाय और जो डेढ़ घन्टे की नियम ५२ की चर्चा है उसे किसी और दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय । यानी साढ़े ६ बजे तक उद्योग विभाग की ग्रांट पर वाद-विवाद हो और चर्चा जो है वह दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री भीषम द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर डेढ़ घन्टे की चर्चा को स्थगित किया जाय और उसका समय उद्योग विभाग की ग्रांट को दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २३--लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या ५७--उद्योग, अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या ५९--खाने तथा खनिज, अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम-उद्योग (क्रमागत)

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, सरकार और उद्योग मंत्री के कथनानुसार उद्योग नीति में परिवर्तन किया गया है मगर यह सही है कि केवल शब्दों का जाल पिछली सरकार की तरह उद्योग के माने में मौजूदा सरकार ने भी बिछाया है। व्यक्तिगत आधार पर उद्योग के तजुर्बे के आधार पर उद्योग की नीति में परिवर्तन करने से देश और प्रदेश का फायदा नहीं होगा। आपको खोज-खोज कर दूसरे देशों से, अपने वैज्ञानिकों से इस बात की जानकारी करनी होगी कि किस मुल्क में उद्योग से बेकारी दूर हुई है। इस मुल्क में भारी उद्योगों का माल धन के लिये विशेष भेजा गया। बराबर ३० साल से भूतपूर्व सरकार इन बातों को करती रही है। आज लघु उद्योग के हथकरघा उद्योग के लाखों लोग मरते चले जा रहे हैं।

उद्योग मंत्री जी आपको तजुर्बा होना चाहिये। चूंकि आप सिटी से आते हैं। लाखों बुनकर इस समय भुखमरी के शिकार हैं। यह इस समय ही नहीं हुआ भूतपूर्व सरकार के जमाने से यह चला आ रहा है। सभी माननीय सदस्य चाहे यह पश्चिमी जिलों के रहे हों चाहे गाजीपुर, बलिया के रहे हों, चाहे मऊ आजमगढ़ के रहे हों बार-बार इस प्रश्न को उठाया है। लाखों हथकरघा मजदूरों का आज यह आलम है कि वह तबालत की जिन्दगी बिता रहे हैं। उन पर तरस आता है। आप मंत्री हैं आप देखें कि कानपुर की दैत्याकार मिलों का माल बाजार में आता है तो उनके कम्पीटीशन में, उसकी सुपीरियार्टी में, उसकी लागत में धरती और आसमान का अन्तर है। लघु उद्योग के जो छोटे-छोटे कारोबारी हैं चाहे वह हैण्डलूम हो या कुटीर उद्योग वह एक दम बेकार है। उसका कारण क्या है मान्यवर? उसका एक ही कारण है न पिछली सरकार ने उनके माल की गारन्टी दी और न आप दे रहे हैं। आप हर हाथ को उद्योग देने की बात करते हैं। दूसरे मुल्कों को आप देखें। मैं चीन की बात करता हूं। मैं चीन का वकील नहीं हूं वहां क्या होता है। साधारण से काम के लिए लाइसेन्स लेना पड़ता है। बगल का आदमी उस काम को नहीं कर सकता। एक तरफ कर्जा लेकर कोई काम करता है, आपकी कोआपरेटिव सोसायटीज से कर्ज भी नहीं लिया जा सकता है। वह किसी व्यापारी से कर्ज लेकर अपना माल गिरवी रख कर चलाता है। उसको अपने माल का मूल्य भी नहीं मिलता है। आज लघु उद्योग में लगे तीसियों हजार आदमी भूखों मर रहे हैं। आप देखें जैपुरिया की काटन मिल को आपने ले लिया। जैपुरिया की मन्डी समाप्त हो गई अच्छा हुआ। मान्यवर, मगर आज १६ रु०, स्टिपुल का भाव बढ़ गया है।

हमारे जिले में पिछली सरकार ने एक मिल खुलवाई जो मरेला में है। वहां का बना माल, जैसा कि बेगम साहिबा ने कहा कि फैजाबाद का

[श्री भगवती प्रसाद सिंह--]

माल, मऊ, रायबरेली आदि का माल पहले बैंक के जरिये कानपुर भेजेगें फिर वही माल वहां से उन्ही मन्डियों में आयेगा । मान्यवर, आप तमिलनाडू को देख लें । वहां के बुनकरों ने संघष किया और वहां की सरकार ने उनको कुछ राहत दी । सरकार ने उस पर तवज्जो दी उसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी उनके बनाये हुए पर्दे खरीदती है । मान्यवर, खादी बोर्ड के माल की गारेन्टी है और दफ्तरों में वह जाता है । लेकिन इस सनद को बराबर सरकार ने मारा है । लघु उद्योग की सनद बरबाद हो गई है ।

(इस समय ४ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, मैं आपका ध्यान मजदूरों की तरफ ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां फैजाबाद में कई मैनेजर आते रहे एक मैनेजर श्री गुप्ता मरैला मिल आये वह भूतपूर्व सरकार के चहेते थे फिर दूसरे बंगाली साहब आये उसमें रोज बरोज मजदूर को मारा जाता है । मजदूर संगठित होकर उसका विरोध करते हैं ।

मान्यवर, उसका नतीजा क्या हुआ। एक मिल खुली अकबरपुर नारायनी मिल । पहले रेयान को खुलने वाली थी, फिर काटन की खुली । उसमें लगे हुए लोगों को कानपुर, अहमदाबाद, बम्बई जाने कहां-कहां से बुलाया गया । फजाबाद के न रखे जाते मैं मान लेता, लेकिन रायबरेली, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया आदि पूर्वांचल के तो रखे जाते । लेकिन इन करीब के स्थानों के मजदूरों को नहीं भरा गया । यह इसलिए जाब किया जाता है, जिससे मजदूर अपनी कशिश की आवाज न उठा सकें । जो बिड़ला की स्थिति है, वह स्थिति इनमें मैनेजर की है । वहां इतना मजदूरों का शोषण हो रहा है, उसे आप देखें । मैं आपको दावत दे रहा हूं ६ महीने के अन्दर उनके बंगले के इर्दगिर्द पचासों आदमी रहते हैं, और लाखों लाख रुपया वह पाता है । उसका कोई सगा-सम्बन्धी ऐसा नहीं है, जो ऊंची पोस्ट पर न हो । यह आपने कौन सा नीति परिवर्तन किया है ? आपकी नीति परिवर्तन मेरी समझ में नहीं आता है ।

मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में नीति परिवर्तन करें और वह महारानी न आने पावे । लेकिन आप भी जाल बट्टा करके लोगों को न फंसाएं, आप बुनकरों को फुसलाएं नहीं । आप कालीन बनवाने के लिए रुपया देंगे, आप गांवों में उद्योग खोलने के लिए रुपया दे रहे हैं, जो पूंजीपति की फर्म है टाट बनाने की और जो जिला परिषद् का कर्मचारी होता है, जो परमानेन्ट नहीं होता है, वह कहां से माल खरीदेगा ? टाट गांव में भी कोई बनाता है, तो वह वहां से नहीं खरीदेगा । आपने ६५-६५ हजार रुपया कमवाया था चेयरमैनों को टाट खरीदवाने में । यह लूट कैसे बन्द होगी ? लाल बत्ती हो गई है, यद्यपि मैं कम बोलना चाहता था । मुझे बड़ी कशिश है आप लघु उद्योग पर पूरा ध्यान दें । उनके माल पर आप गारेन्टी जरूर दें । यह बड़ा सरल है, उसको आप दें और उनका माल लें । एक ही रात में दाम बढ़ गये, शाम को ८५ रुपया गड्डा स्टेपुल का भाव हो गया और सुबह देखिए तो ९५ हो गया । दो घंटे में दाम बढ़ गए । सोया हुआ बुनकर सोकर उठा तो उसने पाया कि भाव ८५ से एकदम ९५ हो गये हैं । आपको भारी उद्योग के मुकाबले में लघु उद्योगों को प्रश्रय देना पड़ेगा । भारी उद्योग के माल का आप केवल एक्सपोर्ट कीजिए । बाटा के जूतों का इस्तेमाल गांवों में नहीं होना चाहिए । लेकिन उसे भी आप बाहर भेज नहीं पायेंगे, क्योंकि आपकी व्यापार नीति बड़ी ढुलमुल है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने उद्योग के सम्बन्ध में बड़ी और विस्तृत जानकारी दी है और बताया कि प्रदेश को किस प्रकार से औद्योगिक दृष्टि से उन्नत बनाया जाये, जिससे आम लोगों को लाभ मिले। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी के सामने एक व्यापक सुझाव निवेदन करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी जैसा आपने बताया अन्य सूबों के मुकाबले में काफी कम है। आपने यह भी बताया कि हमारे प्रदेश में केन्द्रीय सरकार ने पूर्व के दो सालों में इतना कम पैसा दिया है जिससे इस प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। इसके लिए १६ हजार करोड़ रुपये के लिए संसद सदस्यों की मार्फत केन्द्रीय सरकार से संघर्षों की भूमिका अपनाये जा रहे हैं।

लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में कैसे जायें इसके लिए संगठन जिला मुख्यालयों पर बनाने जा रहे हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में कच्चा माल यदि शहर से ले जाने के लिए आपने लाइसेंस दिया और औद्योगिक समितियों को कच्चा माल गांवों में भेजने के लिए आपने लाइसेंस दिया तो निश्चित रूप से ब्लैक होगा और माल गांवों में नहीं जायगा। जिस गांव में जो कच्चा माल उपलब्ध है, उसी प्रकार का उद्योग उस गांव में खुलना चाहिए। अगर ऐसे उद्योग आप नहीं खोल सकेंगे तो बड़ा भारी अहित होगा। हमारे क्षेत्र में दोने-पत्तल बनाने का काम होता है। दोना जो लोग बनाते हैं वहां पर दूसरे कच्चे माल से बनाने का काम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से ब्लैक होगा। इसलिए अगर जलेसर की आस-पास जहां पर वह सर्वाधिक काम होता है, उन लोगों को पैसा दे कर, उनकी समितियां बना कर उस उद्योग को बढ़ाना चाहिए। आप के अधिकारी वहां जायें उनकी समस्याओं का अध्ययन करें पेड़ के पत्तों को उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग से सहयोग ले कर पेड़ लगवाने का कार्य करें, उनकी समस्याओं को हल करेंगे तो निश्चित रूप से उस तबके को, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हरिजन और गांव के वह २३ सैकड़ा लोग जिनके पास खेत नहीं है, आप उन्हें काम दे सकेंगे, उनको रोजगार दे सकेंगे।

दूसरा निवेदन यह है कि जलेसर के पास धौरा गांव है, वहां पर जंगलात हैं, सरकंडे के। सरकंडे से खाचें वगैरह बनाने की आवश्यकता पड़ी है। फिरोजाबाद में सब ग्लास फैक्टरियों को माल की ढोने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। देहात से कच्चामाल लेकर फिरोजाबाद, मक्खनपुर, शिकोहाबाद, धौलपुर वहां बनाने का काम करते हैं। इस लिए उन इलाकों में जहां पर मूंज पैदा होती है, उन लोगों को ऋण दीजिये, उनकी सोसाइटियां बनाइये। गांवों में जा कर जांच करें जो कच्चा माल जहां पर उपलब्ध हो वहां पर वह उद्योग बढ़ाया जाय। जिला मुख्यालयों में जो इतना काम करने जा रहे हैं जिस में ३ करोड़ रुपये का खर्च का प्राविधान है, यदि प्रबन्धक सारे कच्चे माल को बाहर से मंगा कर देते रहे तो निश्चित रूप से फर्जी उत्पादन आ जायगा। वह सही कारखानों को एकदम फील्ड से बाहर कर देंगे। कागजों पर फर्जी कारखाने होंगे जिसके अन्दर बड़ी आफत पैदा हो जायगी। १९७६ में आपातकाल में भारत सरकार के विकास आयोग ने एक घोषणा की थी फर्जी कारखानों का उन्होंने

[श्री रघुबर दयाल वर्मा--]

सर्वेक्षण कराया है, जो लोग कच्चा माल लेकर उत्पादन नहीं कर रहे थे उनकी एक सूची उत्तर प्रदेश की डाइरेक्टरेट आफ इंडस्ट्रीज के यहां से बनी थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपातकाल में वह बन्द हो गये थे, लेकिन आज वह फर्जी कारखाने बड़े पैमाने पर माल को प्राप्त कर रहे हैं। जो कोयला नहीं बेचता वह कोयला ले रहा है आइरन और वह ले रहा है जो आइरन की फैक्टरी नहीं चलाता। इसलिए फर्जी कारखानों को जबतक नहीं बन्द करेंगे, उसके लिए कोई क्रियाशील कदम नहीं उठाएंगे। तब तक आपका सही माने में नीति नहीं होगी। जो कच्चा माल दिया जाता है, उसमें प्रोडक्शन और कन्जम्शन का आधार होना चाहिए, लेकिन यह नीति आपको अच्छी लगती है और न आपके विभाग के अधिकारियों को अच्छी लगती है। कोयला ४ प्रकार का होता है। जो कोयला बेंगिल बनाने मे प्रयोग किया जाता है, उसको अगर ३ क्विन्टल प्रयोग किया जाता है तो एक क्विन्टल कांच तैयार होता है। लेकिन उनको १ : ३ में कोयला नहीं दिया जाता है। कोयला फर्जी कारखानों को दे दिया जाता है। हमारे यहां पर १२००० रु० प्रति वैगन कोयला ब्लैक में बिक रहा है। मैंने इसकी शिकायत डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज से की, उन्होंने इसकी जांच करवायी। उनको मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन यहां से उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और उनको लाइसेन्स फिर से जारी कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक आप फर्जी उत्पादन को नहीं रोकेंगे तब तक सही माने में इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। बेंगिल में कोयला १ : ३, ब्लोइंग में १ : २, ब्लाक ग्लास में १ : १ और वल्ब सेल में १ : ४ में प्रयोग किया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ब्लैक को रोकना चाहिए और सही कारखानों को कोयला दिया जाना चाहिए फैक्टरियों को जहां से कोयला आता है वहां पर हड़ताल होती रहती है, मजदूरों में असंतोष रहता है। देखने में यह आ रहा है कि जो लोग फैक्टरी चलाते हैं उनको हानि उठानी पड़ती है और जो लोग फैक्टरी चलाते नहीं हैं वह कोयले का ब्लैककर लेते हैं उनको लाभ होता है। अगर इन्डस्ट्री चलाने वाले नुकसान में रहेंगे तो उद्योग चौपट हो जायेगा और हमारी आर्थिक उन्नति समाप्त हो जायेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उत्पादन और उपभोग की नीति बनानी चाहिए और उसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए।

आपने हैंडलूम की बात कही। माननीय उप मंत्री जी वहां पर गये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप हैंडलूम के मामले में कौन-सा योगदान दे रहे हैं जिससे कारीगरों का ज्ञान बढ़े और डिजाइन के मामले में ज्ञान बढ़े अगर इस प्रकार का प्रोत्साहन आप नहीं देंगे तो हैंडलूम का उद्योग कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो इनकी कीमत तय होती है उसमें भी बड़ी गड़बड़ी होती है। जो अच्छी किस्म का कपड़ा होता है उसका दाम कम निर्धारित किया जाता है और घटिया किस्म के कपड़े का दाम अधिक आंका जाता है। कानपुर में यूपिका का दफ्तर है। घटिया किस्म का चादरा ४० रुपये का आंका जाता है और बढ़िया किस्म का चादरा २० रुपये का आंका जाता है। अगर इस तरह से किया जाता रहा तो हैंडलूम का काम ठीक तरह से चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से हैंडलूम के माल को आगरा में बेचने का कोई उचित स्थान नहीं है जिस पर बिकने का प्रबन्ध हो सके। बाहर से वहां पर लोग आते हैं वे दरी के मामले में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं वहां पर उनकी इंच आदि में जो कीमत निकलती है उसमें बड़ा घपला होता है लेकिन उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है।

फिरोजाबाद में भी जो माल बनता है वह एक्सपोर्ट होता है। वहां से झाड़–फन्नूस और मोती के बड़े–बड़े पर्दे अरब कन्ट्रीज में बड़े पैमाने पर भेजे जाते हैं। वहां के कारीगरों ने अन्य देशों से डिजाइन मंगाये हैं लेकिन हमारे डायरेक्टर औफ इन्डस्ट्रीज की ओर से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। हमारा जो डायरेक्टर औफ इन्डस्ट्रीज है वह केवल एक खास प्रकार के ब्लैक को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाय, इसको देखता है। लेकिन यह नहीं उसने किया कि जो हमारे उद्योग चल रहे हैं, उनको पनपाया जाय और जो नये उद्योग खोले जायं, उनको प्रचारित किया जाय और बताया जाय कि हमारे देश और प्रदेश में उद्योग के मामले में अमुक-अमुक काम किया जाये। आज सभी विभागों में वही ढर्रा चल रहा है, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रुका हुआ है। आप कितनी ही योजनायें बनायें लेकिन जब तक वे जनता तक नहीं पहुंच पायेंगीं, कोई सुधार नहीं होने वाला है। आप डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के कार्य में तबदीली लाइये और जनता को यह दिखाइये कि नये उद्योग और युवा उद्योग में कुछ काम हो रहा है।

श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी के जमाने में उन लोगों ने इकाइयां लगाई, जो केवल ब्लैक करते थे। आगरे में एक खास आदमी था जिसने एक फैक्ट्री लगाय लेकिन उनका नाम कहीं नहीं था। उस फैक्ट्री का जब इन्सपेक्टर ने चालान किया तो फैक्ट्री के मालिक इन्सपेक्टर से मिले और उनसे कहा कि मेरा चालान कर दो। फिर मैजिस्ट्रेट से मिला और उससे मिल कर ५०० रुपया जुर्माना करा लिया। जिन लोगों ने उस पर छापा मारा था, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई और वह बेईमान आज भी फायदा उठा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि जो अधिकारी ऐसे ईमानदार है, बेईमान नहीं हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही न की जाय जिससे जनता को मालूम हो सके कि आप वास्तव में कोई काम करने जा रहे हैं। आप सचिवालय और डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के विभाग को चुस्त बनाइये और ५ आदमियों की एक कमेटी बनाइये जो जहां पर उद्योग खोले जाते हैं, वहां पर यूनिट नहीं बने हैं तो उनका कच्चा माल तुरन्त सस्पेन्ड करें। आपसे निवेदन है कि आप इस पर अध्ययन कीजिए।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, यह प्रदेश खेतिहर प्रदेश है और यहां के ६०–७० प्रतिशत लोगों के पास खेती के लायक जमीन नहीं है, लेकिन हमारी सरकार इन लोगों को थोड़ी बहुत जमीन देकर उनको इस लायक नहीं बना सकती है कि वे अपनी गुजर–बसर कर सकें। सरकार को चाहिए कि वे उद्योगों की ओर अपना ध्यान बढ़ावें और उद्योग का जाल गांव–गांव में फैलाने में अग्रसर हों।

हमारे देश में २ तरह के उद्योग हैं। एक तो बड़े उद्योग हैं और जब से जनता पार्टी की सरकार आयी है उसने गृह उद्योग, लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग

[श्री राम गोविन---]

की योजना ग्रामीण अंचलों में विकसित करने की बात की है। इसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया है। मान्यवर, संविधान में समानता की बात कही गयी है कि इस देश में लोग समान अवसर और समान तरह से रहेंगे। मान्यवर, वह कौन सा समान अवसर है, कौन-सा समानता का अधिकार है ? इसी देश में और प्रदेश में एक आदमी की आमदनी एक रुपया से अधिक नहीं है और इसी, प्रदेश में एक आदमी की एक दिन की औसत आमदनी १ लाख रुपया है। दोनों में कितना अन्तर है ? क्या यही समानता है ? इस तरह की नीति जब तक रहेगी तब तक समानता का अधिकार इस देश में जनता को नहीं मिल सकता। हमारा अपना मत है कि स्पष्ट शब्दों में प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए कि इस प्रदेश में एक व्यक्ति केवल एक ही उद्योग लगा सकता है। देखा जाता है कि एक व्यक्ति मोटर कारखाना चलाता है, आटा चक्की चलाता है, साइकिल का उद्योग करता है, कपड़े का उद्योग और कुटीर उद्योग करता है। वह सारे व्यवसाय, अपने जिम्मे लेकर सबसे बड़ा पूंजीपति हो जाता है और एक वह व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं, इसी देश और प्रदेश में भूखों मरने की स्थिति में रहता है। तो प्रतिबन्ध लगाना चाहिए की एक व्यक्ति एक ही रोजगार कर सकता है, तब तो इस प्रदेश में और देश में समानता का अधिकार लोगों को मिल सकता है।

(इस समय ५ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुये।)

दूसरी बात यह है कि जनता सरकार जो उद्योगों की बात गांव में कहती है, आजतक तो ऐसा मालूम होता है कि यह केवल कहा ही जा रहा है। यहां चारों मंत्री बैठे हैं। प्रत्येक मंत्री हमारे जनपद में दौरा करके इस बात से लोगों को आश्वस्त किये हैं कि बलिया जनपद में हम कोई न कोई उद्योग बैठायेंगे जिससे यहां के लोगों का जीवन परवरिश हो सकेगा और बेरोजगार लोगों को रोजी-रोटी की व्यवस्था हो सकेगी। आज तक इतने दिन से जनता सरकार सत्ता में आयी है, लेकिन मेरी स्पष्ट घोषणा है कि बलिया जनपद में माननीय मंत्री लोगों के द्वारा उद्योग लगाने के सम्बन्ध में एक नट और पुर्जा भी नहीं वहां पहुंचाया गया जिससे आशा हो कि हमारे जनपद में भी किसी उद्योग को लगाने की बात है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिकायत है यहां शासन को जिस मुस्तैदी से ग्रामीण अंचलों की तरफ उद्योगों को लगाने की बात सोचनी चाहिए वह उतनी मुस्तैदी से नहीं सोचा जा रहा है जिसके कारण वहां लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण अंचलों में उद्योग लगाने की दिशा में शासन ने जो बात जनता में फैलाई है उसमें कोई प्रगति न हुई है और न कोई की जा रही है जिससे असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि औद्योगिक मजदूरों की अवहेलना करके औद्योगिक दिशा में कोई भी काम नहीं किया जा सकता जबतक कि देश और प्रदेश के औद्योगिक मजदूरों का हित शासन मद्देनजर न रखे। ऐसा देखा जाता है कि लेबर कोर्ट में सालों साल कर्मचारियों के मुकदमे पड़ रहते हैं और उनका निबटारा करने में कोई भी सक्षम अधिकारी शासन की तरफ से ऐसा कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं तय करता है, जिससे उनके मुकदमें जल्दी से जल्दी निपटाये जा सकें। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में, देश में जो लोग लघु उद्योग या उद्योग लगाने की बात सोचते हैं तो इसके नियम कानून, इसकी व्यवस्था इतनी जटिल हैं कि लोगों को इनकी शर्तों को पूरा करने में कम से कम १० साल लगते

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों से लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १२६७ २३--लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या ५७--उद्योग, अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग अनुदान, संख्या ५९---खान तथा खनिज, अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम-उद्योग

हैं और वह लगाने की बात सोचने के बाद न तो उनको लोन ही मिल पाता है, बल्कि उनके पास जो भी पूंजी रहती है वह भी खत्म हो जाती है और वे पूंजी-विहीन हो जाते हैं ।

एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे जनपद बलिया में एक आदमी ने एक छोटा कागज का कारखाना लगान के लिए सरकार से लोन की व्यवस्था किया। उसके पास जितनी पूंजी थी उसकी उसने सारी की जमीन खरीद ली रजिस्ट्रेशन करवाया और ५ साल हो रहे हैं वह दौड़ते-दौड़ते थक गया, आजतक उसको एक नये पैसे की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुई ।

अब मैं सरकार का ध्यान बलिया जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री राम गोविन--

बलिया जिले के लिये १० साल पहले एक मिनी स्टील प्लान्ट लगाने की योजना बनी थी, उस दिशा म आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया । इस-लिये मेरी मांग है कि बलिया जिले के पिछड़ेपन को और गरीबी को दूर करन के लिय वहां पर कागज का कारखाना लगाया जाये, मत्स्य पालन उद्योग लगाये जाये, स्टील मिनी प्लान्ट लगाया जाये और एक चीनी मिल स्थापित की जाय तथा लकड़ी का उद्योग स्थापित किया जाये । इन शब्दों के साथ में इन अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं सोचता था कि जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो वे कम से कम मध्यम उद्योग और बड़ उद्योगों पर भी कुछ कहेंगे । मुझे यह जानकारी उनके भाषण से नहीं हो पायी हमारे प्रदेश में उन बड़े उद्योगों की आज क्या हालत है जो अपन यहां पहले से चल रहे हैं । केन्द्र के पैसे से जो चल रहे हैं उनकी भी क्या हालत है । आगे क्या होने वाला है । हमें यह कुछ मालूम नहीं हुआ । इसी प्रकार मध्यम उद्योग के बारे में भी सरकार की क्या नीति है वह भी मालूम नहीं हुआ ।

श्रीमन्, जो पुस्तिकायें उद्योग मंत्रालय की ओर से बटी हैं उनको मैंने पढ़ा और पढ़ कर ऐसा लगा कि उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों में कुछ भ्रम है । वे यह कोशिश कर रहे थे कि पिछले वर्षों में जो कुछ हुआ उसे बढ़ा-चढ़ाकर न कहें, नहीं तो शायद मंत्री जी नाराज हो जायेंगे । नयी बातों को लाने का प्रयास कर रहे थे, पर नयी बात कोई थी ही नहीं तो कैसे लाते । कहीं-कहीं लान की चेष्टा भी की गयी है । माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं कि वे प्रान्त में औद्योगीकरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्यामधर मिश्र--]

करने जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं इस पुस्तिका के जरिये यह वर्णन किया है कि ३० वर्षों में प्रदेश में कम से कम थोड़ा-सा खाका बन गया है, औद्योगीकरण का। मैं नहीं कहता कि पूरा बना है, खाली खाका बना है। पंडित जवाहर लाल नेहरू न मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की बात कही थी। मैं समझता था मंत्री जी उन तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे जो आवश्यक थीं। मगर माननीय मंत्री जी अगर चुप रह गये तो मुझे ताज्जुब नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि आज देखा यह जा रहा है कि केन्द्र के, मंत्री उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ बयान देते हैं, यहां के मंत्री दूसरा बयान देते हैं और दोनों के वक्तव्यों में भ्रम है। गृह मंत्री जी कुछ कहते हैं, वे क्यों न कहे, वे एक दूसरे घटक के जो हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं। विदेशों में वक्तव्य कुछ और होता है, अपने देश मे कुछ और होता है, प्रान्त में कुछ और होता है। मैं समझता हूं कि आप यह समझते हैं कि केवल छोटे उद्योगों से ही प्रदेश पनप जायेगा। मैं स्वयं छोटे उद्योग के पक्ष में हूं। श्रीमन्, कांग्रेस सरकार ने छोटे उद्योगों को पनपाने की कुछ ढंग से चेष्टा की और मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन एक बात मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर छोटे उद्योगों को पनपाना है, तो एक दिशा देना होगा, आपको रिजर्वेशन करना होगा। यह नहीं कि बड़े उद्योगों के लिये नहीं करना होगा। मेरी समझ से बड़े उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को भी करना होगा। मेरी समझ से छोटे उद्योगों को भी करना होगा, जैसे जूते, साइकिल, साबुन, सिलाई की मशीन, घड़ियां, बर्तन आदि हैं, इनको आप रिजर्व लिस्ट में रखिये। अब कोई जरूरत नहीं है जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि बाटा को जूता बनाने दिया जाय और कोई जरूरत नहीं है कि बिन्नीज को कपड़े बनाने का सिलाई करने का काम दिया जाय टेलरिंग अगर करना है, तो टेलरिंग आपको स्वयं करना चाहिए। आपका दिमाग, हमारा दिमाग, हमारे अधिकारियों का दिमाग बहुत स्पष्ट इस पर होना चाहिए। क्या लिस्ट इसकी है, जिस पर छोटे उद्योग होंगे। इन तमाम बातों की तरफ मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में १० करोड़ की आबादी है।

आप देखें १४३ पन्ने पर है, केवल ४ हजार फक्टरियां हैं, ७४-७५ का आंकड़ा है, ४ हजार बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं। केवल ४ लाख लोग फैक्टरी में काम कर रहे हैं। इसके माने श्रीमन् क्या हुए? इसके माने कि १० करोड़ की आबादी का प्रान्त, फैक्टरी में काम केवल ४ लाख आदमी करता है और १० करोड़ में कितना होता है, अनुपात लगा दीजिये श्रीमन्, ७६ का स्टेटिस्टिकल स्टेटमेन्ट है। १०० रुपये इस प्रदेश की आमदनी में से १० रुपये से ज्यादा उद्योग से नहीं आता। ९० रुपये और चीजों का है, खेती का, और चीजों का है, उद्योग का केवल १० रुपये से ज्यादा नहीं आता है। इसके माने अभी उद्योग पर हमने उतना नहीं किया, जितना हमें करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई जब माननीय मंत्री जी कह रहे थे, मैंने समझा कि आप स्वयं शाही जी होते तो मैं कहता। उनकी बेचारे की तो रोज खिंचाई हो रही है। अभी उनका वक्तव्य है। अभी ४ दिन पहले भी वक्तव्य देखा था। ३० फीसदी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का घाटा है। ऐसा मैंने अखबारों में देखा और अगर सही नहीं है, तो, आपके पी० आर० ओ० ने क्यों नहीं अखबारों में दिया कि यह बात गलत है?

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

आपके जमाने का है।

श्री श्यामधर मिश्र---

और मुझे मालूम है कि गाजियाबाद में, और जगह कितने संस्थान उद्योग के बनते जा रहे हैं ? बिजली की कटौती के कारण एक हिंडालको का ही सुन लीजिए। हाई कोर्ट ने फैसला किया है। गाजियाबाद का हाल देख रहे हैं, छोटे-बड़े उद्योगों को देख रहे हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि बिजली की कमी नहीं है।

आप गांवों मे जाकर देखे। गांवों में आप केन्द्र कायम करना चाहते हैं। लेकिन गांवों में ८-१०-१२ घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं आती है।

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

मैं आपको याद दिला दूं कि पहले ४-४ दिन बिजली नहीं रहती थी।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप मुझसे ज्यादा लायक हैं तो मैं आपको माला पहनाये देता हूं। लेकिन आप तुलनात्मक ढंग से नहीं आये हैं। आप ३५१ आये हैं, एक हवा में आये हैं। आप क्रांति के लिये आये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपके २ मिनट और रह गये हैं।

श्री श्यामधर मिश्र---

तो श्रीमन्, क्रांति ऐसे नहीं आयेगी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि निर्यात की सम्भावनायें उत्तर प्रदेश में बहुत है। गलीचे के सम्बन्ध में उन्होंने बात कही। हमारे एरिया का सवाल है, बहुत सी बातें हैं जो मन्त्री जी जानते हैं क्यों नहीं अगल-बगल के बिजली में आप जूनियर हाई स्कूल में इसको शिक्षा कर दें। हमारे पास लिख कर आया कि जुलाई से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ? मैं समझता था कि इस जुलाई से करेंगे लेकिन नहीं हुआ। एक बात और कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा निर्यात का उद्योग इस प्रदेश में गलीचे का है। करीब या ६५ ७०, ८० करोड़ रुपये का निर्यात इसका होता है। कुल निर्यात १०० करोड़ का है। एक बड़ा खतरा यह आ रहा है कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने ७ लाइसेन्स दे दिये हैं, कालीनो को मिलों में बनाने के सम्बन्ध में तो आपको चाहिये कि इसका विरोध करें। क्योंकि जो पहले ३५ रुपये में मिल रहा था आज ५० और ४५ रुपये में हो गया है। तो इस तरह से आप इसमें कम्पटीशन नहीं कर सकते हैं। एक चीज और कहूंगा कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के लोग इसे नहीं चला सकते हैं। इसमें स्वयं सेवा सर्विस का कायम करनी चाहिए। ट्रेनिंग देनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सर्विस द्वारा ट्रेनिंग देनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री श्यामधर मिश्र--

अन्तिम बात यह कहनी है कि उद्योग निदेशालय कानपुर में है । मैं समझता हूं कि आप इसको लखनऊ में ले आयें । आप नजदीक में ले आयें ताकि आप उनका कान पकड़ सकें । हम उनका कान पकड़ सकें । आप की लाल बत्ती के कारण और नहीं कहूंगा । यह काम आप अवश्य करें यह काम किसी ने नहीं किया है । अगर आप कर लेंगे तो मैं बधाई दूंगा ।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृतज्ञ हूं आपका कि आपने आज उद्योग सम्बन्धी बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, उद्योग शब्द को अगर व्यापक अर्थों में लें तो जो भी काम दुनियां में होते हैं वह सब उद्योग में ही आते हैं । लेकिन जहां तक बजट का प्रश्न है, बजट एक सीमित परिभाषा में आता है और जो उद्योग धंधे या कारखाने खोले जाते हैं छोटे-छोटे उद्योग लगाये जाते हैं वह इसकी परिभाषा में आते हैं । लेकिन श्रीमन् आज यह देखा जाता है कि उद्योग धंधे केवल शहरों तक सीमित हैं और उसका नतीजा यह होता है कि इन कारखानों में गांवों से मजदूर आते हैं और गांव खाली हो जाते हैं और मजदूर भी एक प्रकार से खानाबदोशों जसी हालत में रहते हैं । माननीय मन्त्री जी ने जो आशा और विश्वास दिलाया है उससे कुछ आशा बंधती है कि हमारे गांवों में भी कुछ उद्योग धंधे लगेंगे । लेकिन कागजी बात कुछ और होती है, बजट की बात और होती है और उसका कार्यान्वयन अगर हो जाय तो उसे एक ठीक चीज कहा जा सकता है । मैं आपके सामने पहाड़ों की बात कहूं तो आज तक भी वहां कोई घरेलू उद्योग न लग सके । कहीं कुटीर उद्योग नहीं है जबकि वहां प्रकृति ने अगाध भण्डार दे रखा है । कौन चीज नहीं है जो वहां उद्योग नहीं खुल सकते । सबसे प्रमुख जड़ी-बूटी का उद्योग हो सकता है । हिमालय में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको अष्ट वर्ग कहा जाता है जैसे काकोली क्षीर काकोली मेदा, महामेदा, ऋषभक, जीवक आदि जो जीवन दान देने वाली बूटियां हैं लेकिन उसपर किसी का ध्यान नहीं है । हमारे क्षेत्र में एक जगह भांग का उद्योग होता है । भांग का कपड़ा यदि रिफाइन करके बनाया जाय तो वह रेशम से भी ज्याद कीमती और मजबूत होता है । लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं है । जिला उद्योग अधिकारी हैं वह समझते हैं कि अपनी नौकरी बचाना है, अपना वेतन लेना है और रिपोर्ट एक दे देनी है कि हम यह कर रहे हैं । लेकिन एक भी उद्योग अधिकारी बताये कि गांव में जाकर उसने योजना समझाई हो, किसी को प्रोत्साहित किया हो । होना चाहिए था कि गांव वालों को प्रोत्साहित करते । उद्योग लगाने वालों के सामने भी यह समस्या खड़ी हो जाती है कि यदि छोटे मोटे उद्योग वह लगाते हैं तो ऋण लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वह गांव वाला साधारण किसान उस प्रकिया में सफल नहीं हो सकता है और हार करके बैठ जाता है ।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार की बात बराबर हर विभाग में की जाती है । लेकिन मैं तो इस पक्ष का हूं कि यदि सारे विभागों में भ्रष्टाचार होता तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाती । भ्रष्ट लोग भी हैं और वैसे भी लोग हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन जब सबको बांस फांस और मिश्री एक भाव बेचा जाता है । तो वह लोग जो चरित्रवान अधिकारी हैं वह सोचते हैं कि हमारा नाम भी भ्रष्टाचार में पड़ना ही है तो वह भी भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और फिर सब बराबर हो जाते हैं । लोग मंत्रियों से और अफसरों से कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों का तबादला होना चाहिए तो तबादला कोई सजा नहीं होती है । हमने ऐसे लोग देखे हैं कि वह चाहते हैं कि कोई हमारी शिकायत करे और

तबादला पहाड़ से प्लेन में हो जाय। तो इससे उनका फायदा होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी ऐसे उद्योग धन्धों में जहां भ्रष्टाचार पनप रहा है उसको देखें और प्रमाणित होने पर एकदम उस कर्मचारी को सस्पेन्ड करें या उसको नौकरी से अलग कर दिया जाय। कभी हम लोग कहा करते थे कि कभी वह दिन भी आयेगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीं होगी और अपना आसमां होगा। आज अपनी जमीं और आसमां अपना है लेकिन गरीब ज्यों का त्यों अपनी गरीबी काट रहा है। भले ही कुछ लोग आगे बढ़ गये हों भले ही उनकी जीविका के साधन जुट गये हों, लेकिन जिसको गरीब कहते हैं वह गरीब अभी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। वह तभी उठ सकता है जब उसको कुटीर उद्योग दिये जायं। हमारे यहां जैसे पहले कहा था कि तांबे और पीतल का बड़ा भारी उद्योग था लेकिन वह आज चौपट हो गया है। श्रीनगर में चमड़े का उद्योग था। वहां के जूते बाहर के लोग पसन्द करते थे। और वहां से उनका निर्यात भी होता था। वह उद्योग भी चौपट हो गया। गंगा बह रही है, अलखनन्दा बह रही है, भागीरथी बह रही है, उनके किनारे-किनारे बालू के ढेर लग हुये हैं लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि पहाड़ों में एक कांच का कारखाना लगाया जाय। अबरक के पहाड़ भरे हुये हैं, लोहे के पहाड़ भरे हुये हैं लेकिन वहां कोई उद्योग धन्धा लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। श्रीमन्, जब मैं पुरानी चीजों को देखता हूं तो मुझे केवल एक शेर याद आ जाता है, क्यों हम जल गये, किस लिये हमने आजादी हासिल की। श्रीमन्,

क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाये थे तिनके,
बन जाय नशेमन तो कोई आग लगा दे।

श्रीमन् आज आग लगी हुई है उद्योगों में हड़ताल हो रही है, मालिक बन्द करा रहे हैं, एक तरफ तो हम उद्योग पनपाने की बात करते हैं दूसरी तरफ हमारे उद्योग चौपट होते जा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान देने की कृपा करेंगे और मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

(श्रीमती राम रति देवी का नाम पुकारने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जनता पार्टी के सचेतक ने जो...

श्री अधिष्ठाता--

आप का नाम आयेगा। उसी से बुला रहे हैं।

*श्रीमती राम रति देवी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, कोई भी देश जिसमें में उद्योग धन्धे अधिक पैमाने पर होंगे कुटीर उद्योग ऐसे देश म होंगे निश्चय ही उस देश की आर्थिक दशा सुदृढ़ होगी। मिसाल के रूप मे देखा जाय तो जापान कितना छोटा देश है लेकिन वहां के लोग हुनर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती राम रति देवी—]

वाले हैं और दूसरे देशों से कच्चा माल लाकर के अपने छोटे उद्योग धन्धे करके वह अन्य देशों के मुकाबले में अपने देश को कितना आगे बढ़ाये हैं, अपने आर्थिक मामले मे कितने सुदृढ़ हैं। तो इस तरह से आज हमारी सरकार की जो नीति है उसके अनुसार उधोग धन्धों के मामले में, कुटीर उद्योग के मामले में काफी कदम उठा रही है जैसा कि हमारे माननीय मन्त्री जी ने अपनें भाषण में कहा है।

उद्योग के मामले में मैं ज्यादातर बुनकरों के बारे में कहना चाहूंगी। हमारी एक माननीया बहन ने उस तरफ से बुनकरों के बारे मे अपनी काफी बातें कहीं। उनकी जो मांगें थी वह बहुत हद तक ठीक थी लेकिन एक बात मुझे नहीं जांची। मेरी बहन भी इस सदन की पुरानी सदस्या हैं और मैं भी पुरानी सदस्या हूं। हमारी बहन याद करें कि जो हमारी बुनकरों की हालत पिछले दस वर्षों में थी या दो साल पहले थी उसको देखा जाय तो जो लागत वे लगाते थे उसमें भी पूरी लागत का दाम उनको नहीं मिल पाता था, उनको पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पाता था, उन को बिजली की पूरी मदद नहीं मिल पाती थी। इस तरह से पैसे की उन के सामने परेशानी थी। रोजगार होते हुये उनके बाल-बच्चों को परेशानी थी। मैंने अपने आंखों से देखा है। हमारे जिले फैजाबाद में अकबरपुर और टांडा में बहुत बड़ा केन्द्र है। हजारों पावर लूम वहां चलते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे टांडा और अकबरपुर में जो बुनकर हैं उन की एक बहुत बड़ी शिकायत है उनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूं और उम्मीद करूंगी कि उन्हें पूरी सुविधा आपके माध्यम से दी जायेगी उनकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उन्हीं के दरवाजे के सामने, उनकी बगल में अकबरपुर तहसील में स्टिपुल मिल है। रोजाना वहां बड़े पैमाने पर सूत तैयार होता है लेकिन वह सूत बाहर भेज दिया जाता है और इन स्थानीय बुनकरों को अधिक दाम दे कर बाहर से सूत लेना पड़ता है। मैं चाहूंगी कि मन्त्री जी कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वह सूत कलकता या अन्य स्थानों पर न भेजा जा कर वहां के लोगों की जरूरत को पूरा किया जाय। हमारे जो बुनकर भाई हैं उनकी दुकानों में न जाने कितने हजार कृषक मजदूर काम पर लगे रहते हैं। सारी कारीगरी का काम यह लोग जानते हैं लेकिन पूरा फायदा मालिक को मिलता है।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के उद्योग धन्धे इनके लिए बुनाई के लगाये जायं और उनको कच्चा माल दिया जाय। इससे गरीब हरिजनों को भी रोजी मिलेगी। जो माल यह उत्पादन करें उसकी बिक्री का इंतजाम सरकार के माध्यम से होना चाहिये। इसके साथ ही मैं अपने क्षत्र की कुछ समस्या रखना चाहती हूं। जहांगीरगंज विधान सभाई क्षेत्र है। लेकिन वहां एक भी बड़ा या छोटा उद्योग धन्धा नहीं है। हमारे क्षेत्र मे न्योरी तथा तेदुई कला जिसका पुराना बाम चोरेखा का डांड है वहां जमीन बेकार है। दो ढाई हजार एकड़ ऊसर जमीन पड़ी है। बराबर में निवेदन करती रही हूं और आज भी कर रही हूं कि उस तरफ ध्यान दे। वहां लोग चार महीने खेती के काम में लगे रहते हैं और बाकी दिनों में बेकार रहते हैं। वे लोग कलकता और बम्बई जैसे बड़े शहरों की ओर नौकरी के लिए भागते हैं। इसलिए वहीं पर खाद, जूते, लकड़ी या लोहे का कारखाना स्थापित किया जाय। यह पिछड़ा क्षेत्र जो उपेक्षित रहा है उसको हरा भरा किया जाय। यह मेरा अन्तिम निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, अधिक तो नहीं परन्तु विगत पांच छः वर्षों में इस सदन में उद्योग मन्त्रियों ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किये थे उनको पढ़ने का अवसर मुझे मिला। उनकी औद्योगीकरण जो योजनाय रहीं उनका भी अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इस बार माननीय उद्योग मन्त्री जी ने सदन में जो अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया है मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वह अपने में एक विशिष्ट महत्व रखता है। मान्यवर, यह हमारा श्रम प्रधान देश है और इस देश की ८० प्रतिशत जनता गावों में रहती है। अतः माननीय उद्योग मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में विशेष रूप से लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की है। मान्यवर, यह सभी जानते हैं कि हमारे, प्रान्त में ही नहीं, बल्कि सारे देश म गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बहुत ही जटिल है और इस बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से निपटने का अगर कोई माध्यम से हो सकता है तो वह हम लघु, कुटीर और ग्राम्योद्योग को प्रोत्साहन देकर ही कर सकते हैं।

(इस समय ५ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वैसे तो बहुत सारी योजनायें माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में प्रस्तुत की है उनकी तरफ विस्तार से न जाकर विशेष रूप से कालीन उद्योग की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करुंगा क्योंकि जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूं वह कालीन उद्योग में प्रान्त में ही नहीं, बल्कि देश में भी अपना विशेष स्थान रखता है। मान्यवर, हमारे देश में १६वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है कि कालीन उद्योग प्रारम्भ हुआ था। मुगल शासकों ने इसको बराबर प्रोत्साहन दिया और इसकी बढ़ोत्तरी होती रही। मान्यवर, आज जो इस हिन्दुस्तान में लगभग ७५ और ८० करोड़ रुपये का जो कालीन का निर्यात होता है, उसमें से ९० से लेकर ९५ प्रतिशत तक का कालीन का निर्यात मिर्जापुर और भदोही क्षेत्र से होता है।

मान्यवर, जो कालीन का उद्योग है, उसमें जितनी पूंजी लगायी जाती है उसका लगभग ५० प्रतिशत मजदूरी के रूप में देते हैं। आंकड़ों के आधार पर जो लगभग २५ करोड़ की विनियोजित पूंजी है, उसम एक व्यक्ति पर लगभग ढाई/तीन हजार रुपये पड़ता है। मैं समझता हूं कि कोई भी दूसरा उद्योग ऐसा नहीं है कि जिसमें ढाई/तीन हजार लगा कर छोटे परिवार का जीवनोपार्जन किया जा सके। कालीन उद्योग ही ऐसा उद्योग है कि जिसके माध्यम से बेरोजगारी की समस्या निश्चित रूप से दूर की जा सकती है।

मान्यवर, मिर्जापुर और भदोही में ३५ हजार लूम्स चलते हैं इस समय जबकि पूरे हिन्दुस्तान में (जिसके आंकड़े मेरे पास हैं) लगभग १२ हजार लूम चलते हैं--जैपुर में २ हजार, जम्मू कश्मीर में ५ हजार, आगरा में २ हजार, मसूर में एक हजार और ग्वालियर में २ हजार। इस प्रकार देखें तो ३५ हजार लूम्स मिर्जापुर और भदोही क्षेत्र में चलते हैं और लगभग १२ हजार लूम्स अन्य सारे हिन्दुस्तान क्षेत्रों में चलते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान पहले जाना चाहिये और उसका प्रोत्साहन होना चाहिये। इस वक्त १९७१-७२ में, श्रीमन्, जहां १३६ मिलियन का निर्यात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनाथ सिंह—]

मिर्जापुर-भदोही से हुआ, वह १९७३-७४ में २६४ मिलियन, १९७७-७८ में ६५० मिलियन का निर्यात हुआ। इसको देखते हुये हमारे हिन्दुस्तान में यह निर्णय लिया गया कि हमारे १९७८-७९ के निर्यात का जो भाग है, वह लगभग १०० करोड़ रुपये का होगा। मान्यवर, सबसे बड़ी बात कालीन उद्योग के साथ है, उसका प्रोडक्शन और उसका एक्सपोर्ट। जब भी कोई विदेशी ग्राहक कालीन खरीदने आता है, तो वह क्वालिटी देखता है। अगर क्वालिटी जंच जाती है तो उसे विदेशों में ले जाता है। श्रीमन्, ८/१० वर्ष पहले जब भी विदेशी ग्राहक आते थे, वे पहले हिन्दुस्तान में आते थे और उसके बाद परसिया और पाकिस्तान जाते थे। लेकिन आज कालीन उद्योग की ऐसी स्थिति हो गयी है कि विदेशी ग्राहक पहले पाकिस्तान जाते हैं, फिर परसिया जाते हैं और तब उसके बाद हमारे हिन्दुस्तान में आते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण, श्रीमन्, यह है कि हमारे यहां का कालीन अन्य देशों के कालीन की अपेक्षा काफी महंगा पड़ता है। उसका कारण है कि हमारा जो वूलेनयार्न, जो कच्चे माल के रूप में कालीन के लिए इस्तेमाल होता है। वह अन्य देशों की अपेक्षा काफी मंहगा पड़ता है।

विगत दो वर्षों में वूलन यार्न की कीमत १२ रुपये प्रति किलो की दर से कीमत बढ़ी है और एक मीटर कालीन ७००, ८०० रुपये का पड़ता है वहां कालीन पाकिस्तान तथा परसिया में ४००, ४५० रुपये का पड़ता है। इसलिए मैं उद्योग मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये कि मिर्जापुर और भदोही के कालीन हैं उनके बनाने वालों को हर प्रकार का कच्चा माल की सप्लाई की व्यवस्था एक निश्चित दर पर और कम कीमत पर की जानी चाहिये। अगर इस दिशा में माननीय मंत्री ने ध्यान दिया तो निश्चित रूप से हमारा कालीन उद्योग आगे बढ़ेगा और इस प्रकार यह देश में ही नहीं विदेश में भी अपना विशेष स्थान प्राप्त कर सकेगा। मिर्जापुर और भदोही कारपेट का व्यवसायी प्रायः, पानीपत, जोधपुर तथा बीकानेर जिलों से कारपेट यार्न को मंगाते हैं जिससे निश्चित दर व निश्चित समय पर यार्न उनको नहीं मिल पाता है जिससे इस उद्यम को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि मिर्जापुर तथा भदोही में यार्न भंडार गृह स्थापित किये जाने चाहिये ताकि वहीं से उनको कच्चे माल की सप्लाई हो सके।

मैं ग्रामीण उद्योग की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार ने निश्चित रूप से जो यह विभाग खोल रखा है प्रदेश की ग्रामीण जनता उससे अच्छी तरह से परिचित नहीं है। आशा है कि उसको इस दिशा में प्रशिक्षित किया जायगा और जैसा उद्योग मंत्री जी ने कहा भी है हर जिले में उद्योग केन्द्र स्थापित वह करने जा रहे हैं जिनमें एक एक जनरल मैनेजर तथा एक-एक मैनेजर नियुक्त होंगे यह निश्चित रूप से उनका उत्तम तथा सराहनीय कदम होगा। ये अधिकारी जिला उद्योग केन्द्रों से स्थान-स्थान पर जाकर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहित करेंगे और साथ ही उनको प्रशिक्षित भी करेंगे और उनके अन्दर जो जोखिम उठाने का अभाव है उसको दूर करने का भी वह प्रयास करेंगे। इस तरह हमारे ग्रामीण उद्योग भी हमारे प्रान्त में निश्चित रूप से बढ़ सकेंगे। इसके अलावा विगत ५, ६ वर्षों पहले यह प्रस्ताव था कि विन्ध्याचल में स्टील कास्टिंग का कारखाना स्थापित किया जायगा जिसके द्वारा निर्मित ग्रिंडिंग मिडिया बाल्स सीमेंट फैक्टरीज में इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन वह फैक्टरी वहां कायम नहीं हो सकी। साथ ही मोहनपुर में खाद का कारखाना लगाने का भी प्रस्ताव था। बिरला तैयार थे लेकिन उस समय की सरकार के द्वारा उनको जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये था वह नहीं मिल

पाया और जो सुविधायें वह चाहते थे वे उनको नहीं मिल पाई जिसके कारण मोहनपुर का कारखाना गोआ भेज दिया गया, मिर्जापुर उससे वंचित रह गया। लिहाजा मिर्जापुर में खाद के कारखाने को स्थापित करने की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया जाय और मिर्जापुर में स्टील कास्टिंग फैक्टरी भी बिठाई जाय।

इसके अलावा वहां एक पेपर फैक्टरी बिठाई जाने की संभावना है। जो लेटेस्ट टैक्निक है। मेस्टा नानवुड मेटीरियल के द्वारा पेपर बनाने की वह वहां मिलने की संभावना है, लिहाजा पेपर फैक्टरी की वहां स्थापित करने की बात पर सोचा जाय क्योंकि जो मेस्टा नानवुड मेटीरियल है वह वहां प्राप्त हो सकेगा और मिर्जापुर का जो पिछड़ा हुआ इलाका है वह आगे बढ़ सकेगा क्योंकि वहां के निवासियों के रहन-सहन का जो स्तर था आज भी वह उसी प्रकार का बना हुआ है जब कि इतने सारे उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं। अतः जो भी सुझाव इस सम्बन्ध में रखे गये हैं मुझे विश्वास है कि उद्योग मंत्री उन पर विचार करेंगे। उसमें प्रायः मिर्जापुर के स्थानीय लोग हैं दलित हैं, शोषित हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है अतः उन्हें रोजगार देने की सरकार व्यवस्था करे।

कजरा, चुनार और डल्ला सीमेंट फैक्टरियों में यह देखने को मिलता है कि उनमें दूसरे क्षेत्रों के और यहां तक कि दूसरे प्रदेशों के लोग नियुक्त हैं और मिर्जापुर के नागरिक वंचित रह गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन फैक्टरियों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलावें। वैसे उन्होंने एक आदेश जरूर जारी किया है कि कजरा सीमेन्ट प्रोजक्ट जो स्थापित हो रहा है उसमें जितने भी स्थानीय लोग हैं ५० प्रतिशत स्थान उनको दिये जांय तथा क्लेरिकल और लेबर की जितनी पोस्ट हैं उनका ८० प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों को दिया जाये। किन्तु अभी तक इस आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद समाप्त करना होगा।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

जनाबेआला, मुझे बहुत खुशी है कि ज्यादातर लोगों ने हैंडलूम और पावर-लूम के बाबत सरकार का ध्यान खींचा है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि यह बहुत ही पुराना और अहम का उद्योग है। हमारे सूबे में इसको पनपने के लिए और दूबारा जिन्दा करने के लिए सरकार का फर्ज है। इसके लिए जितना भी हो सके, सरकार को रुपया मुहैया करना चाहिए। जनाबेआला, जैसा मैंने कहा कि आज पावर लूम और हैंडलूम सोसाइटियां कर्जदार हैं। वे बेचारे अपने पावरलूम और हैंडलूम को बेचकर रुपया अदा कर रहे हैं। यह बड़ी तकलीफदेह बात है। सोसाइटियां बनी हैं वे काम कर रही है किन्तु कर्जा न दे सकने की वजह से वे इनको बेच रहे हैं ताकि रुपया अदा हो सके। यह सरकार का काम है कि वह गरीबों का मदद करे और उनको बहाल करने की कोशिश करे। मेरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती कुदसिया बेगम--]

सुझाव है कि नये उद्योगों को खोलने के बजाय पुराने जो उद्योग हैं उनकी मदद करना सरकार का फर्ज है और मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ जरूर गौर करेंगे और जो कर्ज इन सोसाइटियों पर है जिसकी वजह से वे काम बन्द किये बैठे हैं उनको किसी नेशनलाइज्ड बैंक या कोआपरेटिव बैंक से रुपया देने की व्यवस्था की जायेगी। सरकार १५ प्रतिशत वर्किंग कैपिटल का रुपया उन्हें दे। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे सूबे में ८ हजार अन-आथोराइज्ड पावर लूम्स हैं। मुझे मालूम हुआ है कि छठें प्लान में कोई नया उद्योग हमारे सूबे में नहीं स्थापित किया जायेगा। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि वह इन ८ हजार अनआथोराइज्ड पावरलूम्स को रेगुलराइज करे ताकि वे ठीक से काम कर सकें।

हमारे यहां एक प्रोसेसिंग हाउस भी होना चाहिये जो कपड़े को रंगने और प्रिंट करने आदि का काम करे। हमारे यहां से इस कार्य के लिए कपड़े को बम्बई भेजना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगी कि इस बारे में वे योजना बनायें और एक प्रोसेसिंग हाउस उत्तर प्रदेश में भी स्थापित करे ताकि हमारे बुनकरों को फायदा पहुंचे। यह भी मालूम हुआ है कि बहुत से जिलों में योजनायें बन कर आ गई हैं उसमें २२ लाख रु० खर्च करने के लिए है लेकिन अभी तक सरकारी स्वीकृति नहीं मिली है। मैं उमीद करती हूं कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाया जायेगा और हैंडलूम और पावरलूम के विकास की योजना स्थापित की जायेगी।

जहां तक स्पिनिंग मिल का संबंध है हमारे सूबे में ८ स्पिनिंग मिल लगाई गई। मेरे इलाके में संडीले में भी एक स्पिनिंग मिल है। मेरा निवेदन है कि वहां के लिए यार्न की जो जरूरियात है उसको पहले पूरा किया जाय और जो बाकी बचे उसको फिर कानपुर भेजा जाय। इससे मिडिल मेन बीच में आ जाता है, कानपुर जाकर उसे लाना पड़ता है। इसलिए पहले मुकामी जरूरत को पूरा किया जाय। नहीं तो लोगों को डायरेक्टोरेट में जाना पड़ता है और मिडिलमेन का सहारा लेना पड़ता है।

कारीगरों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने का विचार सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। उसमें करीब २० ट्रेनिंग सेंटर खोलने पर विचार किया जा रहा है। सारे देश भर में यह खुलेंगे। तो मैं अपने मंत्री जी से कहूंगी कि कि उसमें से ५ सेंटर अपने यहां स्थापित किये जायं क्योंकि यहां हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत है इसलिए कारीगरों को ट्रेनिंग देना जरूरी है।

बड़े उद्योगों में हमारी सरकार सीमेंट की पैदावार कर रही है लेकिन क्या वजह है कि इसकी इतनी कमी है आज हर तरफ सीमेंट की मांग है और वह पूरी नहीं होती है। कमी काफी बढ़ गई है। वह मिलता नहीं है। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार इस पर गौर करेगी।

जनाबेआला, मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार इन तमाम बातों पर गौर करेगी। जो बातें यहां कही गई हैं उन पर गौर करेगी। हर जिले में एक उद्योग केन्द्र खोलने की कोशिश की जायेगी। जितने भी हमारे बुनकर हैं उनको जिस तरह से मिडिलमेन चूसते हैं, उनके सामान को कम कीमत पर खरीदते हैं वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए कोशिश होनी चाहिये कि मारकेटिंग फैसिलिटी बुनकरों को ज्यादा से ज्यादा मुहैय्या हो ताकि मिडिलमेन के पंजों से वह छूट सके। वह मेहनत करके सामान तैयार करते हैं लेकिन उसके माल का

जिसकी कीमत १०० रु० होती है उसको ४० रु० में या ५० रु० में लिया जाता है। इस चीज को खतम करना चाहिये।

मैं ज्यादा न कहते हुए उम्मीद करती हूं कि सरकार इन तमाम चीजों की तरफ गौर करेगी और जो योजना बुनकरों के लिए सोच रही है उसको मजबूती के साथ चलायेगी। इससे लाखों लोगों को रोजगार का सहारा मिलेगा। जैसा मैंने कहा लघु उद्योग का काम न सिर्फ आदमी ही करते हैं बल्कि औरतों और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देना, हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। संडीला में एक वक्त ऐसा था कि बहुत अच्छा काम चल रहा था और एक करोड़ रुपया का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था लेकिन अब वहां यह काम बिलकुल ठप पड़ा है। रुपये की कमी की वजह से और कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण वह पनप नहीं सकते हैं। इसलिए सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वह इस तरफ जरूर ध्यान दें इन अलफाज के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार हमदर्दी से गौर करेगी।

*उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)--

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत अनुगृहीत हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। समय की कमी के कारण बहुत से प्रश्न जो उन्होंने उठाये हैं, उनका उत्तर मैं नहीं दे सकता था और मैं समझता हूं कि बहुत से सवाल अभी बाकी हैं, क्योंकि इतना अधिक विस्तार है इस क्षेत्र का कि कुछ कहने को नहीं। हर क्षेत्र पर पूरी जानकारी देने के लिए बहुत समय चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो उद्योग विभाग की प्रगति पुस्तिका छपी है, वे उसको पढ़ने की कृपा करें। इससे न केवल उनकी जानकारी बढ़ेगी, बल्कि जो काम हम आगे करने जा रहे हैं, उसमें उनको सहयोग भी हमें मिलेगा। श्रीमन्, मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश की प्रगति इतनी कम हुई है कि यदि उसको काफी बढ़ायें तब भी वह दिखायी नहीं देती। अगर १०० गुना चाहिये तो २ गुना करने से लोगों को सन्तोष नहीं होगा। फिर भी मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति हुई और अब किस प्रकार हो रही है।

इस प्रदेश की योजना में छोटे उद्योगों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में ९ करोड़ से बढ़ाकर १३ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। और इस ४ करोड़ की वृद्धि में केवल सवा २ करोड़ की वृद्धि हैण्डलूम हथकरघा क्षेत्र में है। जो विभिन्न विभागों में प्रगति हुई है, उसको आप देखें। जो कच्चा माल उद्योग विभाग से इस वर्ष सप्लाई किया गया, उसके आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में देखें, तो जो पिछले वर्ष यह १० करोड़ ४७ लाख था, इस वर्ष २३ करोड़ ६४ लाख किया गया है। इस तरह से इसमें १२० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यू० पी० एफ० सी० से जो लोन स्वीकृत हुआ और वितरित हुआ, वह जो पिछले वर्ष ५ करोड़ १२ लाख रुपया था इस वर्ष ७ करोड़ ५२ लाख का हुआ यानी इसमें ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिक-अप द्वारा जो लोन वितरित किया गया वह पिछले वर्ष २ करोड़ ४२ लाख था और इस वर्ष बढ़कर ३ करोड़ ११ लाख हो गया है, यानी ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रकाश]

इसी तरह से हमारा जो खनिज विकास निगम है, उसने जो खनिज का विक्रय किया, वह पिछले वर्ष १९ करोड़ का था और इस वर्ष ५२ करोड़ का पहुंच गया है। चमड़ा निगम का जो टर्न ओवर है, वह पिछले वर्ष जहां २९ लाख था, अगले वर्ष बढ़कर ४५ लाख हो गया, अर्थात् उसमें ५५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यू० पी० एस० आई० डी० ने पिछले वर्ष १८० शेड्स बनाए थे और इस बार २७२ बनाए। हैण्डलूम कारपोरेशन का जो कन्ट्रोल्ड क्लाथ है जनता साड़ी है, वह पिछले वर्ष ३० लाख रुपये के बने और इस बार ५ करोड़ ४४ लाख रुपये के बने हैं। अब श्रीमन्, जो सामान की बिक्री हुई हथकरघा वस्तुओं की, वह पिछले वर्ष १ करोड़ ३ लाख की थी, जो इस वर्ष ७ करोड़ २८ लाख की हुई है। इसी तरह से इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में उसने पिछले वर्ष में जो विनियोजन किया वह कुल २० करोड़ रुपये का था ७७ तक, उसमें भी वर्ष ७७-७८ में ११ करोड़ की वृद्धि हुई है।

तो श्रीमन्, आप देखें, इस तरह से प्रगति हो रही है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतया सहमत हूं कि जैसी हमारी प्रगति हुई है, मैं भी उस प्रगति से कतई सहमत नहीं हूं। इतने विकास की गुंजायश है इनके अन्दर कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने हिमांचल प्रदेश में देखा है, उन्होंने अपने यहां इधर ५-७ वर्षों में सेब के उत्पादन में डेढ़ सौ गुना की वृद्धि कर ली है। इसलिये अपने यहां के जो २५ या ३० प्रतिशत की वृद्धि के आंकड़े हैं वे पर्याप्त नहीं है, जो हमारे देश की समस्याओं को देखते हुये बहुत ही कम हैं। जैसे ६० ग्रोथ सेन्टर्स हमने बनाये हैं। माननीय सदस्य एक-एक जिले से १५-१५ तक आए हैं अब उनके यहां एक जगह यह ग्रोथ-सेन्टर बन गया, तो उनके समझ में यह नहीं आएगा। अगर उस ग्रोथ-सेन्टर में वह इंटरेस्ट लेंगे तो पूरी-पूरी समस्याओं से अवगत हो जायेंगे और ग्रोथ-सेन्टर को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अगले दो साल के अन्दर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक ग्रोथ सेंटर करा देना है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे उसका बारीकी से अध्ययन करें, वहां की समस्याओं का अध्ययन करें तब उनका व्यावहारिक सहयोग प्राप्त हो सके और कठिन समस्याओं को सुलझाने में जहां अधिकारी काम करते हैं उससे अधिक माननीय सदस्य उसमें सहयोग दे सकेंगे और हम आगे बढ़ सकेंगे। इन शब्दों के साथ जो हैंडलूम के बारे में बहुत से सवालात किये गये उसकी जानकारी देना चाहता हूं।

हथकरघा क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। गोरखपुर में एक नयी योजना के बारे में कहा गया है, सूत देकर जनता साड़ी बनवाने के बारे में यह किया है कि अगर सूत के दाम बढ़ेंगे तो भी एक जोड़े पर कम से कम पांच रुपया मजदूरी जायेगी, मजदूरी इससे कम नहीं होगी। इसका आश्वासन दे दिया गया है। अगर सूत के दाम कम होंगे तो मजदूरी बढ़ायी जा सकती है। लेकिन कम नहीं की जा सकती। इस तरह से गोरखपुर में करीब ८-१० रुपये की मजदूरी इसके द्वारा मिलनी चाहिये। इस योजना को धीरे-धीरे प्रदेश में फैलाने का विचार है। जो हमारे यहां कच्चा माल दिलाती हैं, उसकी आठ मिलें चल रही हैं। दो इस वर्ष मगहर और नगीना में बनने वाली हैं। १९७६-७७ में ८२ लाख का सूत दिया गया था जो १९७७-७८ में १ करोड़ ७८ लाख का हो गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सूत बुनकरों को मिलना चाहिये। इस बारे से शासन गम्भीरता से विचार कर रहा है। सारे सूत को उपलब्ध कराने के लिए मिल द्वारा क्या दुकानें खोली जा सकती हैं इसके सारे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अगर

सही दाम पर सूत मिलने लगा तो उसके दुरुपयोग की सम्भावना है। उसके लिए राशन कार्ड बनाने पड़ेंगे। लेकिन शासन जागरूक है और बहुत जल्द ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन मिलों के सूत का उपयोग बुनकरों द्वारा सीधा हो सके।

दूसरे बिचौलियों द्वारा जो शोषण किया जाता है उसके लिए ५४ विक्रय केन्द्र हमने स्थापित किये १९७७–७८ में ५८३ लाख रुपये के हथकरघा वस्तुओं की बिक्री की गयी और १९७७–७८ में प्रदर्शनियों द्वारा ३९६ लाख की बिक्री हुई। मद्रास हन्डलूम के बारे में बड़ी चर्चा होती है। लेकिन मद्रास में जो वर्ल्ड फेयर लगा था उसमें उत्तर प्रदेश का शो रूम, मेरी जानकारी है, ने बड़ा नाम कमाया। वहां पर सबसे ज्यादा बिक्री उत्तर प्रदेश शो रूम में हुई। हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। १५ लाख लोग हैंडलूम पर निर्भर करते हैं। उनकी गरीबी को दूर करना है। १५ लाख में अगर ११ लाख लाभान्वित हो जायं तो पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे कपड़े की क्वालिटी और डिजाइनिंग इम्प्रूफ हो रही है। जब वे बाहर जाते हैं तो उनकी बड़ी मांग होती है। विदेशों से करीब एक करोड़ को इस वर्ष नये आर्डर्स एक्सपोर्ट के प्राप्त हुए हैं। इसमें क्वालिटी इम्प्रूफ करने के लिए करघों के आधुनीकरण के लिए १ हजार ११ करघों को १९७७–७८ में ५ लाख रुपये का अनुदान दिया गया। कनवस प्रोसेसिंग केन्द्र पिलकुआ को १ लाख ८० हजार का अनुदान दिया गया। १९७८–७९ में दो प्रोसेस हाउस एवं डिजाइन सेन्टर खलीलाबाद और मऊ में स्थापित किये जायेंगे। एक प्रोसेस हाउस वाराणसी में स्थापित किया जायेगा।

इसी प्रकार से भंडार गृह की स्थापना की जा रही है। १९७८–७९ में चार गृह ६० लाख रुपये की लागत से स्थापित किए जायेंगे यह चार स्थान गोरखपुर, नहटौर, मेरठ और मऊ में होंगे। इसमें वह अपना सामान रख सकेगा और जब उसकी कीमत ठीक हो जायेगी तो वह उसको बेच सकेगा। जब वह अपना सामान रखेगा तो ६० प्रतिशत कीमत उसको दे दी जायेगी। सधन विकास की योजना चालू की जायगी। इसके अन्तर्गत ५ वर्ष में १०,००० करघे प्रत्येक केन्द्र में अधिग्रहण किए जायेंगे। यह गोरखपुर, बस्ती, मऊ और बिजनौर में यह योजना चल रही है। धागे की उपलब्धि, करघों में सुधार, बुनकरों के प्रशिक्षण तथा रंग रसायन व वित्तीय सहायता भी इनको दी जायेगी।

हथकरघा काम्पलेक्स ८ जिलों में स्थापित किए गये हैं। यूपिका को ५० लाख रुपया कार्यशील पूंजी हेतु दिया गया। यह संस्था पिछले दशक से कोई लाभ नहीं अर्जित कर सकी किन्तु १९७७–७८ में ३·०० लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। १९७८–७९ में कुछ नयी योजनायें चालू की गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जनता धोती उत्पादन हेतु ७० लाख का प्राविधान किया है। पोलियस्टर धागे का प्रचलन के लिए ६० लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके केन्द्र इलाहाबाद, झांसी, मऊ और वाराणसी में स्थापित किए गये हैं। छपाई प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र लखनऊ में ६ लाख रुपये से स्थापित किया गया है और अनुसूचित जाति, जन जातियों में बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए ६२·५ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है और इसका केन्द्र गोरखपुर होगा। शहतूत रेशम उत्पादन का कार्य तराई जिलों में शुरू किया जायेगा। यह

[श्री राम प्रकाश]

योजना पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर में प्रारम्भ होगी। इस पर कुल ३४० लाख होगा और इस वर्ष २० लाख का व्यय होने का अनुमान है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। भ्रष्टाचार तो ऐसा व्यापक है कि वह धीरे-धीरे ही समाप्त होगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़े कदम उठाये जा रहे ह और धीरे-धीरे ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि उसमें परिवर्तन आये। रघुवर दयाल वर्मा जी ने कोयले के भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र किया। जब मुझे पता लगा तो मैंने तुरन्त उसकी जांच करवायी और वहां पर जो अधिकारी नियुक्त थे उनका ट्रान्सफर कर दिया। यह सब कदम उठाये जा रहे हैं।

जहां तक मोम का सवाल है २,४०० रुपये टन हम दे रहे हैं, जब कि इसकी कीमत बाजार में ९,००० रुपये टन है। बड़ी कठिनाई है। मोम की नीति में जो कदम उठाये गये हैं उससे परिवर्तन आयेगा। कच्चे माल का उपयोग ठीक ढंग से किया जाये इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है।

एक बात इन्जन के बारे में कही गयी कि इसकी खरीद में बड़ी गड़बड़ी होती है। किसानों का शोषण हो रहा है। भूमि विकास बैंक द्वारा इसकी व्यवस्था की गयी है कि किसानों को अच्छे इन्जन मिले। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की गयी है, जिससे इस क्षेत्र में भी सुधार हो जायगा। मोनोपोली जो बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्री में है उसके लिए बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी है। मैं तो यह समझता हूं कि यह बड़ा प्रश्न है। जो छोटे उद्योगों में १८० आइटम्स थे उनको ५०३ कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार का कहना है कि कन्ज्यूमर्स गुड्स जो हैं उनका उत्पादन जो हमारी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं वे बन्द करें और जो छोटे उद्योग हैं वे उनको अपनायें। इस लिए मोनोपोली स्वतः कम हो रही है, लेकिन एकदम से नहीं हो सकती है।

यह भी यहां पर कहा गया कि उद्योग के जो हमारे अधिकारी हैं, उनका सहयोग नहीं होता है। यह मैंने भी कहा था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने ग्रोथ सेन्टर्स बनाये हैं उन पर उद्योग अधिकारी की टीम जा रही है और वे लोगों से कह रहे हैं कि वे उद्योग लगायें, हम सारी सुविधायें उपलब्ध करायेंगे। अगर किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में वह उद्योग ग्रोथ सेन्टर पड़ता है अगर वहां पर कोई अधिकारी अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं और फिर भी उन्हें जिले और प्रान्तीय स्तर तक दौड़ना पड़ता है तो यह सूचना अगर मुझको मिलेगी तो मैं देखूंगा कि उसकी व्यवस्था संवर्धन केन्द्र पर जाकर ही हो। ये जो ६० ग्रोथ सेन्टर्स हमने कायम किए हैं ये केवल पिछले ३ महीनों में हुए हैं जिनमें २,२०० यूनिट्स कायम किए गये हैं। पिछले साल हमारे यहां पर ३,००० उद्योग पंजीकृत हुए। इस वर्ष ६,००० की आशा है जिनमें से २,२०० २-३ महीनों के अन्दर पंजीकृत हुए हैं। उनको ऋण दिलाने की सुविधा का भी प्रयास किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह कहा गया है कि उसकी उपेक्षा होती रही है। मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में ३० करोड़ रुपये का एक कारखाना सीमेन्ट का लगाने

जा रहे हैं। किच्छा में ६०–७० करोड़ रुपये से एक पेपर मिल स्थापित करने जा रहे हैं। श्रीनगर में एक ग्रोथ सेन्टर बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र पहाड़ का है लेकिन जो योजना बनायी गयी है, उनसे और बेकारी दूर होगी तो वह पर्वतीय क्षेत्र की होगी। और भी कुछ बातें हैं, वे सुझाव में रूप में हैं, मैं उन सब पर विचार करूंगा।

एक वृहद् उद्योग की बात भी यहां पर कही गयी कि कहां पर उनको लगाया जाय लेकिन बड़े उद्योग बड़ी तेजी से लगाये जायं। १,९०० करोड़ की खपत पिछली पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में हुई। १,९०० करोड़ के यूनिट्स केन्द्रीय सरकार की ओर से लगाने की योजना है। जैसे मिर्जापुर में ९० करोड़ से एक सीमेन्ट का कारखाना लगाने की बात है। इस प्रकार से देहरादून में ७ करोड़ की लागत से कैल्शियम कार्बाइड के कारखाने की योजना है। ये बड़े उद्योग आवश्यक हैं लेकिन गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनकी सहायता से छोटे उद्योग का भी विस्तार करना होगा। इस दिशा में हम चल रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि प्रदेश में उद्योगों का विकास होगा।

श्री अध्यक्ष––

क्या आप इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रही हैं ?

श्रीमती कुदसिया बेगम––

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३––लेखन–सामग्री और मुद्रण––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३––लेखन–सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,५१,४०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५७––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५७--उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,११,२३,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५८--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,५१,३७,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५९--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५९--खानें तथा खनिज के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५६,५७,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७८--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ ।)

संख्या २३--लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या ५७--उद्योग, अनुदान संख्या ५८-ग्राम एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या ५९--खान तथा खनिज, अनुदान संख्या ७८-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, तथा अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम उद्योग

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७८--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,९७,९९,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९४--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,५३,२७, १०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज कल १७ सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें से केवल आगरा के बारे में ही आज नियम ५१ में ११ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक बांदा के बारे में है । क्योंकि आज कामरोको प्रस्ताव मैंने स्वीकृत किया था, उस पर चर्चा भी हो चुकी है, इसलिये मैंने सभी को अस्वीकृत किया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मऊ के बारे में मेरा था ।

श्री अध्यक्ष--

उसको भी मैंने अस्वीकृत किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, शून्य प्रहर की सूचनाओं का क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

उनको मैंने अस्वीकृत कर दिया है ।

नैनीताल में दूकान पर बैठे श्री तुलाराम व उनके पुत्र को गोली मारे जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तगत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को काशीपुर, जिला नैनीताल की घटना के बारे में जो वक्तव्य माननीय मुख्य मन्त्री का होने वाला था उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्थगित करने के लिये कहा है, उसको मैं स्थगित करता हूं ।

पर्वतीय विकास उप मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

श्रीमन्, कहें तो वक्तव्य पढ़ दूं (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

आज नहीं ।

प्रदेश में बिजली की सप्लाई एकाएक कम कर दिये जाने के कारण जनता में परेशानी के विषय में नियम ५१ के अन्तगत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

बिजली की पूर्ति वाला वक्तव्य भी मैंने आज स्थगित किया है क्योंकि माननीय विद्युत् मंत्री ने स्थगित करने के लिये अनुरोध किया था, वे आज चुनाव में व्यस्त हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैंने कहा था कि तत्काल हो, तो आपने कहा था कि कल हो जायेगा । मैं जानता था कि आज नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो पहले से बहुत सी बातें जान लेते हैं । (हंसी) माननीय विद्युत् मन्त्री जी चूंकि स्वयं प्रत्याशी हैं, इसलिये उन्होंने अनुरोध किया था ।

अब हम उठते हैं, ८ तारीख को ११ बज फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३४ मिनट पर सोमवार ८ मई, १९७८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२ मई, १९७८ ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम २९(४) के तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७० पर ।]

प्रतिलिपि टेलीग्राम जो दिनांक २८-३-७८ को श्री बलबीर सिंह द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ को समय १६'४५ पर आगरा से भेजा गया ।

मेरे भाई और मेरे गांव के श्याम सिंह और नत्थू सिंह ने आज ११ बजे दिन काशीराम और अजयपाल डकैतों को शिकोहाबाद के बड़े बाजार में पकड़कर शिकोहाबाद की पुलिस को मय राइफल व रिवालवर के दिया है ।

बलबीर सिंह

Copy of Radiogram, dated 28—3—78 from Sp MPI to prepol ADDL Police DIG AGA Rang—DIG AD OPS—Sps Etawa—ETAH FTH—SSP AGA.

On 28—3—78 at about 10 p. m. Notorious dacoit Kasi (D—28) has been killed in an encounter with MPI Police. The encounter took place at Canal Bridge Kaurai PC Nagla Khanger about twenty KM EAST of SKD. One Factory made SBBL Gun with huge number of Cartridges Recovered. Chasing and combing of rest of the members of the gang still Continuing. Details follow.

संसद ग्रंथालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९५ पर)

वर्ष १९७८-७९ में राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सृजित रोजगार

क्रम-सं०	विभाग का नाम	नियमित रोजगार (संख्या में)		आकस्मिक रोजगार (लाख मानव दिवस में)	
		शिक्षित (हाई स्कूल एवं उच्च)	अशिक्षित (हाई स्कूल से कम)	शिक्षित (हाई स्कूल एवं उच्च)	अशिक्षित (हाई स्कूल से कम)
१	२	३	४	५	६
१	कृषि उत्पादन ..	१,८२०	४,७२६	..	४७·६२
२	लघु सिंचाई ..	५०९	१४४	२·७०	३२६·६३
३	पशुपालन ..	२५३	१२८	..	..
४	डेरिंग एवं दुग्ध पूर्ति ..	७५	५	..	..
५	वन ..	३६५	५६	..	२६·००
६	सामुदायिक विकास (आर०इ०एस०+पंचायत)	६५६	२३२	..	२५·००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७	सहकारिता ..	७९५	१७	..	..	
८	सिंचाई (बृहद् एवं मध्यम सिंचाई)	६,९६४	३,२९०	२२·६०	८४४·३०	
९	विद्युत् ..	३,२००	२,६००	..	..	
१०	उद्योग ..	४१९	१२,३१७	..	..	
११	परिवहन ..	..	..	..	५४४·३०	
१२	शिक्षा विभाग ..	९,६८७	२६६	..	..	
१३	प्राविधिक शिक्षा ..	९८	२६	..	..	
१४	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध ..	८२	..	..	..	
१५	चिकित्सा ..	६९३	३९४	..	०·४५	
१६	स्वच्छता एवं जल सम्पूर्ति ..	९३६	२३४	..	१४९·०१	
१७	आवास एवं नगरीय विकास ..	..	..	..	१८·७२	
१८	भवनों का निर्माण ..	२७९	..	..	१६·३४	
१९	श्रम सूचना एवं श्रम कल्याण ..	१५१	७७	..	..	
२०	सामान्य आर्थिक सेवायें ..	२२	१९	..	१·०६	
	कुल राज्य ..	२७,००४	२४,५३१	२५·३०	१,८९५·५२	
		५१,५३५		१,९२०·८२		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२०२ पर)

नैनीताल जिले के काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वर्ष १९७४–७५, १९७५–७६ तथा १९७६–७७ में स्वीकृत आयोजनागत धनराशि का विवरण

मद/निर्माण कार्य	स्वीकृत की गई धनराशि (लाख रु० में)		
	१९७४–७५	१९७५–७६	१९७६–७७
१	२	३	४
१––औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०), काशीपुर			
(i) भवन निर्माण	१.६००	..	..
(ii) छात्रावास एवं कर्मचारी आवास निर्माण	..	१०.४९०	..
२––राजकीय बहुधन्धी संस्था काशीपुर––			
(i) कर्मशाला शेड निर्माण	..	०.१५०	..
(ii) संस्था के भवन निर्माण	..	०.३००	३०.०००
(iii) संस्था के आवास गृह, बाउन्ड्रीवाल छात्रावास आदि का निर्माण	..	..	२.०००
३––राजकीय महाविद्यालय, काशीपुर का भवन निर्माण	..	०.०५०	५७.०००
४––काशीपुर स्टेडियम के निर्माण का कार्य	..	१.५००	५.५०५
५––काशीपुर नैनीताल में अनुसूचित जनजाति विद्यालय के छात्रावास का निर्माण	०.६३०	०.९००	०.१८०
६––राजकीय सिंचाई प्रायोजनायें कार्य	१६.९८२*	२०.८९९*	२१.०४०*
७––बाढ़ नियंत्रण कार्य	९.७४०*	१.६५५*	१.५०१*

टिप्पणी––* सिंचाई विभाग द्वारा चालू निर्माण कार्यों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि ।

१	२	३	४	५
८	सड़कें/पुलों का निर्माण	३३.३६६**	४९.०६९**	४५.८८०**
९	उद्योग विभाग के भवन निर्माण	..	१.९४०	५.५००
१०	चिकित्सा विभाग के भवन निर्माण	५.३७०	९.८४०	१.९५५
११	श्रम हितकारी केन्द्र, काशीपुर का भवन निर्माण कार्य	१.६००	०.७५०	१.२९०
१२	पर्यटन			
	(i) गिरिसरोवर, काशीपुर में पर्यटन विश्राम गृह का निर्माण एवं गिरिसरोवर का विकास	..	१.०००	३.३५०
	(ii) द्रोण सागर तीर्थ, काशीपुर के विकास हेतु निर्माण कार्य	..	..	०.५००
	योग ..	६९.२८८	९८.५४३	१७५.७०१

टिप्पणी **— सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवंटित धनराशि ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २० का

तालिका

जनता सरकार के गठन (२३-६-७७) से २८ जनवरी, १९७८ तक महीने

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	जून, १९७७	जुलाई, १९७७	अगस्त, १९७७
१	२	३	४	५
१	श्री राम नरेश यादव मुख्य मंत्री	२,७६५.९६	१,०६०.४०	१०,२८५.१३
२	श्री राम प्रकाश, उद्योग मंत्री	९४९.८५	१,५७५.५५	२,३१५.०५
३	श्री बलबीर सिंह, सिंचाई मंत्री	१,३१५.९०	१,६७२.५०	५,३३१.५३
४	श्री सत्य प्रकाश मालवीय, स्वायत्त शासन मंत्री	७०५.००	२,९३८.७५	५,६५८.१५
५	श्री रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत् मंत्री	२२०.६५	३,११८.१०	४,६६९.१५
६	श्री राजेन्द्र सिंह, कृषि, मंत्री ..		३,९४८.५५	८४९.३५
७	श्री मधुकर दिघे, वित्त मंत्री ..		२,६५१.८०	१,५५४.४५
८	श्री जमुना प्रसाद बोस, ग्राम्य विकास मंत्री ..		३,३८८.०५	१,२६२.९०
९	श्री हरिश्चन्द्र, खाद्य मंत्री ..		५,६४०.४४	५,७८९.८५
१०	श्री गणेश दत्त बाजपेयी, श्रम एवं आबकारी मंत्री ..		२,८३६.७०	४,१२३.८५
११	श्रीमती चन्द्रावती, गन्ना विकास मंत्री ..		१,३९७.०५	२,४०५.५५
१२	श्री मलायम सिंह यादव, सहकारिता मंत्री ..		१,५४०.७५	१,८७९.५०
१३	श्री राम सिंह, समाज कल्याण मंत्री ..		३,११८.१०	३,३५६.१५
१४	श्री कालीचरण, शिक्षा मंत्री ..		१,८७३.३५	२,११४.००
१५	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, संस्थागत वित्त मंत्री ..		२,८५१.१५	३,३७९.३०

'घ'

उत्तर पीछे पृष्ठ 1203 पर)

क'

वार मंत्रि-परिषद् के प्रत्येक सदस्य के दौरों पर हुए खर्च का ब्यौरा

सितम्बर, १९७७	अक्तूबर, १९७७	नवम्बर, १९७७	दिसम्बर, १९७७	जनवरी, १९७८ (क-२८-१-७८ तक)
६	७	८	९	१०
७,८६१.४६	९,१५७.८८	१२,१६४.५२	९,९९०.८३	१४,५६१.५३
२,६७२.००	२,९०४.५०	४,५९५.५६	४,७०५.२०	५,०२५.५६
२,२४७.४५	४,७३८.१०	४,४७६.७०	५,४०५.००	७,७८८.९५
३,५०८.१५	७,४४६.५०	७,८९५.७०	६,२२८.८०	९,१०९.१०
५,६२२.७९	७,२९९.३५	२,५५५.७५	३,८७८.००	३,७९४.५५
			*केवल रेल के किराये की धनराशि है।	
२,१९०.००	४,५५१.१५	५,९३९.१५	५,०६५.६०	४,९२४.६५
२,५७३.३५	४,६४३.१५	४,७६२.५५	८,३९३.०६	२,२५३.३६
२,६९७.०५	४,१२८.३०	३,०१०.२५	२,२६४.७०	३,०२५.४०
३,४७८.२०	८,१५९.१०	८,३२४.२०	९,८२९.४५	५,४५३.३०
४,९७४.३५	४,८१५.९०	४,१६२.५५	३,८२०.७५	४,२४४.२०
४,२९९.४७	५,३०२.७५	९,६६४.०५	१,४३१.६०	३,५७५.५०
९५२.१०	४,३१४.००	५,३७५.०५	३,५३०.००	३,६६२.००
२,६३७.५०	३,५९०.६५	५,३६४.६५	५,२३४.७५	२,४८९.२५
१,७४५.६०	९५९.००	६,८८२.३५	४,७६८.८५	२,२३९.००
४,१६९.४०	६,३३९.३०	६,८९५.८३	७,४५१.३०	५,६१७.३०

१	२	३	४	५
१६	श्री शारदा भक्त सिंह, राजस्व मंत्री	..	१,९६७.२५	२,४०७.४०
१७	श्री मो० मसूद, सा० नि० मंत्री	..	१,१७५.३०	२,१७९.४५
१८	श्री आबिद अली, परिवहन मंत्री	..	१,६४८.६०	४,८५५.१५
१९	श्री कल्याण सिंह, स्वास्थ्य मंत्री	..	२,१६६.७०	२,८३७.२५
२०	श्री शोबन सिंह जीना पर्वतीय विकास मंत्री	..	१,०९८.१०	१,१०९.९५
२१	श्री श्री चन्द्र, वन मंत्री	..	२,८३४.२०	३,७७८.८५
२२	श्री ओम प्रकाश सिंह, न्याय एवं कारागार	..	१,८१३.००	४,६६५.२५
२३	श्री लक्ष्मण सिंह राज्य मंत्री, नियोजन	..	४,५००.५०	२,३४८.४०
२४	श्री अवधेश प्रसाद, राज्य मंत्री, सूचना	..	३११.६५	२,६१२.४०
२५	श्री धीरेन्द्र सहाय, राज्य मंत्री, कृषि	..	२२४.००	२,४००.६५
२६	श्री सूबेदार प्रसाद राज्य मंत्री, ग्रामीण उद्योग	..	८७९.७०	३,७५१.८०
२७	श्रीमती शकुन्तला नैय्यर राज्य मंत्री, बिक्रीकर	..	२,२५८.०५	१,५९२.६५
२८	श्री रेवती रमण सिंह राज्य मंत्री, लघुउद्योग	..	१,६७१.८५	३,२५०.३५
२९	श्री अब्दुल रऊफ लारी उप मंत्री, हैन्डलूम	..	४,३३२.२०	१,८८७.००
३०	श्री भगवती सिंह उप मंत्री आवास	..	१,७१७.४५	३,०२६.१०
३१	श्री शारदा प्रसाद रावत उप मंत्री, सिंचाई	..	२,५२७.२५	४,२७२.८५
३२	श्री सत्य देव त्रिपाठी, उप मंत्री, पर्वतीय विकास	..	१,९१५.९५	२,०५४.६५

६	७	८	९	१०
४,९३१.१०	४२२.१५	३,५१९.५०	२,२८६.२०	४,६३६.२०
२,०६९.५०	२,१८२.६०	५,९१७.७०	५,२८८.३५	२,६८४.६५
३,८८९.२५	२,२१३.७०	३,३६७.७५	२,९०५.५०	३,३७८.६५
२,०६७.४५	३,१६४.८५	४,५५०.९५	२,१९७.६०	२,०५४.१५
१,९१०.०५	४,७८६.४५	५,२५९.९५	३,५०३.२०	२६८.००*
				*केवल रेल का किराया ।
४,२४४.४५	४,३७४.५०	८,२४९.५८	५,५५०.२०	१,७६४.९०*
				*केवल रेल का किराया ।
४,९३५.२०	६,९४३.२५	८,७४१.५०	८,१६३.७०	४,२६१.६५
६,३९९.१५	४,५९४.२५	७,४९३.२०	२,६४४.२०	५,०६५.२०
१,७१२.९५	१,८०९.०५	४,०५४.७५	३,६७९.५०	३,६३३.००
२,१९७.५०	३,०४७.५०	३,९४७.७५	४,१६६.७०	२,९३२.५०
४,०४१.६०	३,०१९.१०	३,३६३.५०	३,८४७.२०	२,२१५.९५
१,९७३.४०	१,२५७.५५	२,०१९.२०	५,३२८.७५	१,८५८.१०
३,२६२.५०	३,९२१.४५	४,५९२.१५	५,११३.३५	२,८५२.३५
२३९.५०	३,६३८.४५	२,७६६.८५	१,५७०.५५	२५६२.२०
२,४२८.९०	२,१६६.२५	१,९१३.३५	१,११४.९९	१,०७३.२०
८२९.२०	२,१८६.४५	८८१.७५	३९४.६५	३३९ २०
२,७०३.६५	१,८३०.९५	२,९१४.१३	२,८७६.९५	२,४२४.४५

१	२	३	४	५
३३	श्री कुंवर सत्यवीर प्राविधिक शिक्षा	उप मंत्री ..	१,४०७.८५	१,८९८.०५
३४	श्री बाबू लाल वर्मा, क्षेत्रीय विकास	उप मंत्री ..	१,२३०.८०	१,०६३.२५
३५	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जलसम्पूर्ति	उप मंत्री ..	१,२२८.३०	७३१.१०
३६	श्री शिवदास तिवारी पर्यटन	उप मंत्री ..	४८०.२५	१,४७८ ८०
३७	श्री मुख्तार अनीस, पशुधन	उप मंत्री ..	८१०.९८	१,५६७.५०
३८	श्री छोटे लाल यादव लघु सिंचाई	उप मंत्री, ..	१,१००.९०	१,५२४.७०
३९	श्री तेज सिंह, चीनी मिलें	उप मंत्री ..	९६९.०५	२,०५५.१५
४०	श्रीमती मालती शर्मा बेसिक शिक्षा	उप मंत्री, ..	१,९९८.३५	६९९.०५
४१	श्री चन्द्रशेखर सिंह कल्याण	उप मंत्री, युवक ..	८६३.४५	६०१.९०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

६	७	८	९	१०
१,७८५.१५	१,०८२.५०	२,०७५.४०	९४६.५५	१,३३६.२५
२,२२२.६५	४,००५.२५	२,६२३.०५	१,७६१.८५	१,८१२.७५
१,२६५.४०	१,९७६.३५	४,४०८.०५	३,७९७.१५*	४०३.१०*
				*केवल रेल किराया ।
२,२१६.१०	३,५२३.८५	१,२५०.९५	९८१.६५	१,१०४.४५
२,४३८.६६	१,८९४.८०	१,१२३.५०	१,७३७.१०	१,७२०.२०
१,४२८.०५	७१३.५५	१,५८६.६५	१,६०९.२०	६७०.२४
४,७६५.९०	१,६३७.२५	३,५७२.४०	२,५६७.३५	१,५८८.००
८७६.६०	९१०.९५	१,४६१.०५	६६६.६०	६३५.००
१,५९०.७५	१,६७५.५५	३,४७७.८०	१,३७६.६२	१,८७१.५०

विधान परिषद सचिवालय

तालिका 'ख'

जनता सरकार के गठन २३-६-७७ से २८ जनवरी, १९७८ तक मंत्रि-परिषद् के प्रत्येक सदस्य के टेलीफोनों पर हुए खर्च का ब्यौरा ।

नोट :—टेलीफोन के बिल बनवाने की तिथि (बिलिंग डेट) महीने की १,११ तथा २१ होती है और लोकल काल की अवधि ३ माह और ट्रंक काल की अवधि एक माह की होती है । इसलिए प्रत्येक माह का अलग-अलग टेलीफोन पर हुए व्यय का विवरण देना सम्भव नहीं है ।

क्रम-सं०	नाम तथा पद	२३-६-७७ से २८-१-७८ तक का व्यय
१	२	३
१	श्री राम नरेश यादव, मुख्य मंत्री	५१,३००.३०
२	श्री राम प्रकाश, उद्योग मंत्री	१२,६७२.५५
३	श्री रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत् मंत्री	४४,८१६.४०
४	श्री बलबीर सिंह, सिंचाई मंत्री	१२,९९१.००
५	श्री सत्य प्रकाश मालवीय, स्वायत्त शासन मंत्री	२९,०५३.३०
६	श्री राजेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री	१२,५९४.४५
७	श्री मधुकर दिघे, वित्त मंत्री	१८,०९३.४५
८	श्री जमुना प्रसाद बोस, ग्राम्य विकास मंत्री	१२,२६६.४५
९	श्री हरिश्चन्द्र, खाद्य मंत्री	२०,२४९.३०
१०	श्री श्रीमती चन्द्रावती, गन्ना विकास	१५,९३१.६०
११	श्री गणेश दत्त बाजपेयी, श्रम मंत्री	२१,५५३.४०
१२	श्री मुलायम सिंह, सहकारिता मंत्री	१६,५१९.१०
१३	श्री राम सिंह, हरिजन समाज कल्याण मंत्री	१०,३५४.६०
१४	श्री काली चरण, शिक्षा मंत्री	११,५०६.८०
१५	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, संस्थागत वित्त मंत्री	१४,३१६.९०
१६	श्री शारदा भक्त सिंह, राजस्व मंत्री	१०,४५५.९०
१७	श्री आबिद अली अंसारी, परिवहन मंत्री	२७,१६०.५०
१८	श्री कल्याण सिंह, स्वास्थ्य मंत्री	७,१८९.३०

१	२	३
१९	श्री मो० मसूद खां, सा० नि० वि० मंत्री	१८,०६२.७०
२०	श्री ओम प्रकाश सिंह, न्याय एवं कारागार मंत्री	१५,०१२.९०
२१	श्री श्रीचन्द, वन मंत्री	१९,८२८.७५
२२	श्री शोबन सिंह जोना, पर्वतीय विकास मंत्री	१२,९४०.१०
२३	श्री लक्ष्मण सिंह, राज्य मंत्री, नियोजन	१४,१७७.९५
२४	श्री अवधेश प्रसाद, राज्य मंत्री, सूचना	१७,९३२.८०
२५	श्री धीरेन्द्र सहाय, राज्य मंत्री, कृषि	११,७१७.६०
२६	श्री सूबेदार प्रसाद, राज्य मंत्री, ग्रामीण उद्योग	१३,११५.५०
२७	श्रीमती शकुन्तला नायर, राज्य मंत्री, बिक्रीकर	१३,०६२.१५
२८	श्री रेवती रमण सिंह, राज्य मंत्री, लघु उद्योग	१९,९१३.२५
२९	श्री अब्दुल रऊफ लारी, उप मंत्री, हैन्डलूम	८,३९२.१५
३०	श्री भगवती सिंह, उप मंत्री, आवास	६,४०८.३५
३१	श्री शारदा प्रसाद रावत, उप मंत्री, सिंचाई	८,०१२.३०
३२	श्री सत्य देव त्रिपाठी, मंत्री, पर्वतीय विकास	१७,५८५.६५
३३	श्री कुंवर सत्यवीर, उप मंत्री, प्राविधिक शिक्षा	६,७३७.००
३४	श्री बाबू लाल वर्मा, उप मंत्री, क्षेत्रीय विकास	१६,००४.५०
३५	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, उप मंत्री, जल सम्पूर्ति	६,६३६.३५
३६	श्री शिव दास तिवारी, उप मंत्री, पर्यटन	१३,५७६.२५
३७	श्री मुख्तार अनीस, उप मंत्री, पशुधन	८,७७७.०५
३८	श्री छोटे लाल यादव, उप मंत्री, लघु सिंचाई	७,७२४.७५
३९	श्री चन्द्र शेखर सिंह, उप मंत्री, युवक कल्याण	१२,३६६.७०
४०	श्रीमती मालती शर्मा, उप मंत्री, बेसिक शिक्षा	१७,८९०.८५
४१	श्री तेज सिंह, उप मंत्री, चीनी मिलें	१६,८१८.२०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२०५ पर)

तालिका

जुलाई, १९७७ से लेकर १५ जनवरी, १९७८ तक उत्तर प्रदेश मंत्रि मंडल के प्रत्येक मंत्री द्वारा किये गये दौरों की संख्या तथा उन पर हुये व्यय का विवरण

क्रम-सं०	नाम तथा पद	दौरों की संख्या	व्यय
१	२	३	४
१	श्री राम नरेश यादव, मुख्य मंत्री	५७	६०,२२२.७५
२	श्री राम प्रकाश, उद्योग मंत्री	४९	२२,१८५.५६
३	श्री बलवीर सिंह, सिंचाई मंत्री	३९	२७,१६९.५३
४	श्री सत्य प्रकाश मालवीय, स्वायत्त शासन मंत्री	७०	३६,१९६.६५
५	श्री रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत् मंत्री	३० (१-७-७७ से ३१-१०-७७ तक)	२८,९४४.०४
६	श्री राजेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री	४९	२४,५१६.००
७	श्री मधुकर दिघे, वित्त मंत्री	४२	२४,८१६.१५
८	श्री जमुना प्रसाद बोस, ग्राम्य विकास मंत्री	५१	१८,६५५.४०
९	श्री हरिश्चन्द्र, खाद्य मंत्री	४१	४३,८५२.८४
१०	श्री गणेश दत्त बाजपेयी, श्रम मंत्री	५०	२७,७००.३५
११	श्रीमती चन्द्रावती, चीनी उद्योग	३२	२५,३५७.९२
१२	श्री मुलायम सिंह, सहकारिता मंत्री	४१	१९,५२५.८५
१३	श्री राम सिंह, हरिजन समाज कल्याण मंत्री	३६	२५,२५६.९०
१४	श्री काली चरण, शिक्षा मंत्री	५५	१९,०४८.५५
१५	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, संस्थागत वित्त मंत्री	४५	३४,४४१.७८
१६	श्री शारदा भक्त सिंह, राजस्व मंत्री	३८	१६,६८३.३५
१७	श्री मो० मसूद खां, सा० नि० मंत्री	४०	१९,८४१.५०

१	२	३	४
१८	श्री आबिद अली, परिवहन मंत्री	८१	२०,१२२.७५
१९	श्री कल्याण सिंह, स्वास्थ्य मंत्री	५२	१८,२०१.७५
२०	श्री शोबन सिंह जोना, पर्वतीय विकास मंत्री	१९	१७,६६७.७०
२१	श्री श्रीचन्द, वन मंत्री	३३	३०,२७२.७८ जनवरी का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।
२२	श्री ओम प्रकाश सिंह न्याय एवं कारागार मंत्री	५१	३७,७७०.८०
२३	श्री लक्ष्मण सिंह, राज्य मंत्री नियोजन	३०	२९,६५५.८८
२४	श्री अवधेश प्रसाद राज्य मंत्री सूचना	३९	१६,५९०.००
२५	श्री धीरेन्द्र सहाय, राज्य मंत्री, कृषि	५०	१६,७६४.९०
२६	श्री सूबेदार प्रसाद, राज्य मंत्री, ग्रामीण उद्योग	३०	१९,३१२.७५
२७	श्रीमती शकुन्तला नायर, राज्य मंत्री, बिक्री कर	२८	१३,४०७.६५
२८	श्री रेवती रमण सिंह, राज्य मंत्री, लघु उद्योग	५२	२४,५०८.००
२९	श्री अब्दुल रऊफ लारी, उप मंत्री, हैन्डलूम	३८	१२,९९८.६३
३०	श्री भगवती सिंह, उप मंत्री, आवास	४८	१२,९९७.८०
३१	श्री शारदा प्रसाद रावत उप मंत्री, सिंचाई	३१	११,०६२.९५
३२	श्री सत्यदेव त्रिपाठी, उप मंत्री, पर्वतीय विकास	४१	१४,७३२.४५
३३	श्री कुंवर सत्यवीर, उप मंत्री, प्राविधिक शिक्षा	२७	१०,०४८.३०
३४	श्री बाबू लाल वर्मा, उप मंत्री, क्षेत्रीय विकास	४७	१३,८४५.२०
३५	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल उप मंत्री, जल सम्पूर्ति	३०	१३,७०९.८५ (१-१-७८ से १५-१-७८ तक का व्यय सम्मिलित नहीं है)

१	२	३	४
३६	श्री शिवदास तिवारी, उप मंत्री, पर्यटन	२२	१०,७४०.५५
३७	श्री मुख्तार अनीस, उप मंत्री, पशुधन	६१	१०,४७८.२२
३८	श्री छोटे लाल यादव, उप मंत्री, लघु सिंचाई	४७	८,६११.१५
३९	श्री तेज सिंह, उप मंत्री, चीनी मिल	३१	१४,९७९.१०
४०	श्रीमती मालती शर्मा, उप मंत्री, बेसिक शिक्षा	२४	८,१६९.४० (१-१-७८ से १५-१-७८ तक का व्यय सम्मिलित नहीं है।
४१	श्री चन्द्र शेखर सिंह, उप मंत्री, युवक कल्याण	२३	१०,९९५.४५ (दिसम्बर, १९७७ तथा जनवरी, १९७८ के बिल प्राप्त नहीं हुए)।

पी० एस० यू० पी०—४६ वि० सभा—१४-९-७८—८४३ (पी० डी०)

विधान सभा सचिवालय